लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 4-1-84
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)

Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	
श्री अमियनाथ बोस	Shri Amiyanath Bose	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
राष्ट्रीय खाद्य बजट के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re: National Food Budget	1600–1602
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaya	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्री स्कवीरा	Shri Sequeira	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13–गुरुवार, 8 जून, 1967/18, ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 13–Thursday, June 8, 1967 Jyaistha 18, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
361.	जापान से उर्वरकों का आयात	Import of Fertiliser from Japan	1603–1606
362.	विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations for SCs. and STs. in Legislatures	1607–1611
363.	उर्वरकों के उत्पादन के लिये कुवैत के साथ सहयोग	Collaboration with Kuwait for Fertilizer Production	1611–1615
364.	राज्यों की ओर बकाया ऋण की राशि	Loans outstanding against States	1615–1617
366.	दिल्ली और नई दिल्ली को आकर्षक बनाना	Beautification of Delhi and New Delhi	1617–1620
	अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Questions	1620
अ. प्र. स.			
	बिहार को तेल की सप्लाई	Supply of oil to Bihar	1620–1622
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	1622
तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.			
365.	विकासोन्मुख देशों में प्रति व्यक्ति आय	Per capita income in developing countries	1622–1623
367.	उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industry	1623
368.	पूर्व अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीयों के पास विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange held by Indians Residing in East Africa	1623
369.	ऋण देने पर प्रतिबन्ध	Squeezing of Credit	1624
370.	बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Banks	1624–1625
371.	कोटा में विद्युत जनन	Power Generation of Kotah	1625
372.	हल्दिया में तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery at Haldia	1625–1626
373.	आय-कर विभाग में इलेक्ट्रानिक कमप्यूटर	Electronic computers in Income-tax Department	1626–1627

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually askee on the foolr of the House by him.

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
374.	दिल्ली में बस्ती बसाने की झूठी योजनायें	Fake colonising schemes in Delhi	1627
375.	नष्ट किये जाने वाले नोटों का प्रचलन	Circulation of currency notes meant for destruction	1627–1628
376.	मूल्य देशनाँक की दीर्घकालीन ऋण से सम्बद्ध करना	Attaching of price index to long term borrowing	1628–1629
377.	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin refinery	1629
378.	सिंचाई की सुविधायें	Irrigation facilities	1629
379.	पी. एल. 480 निधि पर रोक (मौरेटोरियम)	Moratorium on PL 480 Funds	1630
380.	चौथी योजना में कृषि	Agriculture in Fourth Plan	1630
381.	पंजाब नेशनल बैंक के अफसरों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच	Enquiry into complaints against officers of Punjab National Bank	1630–1631
382.	ब्रिटेन से सहायता	Assistance from U. K.	1631
383.	उर्वरक का उत्पादन	Fertilizer production	1631–1632
384.	लेखा बाह्य धन	Unaccounted money	1632
385.	उर्वरक उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन	Study of prospects of fertilizer production	1633
386.	कृष्णा गोदावरी जल विवाद	Krishna Godavari Water Dispute	1633
387.	राज्य सरकारों के ऋणों का बट्टेखाते में डाला जाना	Writing off of State Governments Debts	1634
388.	अलाभप्रद योजनाएं	Non Remunerative Schemes	1634
389.	जीवन बीमा निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विभाजन	Splitting up of Life Insurance Corporation and Hindustan Steel Ltd.	1635
390.	इंगलैंड में भारतीय चिकित्सक	Indian Doctors in England	1635–1636
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
1793.	अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में लोगों की प्रतिव्यक्ति आय	Per capita Income of People in Andaman and Nicobar Islands	1636
1794.	ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	Eastern Machinery and Trading Co. Ltd.	1636–1637
1795.	भूतपूर्व नरेशों के भवन	Buildings belonging to former princes	1637
1796.	वस्तुओं के कारखाने से निकलते समय के मूल्य तथा उन पर उत्पादन शुल्क	Ex-Factory Price and Excise Duty on commodities	1637–1639
1797.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम	Central Sales Tax Act	1639
1798.	बिहार सहायता कोष के लिये फिल्म अभिनेताओं द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम	Variety shows by Film Folks in of Bihar Relief Fund	1639–1640
1799.	विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते	Indians having Bank Accounts Abroad	1640

अ. ता.प्र संख्या U. S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ Pages
1800.	उड़ीसा में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects in Orissa	1641
1801.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential commodities	1641–1642
1802.	बिहार में आदर्श गांव	Model Village in Bihar	1642
1803.	बिहार में खानाबदोश और आदिमजातीय लोगों के लिए कल्याण कार्य	Welfare of Nomads and Tribal People in Bihar	1642–1643
1804.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियां	Co-operative Societies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa	1643
1805.	सीमा शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांकक	Principal Appraisers of Customs department	1643
1806.	मूल्यांकन	Appraisers	1644
1807.	मूल्यांकन करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Conditions of service of Appraising Staff	1644–1645
1808.	मूल्यांकक तथा मुख्य मूल्यांकक	Appraisers and principal appraisers	1645–1646
1809.	सीमाशुल्क मूल्यांकक सेवा	Customs appraisers service	1646
1810.	समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Schemes	1646–1647
1811.	बिहार के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Bihar	1647
1813.	बैंक	Banks	1647
1814.	बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of major river valley projects	1647–1648
1815.	दिल्ली के निकट अफीम से भरे ट्रक का पकड़ा जाना	Capture of a truck with opium near Delhi	1648
1816.	दिल्ली में डी. डी. टी. कारखाने के लिये भूमि	Land for D. D. T. Factory Delhi	1648–1649
1817.	दिल्ली में डी.डी.टी. फेक्टरी के विस्तार के लिये भूमि	Land for expansion of D. D. T. factory at Delhi	1649–1650
1818.	विदेशों में व्यापार संबंधी दौरे	Business visits abroad	1650–1651
1819.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली के कारखाने को क्लोरीन की सप्लाई	Supply of Chlorine to Hindustan Insecticides Ltd., Delhi Unit	1651
1820.	डी.डी.टी. फैक्टरी दिल्ली को क्लोरीन की सप्लाई	Chlorine to D. D. T. factory Delhi	1652
1821.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार	Agreement with Foreign Oil Company	1652–1653
1822.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड	Hindustan insecticides Ltd.	1653–1654
1823.	डी डी.टी. कारखाना, दिल्ली	DDT factory, Delhi	1654
1824.	दिल्ली स्थित डी.डी.टी. कारखाने को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of raw material to DDT Factory Delhi	1654–1655

अ. ता. प्र. संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1825.	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	M/S Engineers India Ltd,	1655–1656
1826.	भारत सेवक समाज को सहायक अनुदान	Grants in aid to Bharat Sewak Samaj	1656–1657
1827.	कृषि के लिये ऋण	Agricultural Credit	1657
1828.	शांति दल स्वयंसेवक कार्यक्रम	Peace corps volunteer programme	1657–1658
1829.	सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House rent allowance to Government Employees	1658
1830.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	Bhartiya Adimjati Sevak Sangh	1659
1831.	दिल्ली वृहद योजना	Delhi Master Plan	1659–1660
1832.	दिल्ली में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टल	Hostels for scheduled caste girls in Delhi	1660
1833.	दिल्ली में श्रमिकों के लिये क्वार्टर	Quarters for Labourers in Delhi	1661
1834.	चौथी पंचवर्षीय योजना में नये चिकित्सा कालेज	New Medical Colleges during Fourth Plan	1661–1662
1835.	प्रादेशिक भाषाओं को न जानने वाले आयकर अधिकारी	I. T. Officers not conversant with regional languages	1662
1836.	बड़ौदा को प्राकृतिक गैस की सप्लाई	Supply of natural gas to Baroda	1662–1663
1837.	कानपुर के एक उद्योगपति के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि के बारे में मुकदमा	I. T. Proceedings against an Kanpur Industrialist	1663
1838.	डाक द्वारा सोने का तस्कर व्यापार	Gold smuggled by Post	1663–1664
1839.	दिल्ली में बिजली का बन्द होना	Power Failure in Delhi	1664
1840.	सरकारी उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर	Interest charged on loans to Public undertakings	1664–1665
1841.	निर्यात से विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign exchange on exports	1665
1842.	नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में उद्यान को सुन्दर बनाना	Beautification of park at Chanakya puri, New Delhi	1666
1843.	वित्तीय संस्थायें	Financial Institutions	1666
1844.	आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिये अभिप्रेस हिदायतें का प्रकाशन	Publication of Instructions meant for Income Tax Officials	1666
1845.	पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों से सोने का पकड़ा जाना	Gold recovered from passengers at Palam Airport	1666–1667
1846.	फरक्का बांध परियोजना के नक्शे	Blue prints of Farrakka Barrage Project	1667
1847.	नर्स का काम	Nursing Career	1668
1848.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay fertiliser factory	1668–1669
1849.	चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की मांग	Demand for fertilizers during Fourth Plan	1669–1670

अ. ता. प्र. संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1850.	भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स आर. बी. भोलानाथ एण्ड संस को दिये गये ठेके	Contracts given by I.O.C. to M/s R B. Bhola Nath & Sons	1670
1851.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन समस्याओं के अध्ययन के लिये 'विचार विभाग'	Ideas Department to study Health and Family Planning Problems	1670–1671
1852.	भारतीय तेल निगम	I.O.C.	1671
1853.	सरकारी उपक्रमों में उत्पादन लक्ष्य	Targets of production in public undertakings	1672
1855.	भारतीय तेल निगम का टेलीफोन का खर्च	Telephone expenses of I,O.C.	1672–1673
1856.	केरल में पोभाशी परियोजना	Pozhashi project in Kerala	1673
1857.	बाओरीमुक्कम परियोजना	Daorimukkam Project	1673
1858.	भारत में जन्म दर और मृत्यु दर	Death rate and birth rate in India	1674
1859.	फर्मों का आयकर बट्टे खाते में डाला जाना	Income tax of Firm written of	1674–1675
1860.	अमृतसर नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Amritsar	1675
1861.	तीसरी पंचवर्षीय योजना उपलब्धियों का मूल्यांकन	Appraisal of achievements of Third Plan	1675–1676
1862.	प्रति व्यक्ति आय	Per capita income	1676
1863.	राजस्थान में बिड़ला समवाय समूह को बिजली की सप्लाई	Supply of electricity to Birlas in Rajasthan	1676–1677
1864.	जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in L.I.C.	1677
1865.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कम्पाउन्डर और स्टोरकीपर	Compounders and Storekeepers in Government Hospitals in Delhi	1677–1678
1866.	केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाएं	Centrally financed Irrigation projects in Kerala	1678
1867.	राजकोट में पकड़े गये विदेशी बैंकों के चैक और ड्राफ्ट	Cheques and Drafts of foreign banks seized in Rajkot	1678–1679
1868.	आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन अभिस्थापन प्रशिक्षण शिविर	Family planning orientation Training camps in Andhra Pradesh	1679
1869.	उड़ीसा में मनिभद्रा बांध परियोजना	Manibhadra Dam project in Orissa	1679
1870.	राज्यों में आवास बोर्ड	Housing boards in States	1679–1680
1871.	आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) में कुष्ठ रोग	Leprosy in Asansol (West Bengal)	1680
1872.	खसरे तथा छोटी माता का टीका	Measles and Chicken-pox vaccines	1680
1873.	वित्तीय संस्थाओं को ऋण	Loans to Financial institutions	1681

अ.ता. प्र. संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1874.	कोलार स्वर्ण खानों में सोने का उत्पादन	Gold from Kolar Gold fields	1681–1682
1875.	बड़ी पन-बिजली परियोजनाएं	Major hydro electric project	1682
1876.	लेखा बाह्य धन	Unaccounted money	1682
1877.	राजस्थान में जल संकट	Water scarcity in Rajasthan	1680
1878.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	Scholarships for scheduled castes and scheduled tribes	1683
1879.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to scheduled castes and scheduled tribes students	1683–1684
1880.	बंध्यीकरण (वेसेकटामी)	Vasectomy	1684
1882.	कृषि के विकास के लिए नियत की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange allotted for development of agriculture	1684–1685
1883.	लोदी होटल, नई दिल्ली	Lodhi hotel, New Delhi	1685
1884.	अतिरिक्त पंखा	Additional fan	1685
1885.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बोर्ड के निदेशक	Board of Directors of public enterprise	1685–1686
1886.	योजना आयोग का गठन	Composition of Planning Commission	1686
1887.	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजना	Flood control schemes in Orissa	1686
1888.	उड़ीसा में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये उपाय	Anti sea erosian measures in Orissa	1686–1787
1889.	विदेशों से सम्भरण विभाग द्वारा खरीदी गई वस्तुयें	Purchase made by Supply Department from Abroad	1687
1890.	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	M/s Engineers India, Ltd.	1687
1891.	पोंग बांध बनाने के लिये हटाये गये व्यक्ति	Pong Dam oustees	1687–1688
1892.	आयकर का निर्धारण	Assessment of Income tax	1688
1893.	आयकर का निर्धारण	Assessment of Income tax	1688-1689
1894.	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां	Post matric scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in Rajasthan	1689–1690
1895.	आयकर का निर्धारण	Assessment of Income tax	1690
1896.	1967-68 के लिए राजस्थान की वार्षिक योजना	Annual plan of Rajasthan for 1967–68	1690–1691

अ.ता. प्र. संख्या U. S. Q. NOs.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1897.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली का उत्पादन	Power production in Fourth Five Year Plan	1691
1898.	स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन	Violation of Gold Control Rules	1691
1899.	तालचेर तापीय बिजली घर	Talcher Thermal Power station	1691–1692
1900.	सहकारी गृह-निर्माण समिति संघ	Cooperative House building societies federation	1692
1901.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Fertiliser factory at Gorakhpur	1693
1902.	पूना में नायलोन की चीजें बनाने वाले कारखाने के लिये लाइसेंस	Licence for Nylon Products Factory at Poona	1693–1694
1903.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड अलवाय	Fertilizers and chemicals Travancore Ltd. Alwaye	1694
1904.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird and Co.	1695
1905.	अमरीका से सहायता	Aid from USA	1695–1696
1906.	योजना सम्बन्धी तथा योजना-भिन्न व्यय	Planned and non-planned expenditure	1696
1907.	दिल्ली प्रशासन के अध्यापक तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना	Teaching staff of Delhi administration and C.H.S. scheme	1696–1697
1908.	नामरूप उर्वरक परियोजना	Namrup fertiliser project	1697
1909.	केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board	1697–1698
1910.	पूर्वी पाकिस्तान सीमा के पार चोरी छिपे माल ले जाना	Smuggling of goods to East Pakistan	1698
1911.	जनसंख्या वृद्धि को रोकना	Population Control	1698–1699
1912	बम्बई में नायलोन के धागे का पकड़ा जाना	Seizure of Nylon Yarn in Bombay	1699–1700
1913.	रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिये अत्यावश्यक कच्चा माल	Essential raw materials for Chemical fertilizer Industries	1701
1914.	विदेशी तेल समवायों का राष्ट्रीकरण	Nationalisation of foreign petroleum companies	1701
1915.	आन्ध्र प्रदेश में बिजली	Electricity in Andhra Pradesh	1701
1916.	राजनैतिक दलों को भूमि का नियतन	Allotment of land to political parties	1702
1917.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector undertakings	1702
1919.	राम गंगा परियोजना	Ramganga project	1702–1703
1920.	अनुसूचित जातियाँ	Scheduled castes	1703
1921.	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां	Scheduled castes in Mysore state	1703–1704
1922.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास	Development of Eastern Districts of U. P.	1704
1923.	नई दिल्ली में पानी प्राय: बन्द होना	Frequent stoppage of water supply in New Delhi	1704–1705
1924.	नीमच में अफीम का कारखाना	Opium Factory at Neemuch	1705
1925.	ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को मिलाने के लिये नौगम्य नहर	Navigable Link Canal between Brahamputra and Ganga	1705

अ. ता. प्र. संख्या U.S. Q. NOs.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1926.	परिवार नियोजन पर खर्च	Expenditure on family planning	1705–1706
1927.	आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Refinery in Assam	1706
1928.	मैडिकल तथा पैरा मैडिकल कर्मचारी	Medical and Para Medical Personnel	1706–1707
1929.	चित्रकूट जलविद्युत परियोजना मध्य प्रदेश	Chitrakoot Hydel Project, (Madhya Pradesh)	1708
1930.	सिंगापुर के विकास के लिए सहायता	Financial Assistance for development of Singapore	1708
1931.	दिल्ली में अस्पताल	Hospitals in Delhi	1708–1709
1932.	लाभ की राशि का विदेशों में भेजा जाना	Remittance of Profits Abroad	1709
1933.	पेंशन तथा उपदान (ग्रेचुइटी) के मामले	Pension/Gratuity Cases	1709–1710
1934.	फार्मेसी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति	Graduates and Post Graduates pharmacy	1710
1935.	केन्द्रीय भेषजिकी संस्थान	Central Institute of Pharmacy	1710–1711
1936.	सोने की बिक्री तथा खरीद पर नियंत्रण	Control on sale and purchase of gold	1711–1712
1937.	योजनाओं की क्रियान्विति में जनता का सहयोग	Public cooperation for implementation of plans	1712
1938.	परिवार नियोजन	Family planning	1712–1713
1939.	माताटिला बांध से बिजली	Electricity from Matailla Dam	1713
1940.	गुजरात पुनर्वलन मिल संगठन द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Gujarat Re-rolling Mills Association	1713
1941.	छात्रों से चिकित्सा शुल्क	Medical fee from students	1714
1942.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अध्यक्ष पद	Chairmanship of the oil and Natural Gas Commission	1714
1943.	किदवई नगर, नई दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय	Ayurvedic dispensary, Kidwai Nagar Delhi	1715
1944.	विशिष्ट आर्थिक संवर्ग का प्रशिक्षण	Training of specialised Economic cadres	1715
1946.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले लोग	Beneficiaries in Central Government Health Scheme	1715–1716
1947.	मंत्रियों के लिये बंगले	Bungalows for Minister	1716
1948.	लोअर डिवीजन क्लर्कों को क्वार्टर	Accommodation for L.D.Cs.	1716–1717
1949.	भारत में अमरीका के पास भारतीय रुपयों की राशि	U.S. Rupee holdings in India	1717

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — **Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance** 1717–1726

श्री बी. पटनायक के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) की रिपोर्ट उड़ीसा राज्य सरकार को देने से केन्द्रीय सरकार के इन्कार करने का समाचार — Reported Refusal of Central Government to make available to Orissa Government CBI Report on Shri B. Patnaik.

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. N0s.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1726–1728
	समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	1728
	(1) भारत की तपेदिक संस्था की केन्द्रीय समिति	(i) Central Committee of the Tuberculosis Associatin of India and	1728
	(2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का शासी निकाय	(ii) Indian Council of Medical Research	1728
	सामान्य आय व्ययक, 1967-68 सामान्य चर्चा	General Budget–1967–68 General Discussion	1728
	श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1728
	श्री चरणजीत राय	Shri Charanjit Rai	1729–1731
	श्री द्वा. ना. तिवारी	Shri D.N. Tiwary	1731–1732
	श्री मनोहरन	Shri Manoharan	1732–1734
	श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	1734–1736
	श्री नारायण रेड्डी	Shri M.N. Reddy	1736–1738
	श्री भगवती	Shri Bhagwati	1738–1739
	श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S.S. Kothari	1739–1741
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	1741–1743
	पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Further Developments in West Asia Situation	1743–1747
	श्री मु. क. चागला	Shri M.C. Chagla	

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 8 जून, 1967 । 18 ज्येष्ठ, 1889

का शुद्धि-पत्र

ष्ठ संख्या	शुद्धि
618	पंक्ति एक से पांच के स्थान पर निम्नलि[illegible]पढ़िये : " Shri Bhogendra Jha : The mai[illegible]estion relates to th provision of mercury bulbs and [illegible]osks at the bus stop This operative part of the quest[illegible] has not been answere I want to know whether the sugge[illegible]on with regard to these fixtures had not been give[illegible] that the suggestion was turned down to effect econo[illegible] डा.श्री चन्द्रशेखर : यह प्रश्न मेरी स[illegible] में नहीं आया है परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के[illegible] मैं विवरण पढ़ देता हूं । यह इस प्रकार है : पंक्ति 22 से 27 निकाल दीजिये ।
1716	पंक्ति 2 में `(ख)` के स्थान पर `(ख[illegible]र (ग)` पढ़िये ।
1728	पंक्ति 15 के बाद निम्नलिखित पंक्तिया[illegible] पढ़िये : कि भारत की तपेदिक संस्था के नियमों[illegible] विनियमों के खण्ड

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	पंक्ति 24 के बाद निम्नलिखित पंक्तियां भी पढ़िये : "कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों तथा विनियमों के नियम 20 को मद (XIII) तथा (XIV) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।
1737	पंक्ति 2 में Mr. Speaker के स्थान पर Shri Bal Raj Madhok ' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 8 जून, 1967/18 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Thursday June 8, 1967/Jyaistha 18, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जापान से उर्वरकों का आयात

* 361. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री रामपुरे :
श्री न० कु० संघी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से उर्वरक खरीदने के लिये भारत और जापान के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। करार के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

उर्वरक की किस्म	मात्रा 10 लाख टन	देने की अनुसूची	मूल्य प्रति 10 लाख टन शुद्ध	
(क) जिसका भुगतान मेन सिक्के में किया जायेगा				
यूरिया	203,498	मई/नवम्बर 1967	84.63 डालर	लागत तथा भाड़ा
अमोनियम सल्फेट	20,000	मई/जून 1967	45.69 डालर	लागत तथा भाड़ा
अमोनियम क्लोराईड	40,000	मई/नवम्बर 1967	46.79 डालर	लागत तथा भाड़ा
(ख) जिसमें विदेशी मुद्रा की कोई रुकावट न हो				
अमोनियम क्लोराईड	10,000	नवम्बर/दिसम्बर 1967	40.00 डालर	जहाज तक निः शुल्क
			अथवा	
			37.00 डालर जहाज तथा निशुल्क की पेकिंग लागत खरीदने वाले के विकल्प पर	

Shri Hukam Chand Kachwai : Do Government feel that by this import of fertiliser the demand of our country in this respect would be met and if not by when we will stop import of fertilisers and be self-reliant in this regard ?

Shri Iqbal Singh : We have very little production of fertilisers in our country and hence we have to import it in large quantities. The Japanese government offered some yet credit to the Government of India and it is under that contract to import Urea, Ammonium Sulphate and Ammonium Chloride. Some of it was imported under free foreign exchange. About the period upto which we will import it, this may be addressed to a different ministry.

Shri Hukam Chand Kachwai : Has the Japanese government put some conditions about the import of fertiliser from that country and if so what are those ? I want to know the price at which it was imported and at which it is being sold here ?

Shri Iqbal Singh : It is being imported under a credit which Japan gave to India. The price is given in the statement.

Shri Jagannath Rao Joshi : We are using fertlisers on a big scale but in the absence of water the fertilisers make the land barren. Is it not a fact that a delegation even met Mr. Johnson last year for legal ban on the indiscriminate use of fertilisers and if so, will the minister inform and furnish some statistics whether the increase in production is due to more and having been brought under cultivation or due to use of fertilisers ?

Shri Iqbal Singh : There is shortage of foodgrains and fertilisers in India and as such we import both of these. We have to spend less on the import of fertilisers than on the import of foodgrains. Fertilisers increase foodgrains. We are importing fertilisers against the credit which the Japanese government gave to us.

Shri Hukam Chand Kachwai : He was not answered about the price at which it is being given to cultivators.

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न समाप्त हो गये ।

Shri Sidheshwar Prasad : The Statement shows that we import Urea, Ammonium sulphate, Ammonium chloride from Japan and the prices at which they are being imported. We import it from other countries too. How do the price at which we import from Japan compare with the price at which we import it from other countries ?

Shri Iqbal Singh : About the fertiliser against free foreign exchange, we invited global tenders. About the Japanese credit their terms appeared to be reasonable to us and so we decided to purchase fertilisers from that country.

श्री रंगा : क्या यह करार तीन चार वर्ष के लिए है तथा क्या यह मूल्य उन मूल्यों से कम है जो हम पश्चिमी देशों को देते है ?

श्री इकबाल सिंह : यह करार इस वर्ष मई में हुआ था तथा इसके देने का समय मई/नवम्बर 1967, मई/जून 1967, मई/नवम्बर 1967, नवम्बर/दिसम्बर 1967 है । यह तिथियां करार में दे रखी हैं ।

श्री रंगा : क्या यह मूल्य उन मूल्यों से कम है जो इसके आयात के लिए हम पश्चिमी देशों को देते हैं ।

श्री इकबाल सिंह : एक सप्लाई के लिए तो हमने संसार से टेन्डर मांगे । इनमें जो सब से सस्ता टेन्डर था, वह 10,000 टन अमूनियम क्लोराइड का था तथा वह स्वीकार कर लिया । बाकी अन्यों के लिए जापान ने येन सिक्के के अन्तर्गत कुछ सहायता तथा कुछ ऋण दिया ।

श्री रंगा : आप ठीक सूचना नहीं दे रहे । मान लीजिये कि आप 400 में लेने को तैयार हैं और दूसरे उसका मूल्य 450 कहते हैं तो आप कह सकते है कि आपको सस्ता मिल रहा हैं । आप सीधा उत्तर दीजिये ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : क्योंकि निर्बाध विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी, यह खरीददारी येन ऋण में की जो देश को मिल रही थी । इसलिए जब हम जापान से खरीदते हैं तो हमें उन से ही बात करनी होती है और हम अनुभव करते हैं कि हमने ठीक मूल्य पर खरीददारी की है ।

श्री पे० वेकंटासुब्बया : येन ऋण में हमारे जापान के साथ करार में क्या सरकार ने वस्तु विनिमय की संभावनाओं के बारे में भी विचार किया है क्योंकि हम अपने देश से बहुत से कच्चे लोहे का निर्यात कर रहे हैं और यदि हां तो क्या परिणाम निकला ?

श्री इकबाल सिंह : इनकी आवश्यकता इसी वर्ष थी तथा इसे येन ऋण के अन्तर्गत इसी वर्ष के लिए खरीदा गया । यह वस्तु विनिमय वाणिज्य मंत्रालय के लिए है ।

Shri K. K. Nayar : I want to know the higher percentage of price at which we are giving it to our farmers on its purchase price ?

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से पूछना चाहिए क्योंकि हमने इसे जापान से खरीद कर उर्वरक पुंज में भेज दिया और वह मंत्रालय इसकी बिक्री के दाम का निर्णय करेगा ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्यों में इतना अन्तर क्यों है ? अमो नियम क्लोराईड का मूल्य निर्बाध विदेशी मुद्रा में 40 डालर है जब कि येन ऋण के अन्तर्गत इसे 46.79 डालर पर खरीदा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन मूल्यों की भारत में सिंदरी में तथा अन्य स्थानों पर जो उर्वरक उत्पन्न किया जाता है किस प्रकार तुलना होती है।

श्री इकबाल सिंह : यह वक्तव्य में दिया हुआ है। जब एक व्यक्ति नकद दाम लेकर खरीदने जाता है तो वह ऋण पर खरीदने वाले से सस्ते दामों पर खरीदेगा।

श्री पे० वेंकटासुब्बया: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनका सम्बन्ध तो केवल उर्वरक खरीदने से है जिसे बाद में उर्वरक मंत्री को दे दिया जाता है। फिर क्यों न इस प्रश्न को उर्वरक मंत्री को दिया जाये क्योंकि जो अनुपूरक प्रश्न होंगे उनका वह उत्तर दे सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न हैं। यदि आपको मूल्यों की तुलना करनी है तो दूसरे मंत्रालय का नाम देना चाहिए था।

श्री प० गोपालन : क्या कोयले पर आधारित कोरबा पर बनाया जानेवाला इस्पात का कारखाना अब समाप्त कर दिया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह कारखाना विश्व बैंक द्वारा सरकार पर डाले गये प्रभाव के कारण बन्द कर दिया है।

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री को भेजना चाहिए क्योंकि इस्पात के कारखानों के स्थापित करने के प्रश्न से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार जापान से और उर्वरक आयात करने का विचार रखती है तथा क्या जापान और अधिक उर्वरक देने की स्थिति में है ? क्या हम खाद्यानों के स्थान पर अधिक उर्वरक आयात करने का विचार रखते हैं ?

श्री इकबाल सिंह : जापान हमें और अधिक उर्वरक नहीं देगा तथा हमें उसके लिए विदेशी मुद्रा के साधन तलाश करने होंगे।

Shri O. P. Tyagi : In our country much of the compost fertiliser is used as a fuel. Whether government intend to save foreign exchange by preserving that ?

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से संबंध रखता है।

विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

+

* 362 श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रतिनिधित्व के आरक्षण की समय-सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्र० के० देव : संवैधानिक आरक्षण दस वर्ष से बढ़ा कर 20 वर्ष कर दिया है । क्या सरकार यह नहीं मान चुकी कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति सुधारने में असफल हो गई है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन लोगों को गैर-आदिम जाति तथा ऊंची जाति के लोगों के समान स्तर पर लाने के बारे में और अधिक कदम उठाने वाली है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : संविधान में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए अर्थात 25 जनवरी 1960 तक के लिए था परन्तु 1959 में इस विषय पर पुन : विचार किया गया और यह पता चला कि यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों ने कुछ प्रगति की है परन्तु वे अभी भी पढ़ाई लिखाई तथा प्रति व्यक्ति आय आदि के बारे में पिछड़े हुए हैं और इसी कारण यह अवधि 25 जनवरी 1970 तक बढ़ा दी है । इस अवधि को बढ़ाने के बारे में अभी सोचना समय से पूर्व होगा । मैंने यह भी बता दिया है कि उनकी स्थिति सुधारने के बारे में सरकार ने क्या किया है ।

श्री प्र० के० देव : इस बात को देखते हुए कि महाराजा त्रिपुर, श्री जयपाल सिंह, कुमारी रजनी गन्धा, सारन्धर की राजकुमारी आदि सब ऊंची जाति के लोगों से भी जीवन में अच्छे हैं, यद्यपि वह अनुसूचित आदिम जाति के टिकटों पर निर्वाचित होकर आये हैं, क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि आरक्षण आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए न कि जातियों के ऊपर ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या सरकार ने लोकूर समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया है जिसमें उसने कहा है कि कुछ आदिम जातियों तथा जातियों को अनुसूचियों में रखने तथा आरक्षण की और आवश्यकता नहीं है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : इस मामले पर विचार हो रहा है तथा बाद में निर्णय हो जायेगा ।

श्री धीरेन्द्र नाथ : तट के पास के हिन्दू जो ईसाई बन गये थे उन्हें आदिवासी नहीं समझा जा रहा है परन्तु जो देश के भीतरी क्षेत्र में लोग हिन्दूओं से ईसाई बन गये थे उन्हें आदिवासी समझा जाता है । भारतीय नागरिकों के साथ यह दो प्रकार का व्यवहार क्यों ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक आदिम जाति के लोगों का सम्बन्ध है उनके साथ धर्म के कारण कोई भेद नहीं बरता जाता और यदि कोई ऐसा मामला हो गया है और वह हमें बताया गया है तो हम इसको ठीक करेंगे ।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार के पास मैसूर की मोची जाति में कोई अभ्यावेदन भेजा है कि अब तक तो उन्हें अनुसूचित जाति माना गया तथा उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया तथा अब मैसूर सरकार अथवा भारत सरकार का कोई विचार है कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची से निकाला जाये और यदि हां तो उनके क्या कारण हैं ?

श्री अशोक मेहता : यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नामनार : सरकार का धर्म बदले हुए पिछड़े ईसाइयों तथा अन्य आदिम जाति के वर्गों के बारे में क्या नीति है ? क्या उन्हें भी संविधान में दी हुई सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है कि जहां तक आदिम जाति के लोगों का सम्बन्ध है उनके साथ धर्म के नाम पर कोई भेद भाव नहीं किया जाता । यदि कोई ऐसा मामला है तो हमें बताया जाये ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री महोदय ने अब तक केवल आदिम जातियों का ही जिक्र किया है परन्तु क्या यही नीति अनुसूचित जातियों के बारे में भी है ?

श्री अशोक मेहता : यह अलग मामला है । संविधान में यह स्पष्ट कर दिया हैं ।

श्री तुलसीदास जाधव : क्या सरकार कोलाटी नाम की एक छोटी परन्तु गरीब जाति को अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल करने का विचार रखती हैं ?

श्री अशोक मेहता : लोकुर समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने राज्य सरकार तथा पहली संसद के सदस्यों से बात की और उस बातचीत के आधार पर अब हमारे सामने कुछ सुझाव हैं जैसे ही मंत्री मंडल उन्हें स्वीकार कर लेगा एक विधेयक इसी सत्र में पुन स्थापन करेंगे ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आंध्र जैसे कुछ राज्यों में उन हरिजनों को जो ईसाई बन गये हैं अनुसूचित आदिम जाति के लोगों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता तथा जो आरक्षण अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को दिये जाते हैं वह उन्हें नहीं दिये जाते ?

श्री अशोक मेहता : संविधान की स्थिति के अनुसार इन सुविधाओं के उपयोग के लिए वही अनुसूचित आदिम जाति के लोग हों जो हिन्दू अथवा सिख हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह रियायतें राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में बाधा है तथा अनु- सूचित जातियों को कुछ विशेषाधिकार दिये हुए हैं क्या सरकार ने यह जांचा है कि इस आरक्षण से उन्होंने कितना लाभ उठाया है ?

श्री अशोक मेहता : प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आयुक्त एक प्रतिवेदन तैयार करता है और वह सभा पटल पर रखी जाती है। यह प्रति-वेदन संविधान के अन्तर्गत पेश किया जाता है तथा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है कि जो संरक्षण दिये गये हैं उनको किस प्रकार लागू किया जाता है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति जो असम चाय के बागात में कार्य करते हैं वे अपने उन प्रदेशों में तो आदिवासी समझे जाते हैं जहां से वे आये थे परन्तु असम में उन्हें आदिवासी नहीं समझा जाता तथा उन्हें वहा वे विशेषाधिकार तथा रियायतें भी नहीं दी जाती ?

श्री अशोक मेहता : मुझे उसका पता नहीं और यदि सदस्य महोदय मुझे ठीक सूचना दें तो में उस पर विचार करूंगां ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या सरकार ने कभी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का राज्य के ऊंचे सदनों में तथा राज्य सभा में असंतोषजनक प्रतिनिधान के बारे में विचार किया है।

श्री अशोक मेहता : जहां तक ऊंचे सदनों का सम्बन्ध है वहां कोई आरक्षण नहीं है।

डा० रानेन सेन : जब संविधान स्वीकार किया गया था तो यह ध्यान में था कि इस अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का स्तर सरकार के प्रयत्नों के कारण काफी हद तक ऊंचा हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विकास हो नहीं पाया है तो फिर क्या कारण है कि सरकार 1970 के पश्चात इस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है ?

श्री अशोक मेहता : मेरे सहयोगियों ने यह नहीं कहा कि सरकार इसे समाप्त करना चाहती है। उन्होंने तो केवल यह कहा है कि अभी इस पर विचार नहीं किया। पहले भी सरकार ने इस पर विचार 1959 में किया था जब अन्तिम अवधि 1960 थी इस समय वह अवधि 1970 है शायद सरकार 1969 में अपने सुझाव रखेगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आयोग के अतिरिक्त भी कोई मशीनरी स्थापित की है जो यह पता लगाये कि हरिजनों की स्थिति ठीक स्तर पर आ गई है और यह आरक्षण समाप्त होने चाहिए ?

श्री अशोक मेहता : वास्तव में वह आयुक्त ही सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है परन्तु समाज कल्याण का विभाग बहुत सी समितियां नियुक्त करता है। शायद आपको पता होगा कि

छुआछूत के बारे में भी एक समिति है जिसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है और हम उसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, at the time of elections some persons of the Tharu Community who inhabit the Indo-Nepal boundary in large numbers, met the Prime Minister who assured them to include in the list of Scheduled Tribes. Why this assurance has not been implemented ? Was it only to get their votes at that time and now you do not want to implement them ?

Shri Asoka Mehta : I have replied to it when I mentioned about the Lokur Committee. On the basis of recommendations of the Lokur Committee and after exchange of views with the members of Parliament, the government has framed certain proposals and the same are before the Cabinet. After the approval of the Cabinet we will bring a Bill and the members can table amendments to that. The assurances given by the Prime Minister will be implemented through this Bill.

Shri Sheo Narain : Sir, the Lokur Committee wrote its report in a closed room without giving interview to any M. P. or M. L. A. Before finishing the reservations in 1970 will the government appoint a high power committee who will examine whether there is im rovement in the condition of Harijans or not ?

Shri Asoka Mehta : Inever said that this reservation will be finished after 1970. I do not know what the government will decide about it. It is not a fact that Lokur Committee wrote its report in a closed room. We had detailed discussion with the State governments and members of Scheduled Castes and sheduled Tribes from different states and asked for their opinion about the recommendions of the Committee. When the bill is introduced here, the members can take it to the Selection Committee or deal in the manner as they like most.

Shri S. M. Joshi : Is the minister aware that the Scheduled Castes in Maharashtra who have embraced Budhism have been given privileges by the government of Maharashtra which are given to Scheduled Castes ? Is it a fact that the Scheduled Caste leaders of Republican Party are now having parleys with the Central government to give such privileges in the whole country to Scheduled Castes who have embraced Budhism ?

Shri Asoka Mehta : I do not know which privileges the hon. Member is referring to ?

Shri Madhu Limaye : They are referring to reservations.

श्री अशोक मेहता : वे स्थानों का आरक्षण नहीं चाहते । आप वजीफों आदि की बात कर रहे हैं।

These facilities too cannot be given constitutionally but when government have finances with them they give the same to people of backward classes. We are making efforts to secure these for them in adequate number.

श्री हुमायून कबीर : क्या यह बतायेंगे कि सरकार के पास आरक्षणों को कुछ कुछ अवधि के पश्चात हटाने की योजना है ताकि इन्हें एक ही समय में न हटाया जाये बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ वर्षों में हटाया जाये ?

श्री अशोक मेहता : अभी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। फिर भी मैं इस सुझाव पर विचार करुंगा।

श्री जेवियर : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उन आदिम जाति के लोगों में जो हिन्दू हैं अथवा जो इसाई बन गये हैं में कोई भेद नहीं रखा है। क्या सरकार अनुसूचित जातियों के बारे में भी यही नीति अपनायेगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक रियायतों का सम्बन्ध है वे केवल उन अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाती है जो हिन्दू धर्म के हैं और सिख हैं क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है और मैं उसीका पालन करुंगा। यदि वे अपना धर्म परिवर्तन करते है तो हमारा प्रयत्न यह होता है कि उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें पिछड़ी जातियों की सुविधायें देते है।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न को लें।

उर्वरकों के उत्पादन के लिये कुवैत के साथ सहयोग

\+

* 363. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामवन्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधुलिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री श्रीधरन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों के उत्पादन के लिये कुवैत के साथ सहयोग करने के लिये सहमत हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों में; और

(ग) इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) ; प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : Will you please tell the countries with whose collaboration we want to solve our manuring problem ?

Shri Asoka Mehta : There are many proposals before us and one of them is from private sector for collaboration in Kuwait. Apart from this there is one with America. Again we areaving it on deferred payment basis with Japan. We are making efforts to have it with other countries as well as with Germany.

Shri Yashpal Singh : I want know as to what is our requirement now and how much we are getting and when shall we be self-sufficient ?

Shri Asoka Mehta : By the end of Fourh Plan our requirement will be 24 Lakh Ton nitrogen and 10 Lakh Ton phosphate fertiliser. Our effort is to produce in our country 17 lakh ton nitrogen and 7 to 8 lakh ton phosphoric fertilisers, we are taking action in that direction. For more details please table another questions,

Shri S. C. Samonta : I know the countries which are prepared to cooperate in the Haldia fertiliser project and what are their conditions ?

श्री अशोक मेहता : हल्दिया उर्वरक कारखाने के बारे में सिलिप पेट्रोलियम ने ही सुझाव दिया है। वे एक मास में पूरा उत्तर देंगे।

Shri Madhu Limaye : At the time of decision about the setting up of these fertiliser factories the hon. Minister in reply to my question had stated to make factories to produce fertiliser from naptta. But their was a news item that a Bombay firm with the help of foreign countries was manufacturing it on the basis of liquid ammonia. I want to know which is correct the assurance of the Minister or the news item ?

Shri Asoka Mehta : We have received a suggestion from a private firm that they want set up fertiliser company in collaboration with a Kuwait Fertiliser and chemical company. According to that proposal they would import liquid ammonia from Kuwait for some years but with that sulphur will also be imported from Kuwait. We are considering their proposals but government has not decided about that.

Shri Madhu Limaye : Will there be a charge in your previous assurance as you had not mentioned about sulphur then and if there will be change, please tell us what is that ?

श्री अशोक मेहता : आज संसार में सलफर की बड़ी कमी है। हमारे देश में जो कारखाने चल रहे है हम उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में सलफर नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सलफर की मांग और भी बढ़ने वाली है हम सलफर बनाने के बहुत से तरीकों पर विचार कर रहे हैं तथा उसे बहुत से साधनो से प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि पर्याप्त मात्रा में सलफर प्राप्त करने के लिये हमें एक लिंक सप्लाई पर विचार करना चाहिये अथवा नहीं। सरकार जब निर्णय कर लेगी तो वह सुझाव सदन के सामने आयेगा और उस पर यहाँ विचार होगा। अभी हमने इसके बारे में निर्णय नहीं किया है।

Shri S. C. Jha : The minister stated that they were having discussions with Kuwait, Japan and America for collaboration in fertiliser. I want to know what are their terms of agreement and whether there are some political strings attached to it or not ?

Shri Asoka Mehta : The proposals of the private firm are before the government and are being examined and it is difficult to say anything about that at this stage There is no political pressure on government about these plants and if it comes, government has sufficient strength to resist it.

Shri Maharaj Singh Bharati : We require as much potash for our crops as we require phosphorus. According to my information and according to the assurance given by the hon. minister there is ment on of nitrogen and phospheorus only and not of potash. In view of this are the government thinking of setting up a potash factory in public sector or in private sector or in collaboration with a foreign firm.

Shri Asoka Mehta : We have to import it as we do not have raw-material in our country to produce it. We are trying to Make progress in this field but we do not expect to succeed in manufacturing potash-fertiliser by the end of Fourth Plan.

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब कि हम उर्वरक आयात कर रहे हैं, हमारे उर्वरक संयंत्र पूरी क्षमता पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : यह एक पृथक प्रश्न है। जब यह आयेगा तो मैं इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दूंगा।

श्री नारायण रेड्डी : आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में दो उर्वरक संयंत्र लगाने का एक प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव का क्या बना ?

श्री अशोक मेहता : किसी विशिष्ट राज्य में सरकारी संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में मुझे पता नहीं है। हम सरकारी क्षेत्र में एक साथ चार संयंत्र स्थापित कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकारी क्षेत्र के संयंत्र स्थापित करते समय सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत है ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इन चारों संयंत्रों के स्थानों के बारे में फैसला किया जा चुका है।

श्री रंगा : कहां पर ?

श्री अशोक मेहता : वे तेल शोधक कारखानों के पास है। एक कोचीन में है, दूसरा बरौनी में, तीसरा नामरुप में और चौथा दुर्गापुर में।

श्री रंगा : उस पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री अशोक मेहता : आर्थिक दृष्टि से उर्वरक संयंत्रों को तेलशोधक कारखानों के निकट स्थापित करना अधिक अच्छा है जहां पर कि उर्वरक तैयार करने के लिये तेलशोधक कारखानों का वे अपव्यय उत्पादन काम में लिये जासकते हैं।

Shri Madhu Limaye : There is a refinery in Vishakha Patnam also,

श्री अशोक मेहता : विशाखापटनम में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि इस वर्ष चालू हो जायेगा।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पहले उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के बारे में विदेशी कम्पनियों और भारत सरकार के बीच बातचीत चली थी। क्या यह सच है कि वह बातचीत रुक सी गई है क्योंकि भारत सरकार ने नैफ्था पर आधारित संयंत्र चाहती थी और विदेशी कम्पनियां अमोनिया पर आधारित संयंत्र, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की अन्तिम नीति क्या है ?

श्री अशोक मेहता : विदेशी कम्पनीयों से बातचीत इस विषय पर चल रही है कि क्या वे भारत में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग करेंगी। जैसा कि मैंने बताया अभी तक केवल एक

प्रस्ताव आया है जो कि बम्बई की एक फर्म ने दिया है कि वह फर्म कुवेत कवेत फर्टिलाइजर एंड केमिकल कम्पनी के सहयोग से एक संयंत्र स्थापित करना चाहती है और उन्होंने कहा है कि कुछ समय के लिये उन्हें तरल अमोनिया और सलफर आयात करना होगा जिसका परिणाम एक तो यह होगा कि संयंत्र शीघ्र चालू हो जायेगा और दूसरे यह कि इससे काफी समय तक सलफर के संभारण का आश्वासन मिलेगा। हम इस विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और हमने इस बारे में कोई राय नहीं बनाई है। उस प्रकार के कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या नामरूप उर्वरक कारखाना चालू हो गया है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री अशोक मेहता : यह इस वर्ष चालू होगा। जैसा कि मैंने बताया इस कारखाने की क्षमता को दुगना करने का निर्णय किया गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या प्रदीप में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया था। और यदि हाँ, तो उसका क्या बना ?

श्री अशोक मेहता : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव का पता नहीं है जो कि सरकार के सामने हो।

श्री राम किशन : क्या उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में शिवरमन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और दूसरे क्या नंगल उर्वरक संयंत्र के विस्तार के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो किस हद तक ?

श्री अशोक मेहता : समूचा उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम कृषि मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया है जो कि शिवरमन समिति की सिफारिशों के अनुसार है। जहां तक नंगल उर्वरक संयंत्र का सम्बन्ध है इसमें इस समय 164 मेगावाट बिजली खर्च हो रही है और मैं नहीं समझता पंजाब सरकार इसमें रुची रखती हो कि वह नंगल उर्वरक संयंत्रो में अधिक बिजली खर्च होने की अनुमति दे।

श्री नेन्नेटी विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि एक बार यह प्रस्ताव था कि एक सरकारी क्षेत्र का संयंत्र आंध्र में स्थापित किया जायेगा ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार चार संयंत्र स्थापित करने जा रही है, क्या सरकार एक संयंत्र आंध्र प्रदेश में कोठागुड्डम के स्थान पर स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि मैंने अभी बताया चारों संयंत्रों के स्थान चुन लिये गये हैं। जहां तक कोठागुड्डम का सम्बन्ध है वहां पर एक गैरसरकारी कम्पनी है जिसके पास औद्योगिक लाइसेंस है और हम उनसे पता करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या वे प्रस्ताव को कार्य रूप देने जा रहे हैं अन्यथा हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री तिरुमल राव : आंध्र प्रदेश में उर्वरक की भारी मांग है। माननीय मंत्री ने कहा कि एक गैर-सरकारी कम्पनी को दिये गये लाइसेंस के क्रियान्वित होने की संभावना नहीं है। क्या सरकार इसको सरकारी क्षेत्र में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लाइसेंस के रद्द किये जाने के पश्चात ही हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या संयंत्र कोठागुड़म में स्थापित किया जाना चाहिये या किसी अन्य स्थान पर। काकीनाडा में एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राज्यों की ओर बकाया ऋण की राशि

\+
* 364. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को राज्यों की ओर ऋण की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) यह राशि कब तक वसूल की जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) 30, अप्रैल 1967 की जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। हां, 31 मार्च 1967 को बकाया ऋण लगभग 4600 करोड़ रु० के थे।

(ख) ऋणों की संख्या 10.000 से भी ऊपर है और उनके परिपक्व होने की अवधि भी ऋण लेने की तारीख से 1 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। इसके अतिरिक्त ऋण भी लगातार दिये जा रहे हैं। अतः यह बताना कठिन है कि किस वर्ष तक ऋणों का पुनः भुगतान हो जायेगा।

श्री दामानी : क्या विशिष्ट परियोजनाओं के लिये दिये गये, ऋणों का उचित उपयोग किया गया है अथवा कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें ऐसा नहीं किया गया है ?

श्री कृ० चं० पन्त : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। यदि उनके दिमाग में कोई विशिष्ट योजना है तो वह उसके बारे में हमें बताये।

अध्यक्ष महोदय ; आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री दामानी : बैंक जो ब्याज लेती है उसमें और इन ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री कृ० चं० पन्त : ऋणों का सम्बन्ध लम्बी अवधि से है। कुछ ऋणों का पुनः भुगतान कर दिया गया है ; कुछ अन्य ऋण राज्यों को दिये जाते हैं। बैंक दर बताना बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : ब्याज की प्रतिशतता।

श्री कृ० च० पन्त : लगभग 10,000 ऋण हैं और उनकी ब्याज की दरें अलग अलग हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : What is the name of the State against which the greatest amount of loan is outstanding and have any of the States requested for the grant of more prium on their loans, if so, what is the reaction of the Government thereto ?

Shri K. C. Pant : I am afraid I do not have the state-wise information, but certain states have asked for more prium in connect on with certain loans.

Shri Prakash Vir Shastri : The names of those States ?

Shri K. C. Pant : They are Punjab, Bengal and Madras and it does not relate to those States whom loans have been paid in full.

Shri Prem Chand Verma : What are the nime of those states which are not making regular repayment of the loans given to them and what steps are being taken by the Government to realise the loans frum the defaulting states.

Shri K. C. Pant : I cannot give this information of & hand......(Interreption).

श्री कृष्णमूर्ति : क्या मद्रास के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से ऋण और ब्याज के भुगतान को विलम्बित करने के लिए कहा था और यदि हां, तो वित्त मंत्री ने उसका क्या उत्तर दिया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : मद्रास के मुख्य मंत्री मुझे हाल ही में मिले थे और उन्होंने इसके लिये कहा था। परन्तु कठिनाई यह है कि राज्यों से इस वर्ष लगभग 145 करोड़ रुपये ब्याज और ऋणों की अदायगी के रूप में लिया जाना है। यदि मैं एक राज्य के लिए ऐसा करता हूं तो अन्य राज्यों के लिये भी ऐसा करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे बजट में 195 करोड़ रुपये की कमी करनी होगी जो कि संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मैं उनको वह नहीं दे सकूंगा जिसका मैंने वचन दिया है।

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether in view of the prevailing famine condition in Bihar, Government of Bihar have requested the Centre for a more prium in the payment of loan outstanding against it, and if so, the reaction of the Central Government thereto ?

Shri K. C. Pant : It was reported in a section of the press some months back that they had suspended the repayment of debt unilaterally, Later on the matter was taken up with them and they eventually agreed to repay the loans.

Shri Bhogendra Jha : The question was that the realisation of loan and interest should be suspended for the current year.

Shri Morarji Desai : Whatever aid is required for the year by the scarcity areas, we do give that.

श्री रा० बरुआ : क्या किन्हीं राज्यों ने अपने आप ही ऋणों की अदायगी को स्थगित कर दिया है ?

श्री मुरारजी देसाई : वे ऐसा किस प्रकार कर सकते है ?

प्रश्न संख्या 365 के बारे में
RE : QUESTION NO. 365

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 365 ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

दिल्ली और नई दिल्ली को आकर्षक बनाना

+

* 366. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली को आकर्षक बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा खर्च के लिए मंजूर की गई राशि मूल नियतन से अधिक हो गई है;

(ख) क्या सड़कों तथा नई दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के साधारण बल्बों के स्थान पर बिजली की भव्य प्रकाश वाली व्यवस्था करने तथा सर्करी और फ्लोरेसेंट बल्ब लगाने के लिये उनके मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है;

(ग) क्या नई दिल्ली में बस स्टापों पर सुन्दर खोखे (किआस्क), कोण वाले सड़क नाम पट्ट आदि पर व्यय उनके मंत्रालय के परामर्श से किया गया है; और

(घ) भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित मदों पर अनुमानतः कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) ; (क) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 561/67]**

(ख) और (ग) : जी नहीं। ये मुख्यतः स्थानीय महत्व के विषय हैं और ऐसे कार्य पूर्णतः अपने विवेक के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा किये जाते हैं। इन कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को न तो कोई अनुदान दिया गया है और न उन्हें करने के लिए उन्होंने भारत सरकार की पूर्वानुमति ली है। वस्तुतः इस प्रकार का खर्च करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी अपेक्षित नहीं है।

(घ) : उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित मदों पर नई दिल्ली नगरपालिका ने लगभग जो खर्च किया है वह इस प्रकार है :—

1.	बिजली की रोशनी में सुधार	—	7.20 लाख रुपये
2.	खोखे और कोषीय सड़क निशानों का निर्माण	—	1.60 लाख रुपये

8–6–1967 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण ।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

दिल्ली प्रशासन

दिल्ली प्रशासन सर्कल के केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1964–65 और 1965–66 के वर्षों में आकर्षणवर्धन का केवल एक कार्य किया था और वह था लालकिले वाली शहरी दीवाल और रिंग रोड के प्रथम चरण के बीच के क्षेत्र की भू-दृश्य विकास योजना । इस काम पर 93,400 रुपये की लागत आने अनुमान किया गया था जिसमें से केवल 81,472 रुपये ही खर्च हुए है । अतः अनुमोदित प्राक्कलनों से खर्च में कोई अधिकता नहीं हुई है ।

दिल्ली नगरनिगम

आकर्षणवर्धन के कामों में महत्वपूर्ण सड़कों पर द्विमार्गी यातायात के लिए बीच में विभाजकों में सुधार करने तथा फुट पाथों और प्रमुख चौराहों के साथ-साथ जी० आई० पाइपों के रेलिंग तैयार करने के काम किये गये । 1965–66 में इन कामों के लिये जहां 1.50 लाख रुपये नियत किये गये थे वहां खर्च, 1,07,578 रुपये ही हुए तथा 1966–67 में 2 लाख रुपयों के नियतन की तुलना में 60 हजार रुपये ही खर्च हुए । इस प्रकार मूलतः जितना नियतन किया गया था खर्च उससे अधिक नहीं हुआ ।

नई दिल्ली नगरपालिका

नई दिल्ली नगरपालिका में 'आकर्षणवर्धन' शीर्ष के अन्तर्गत कोई अलग नियतन नहीं किया जाता ना हीं दिल्ली-प्रशासन इस कार्य के लिए कोई अनुदान देता ।

Shri Bhogendra Jha : The main question relates to the provision of mercury bulbs and of kiosks at the bus stops. This operative part of the question has not been answered. I want to know whether the suggestion with regard to these fixtures had not been given or that the suggestion was turned down to effect economy.

डा० श्री चन्द्र शेखर : यह सब जानकारी सभापटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ।

Shri Bhogendra Jha : Sir, there was a suggestion for the replacement the ordinary bulbs by the mercury bulbs and another for the beautification of the bus stops. The hon. Minister has not dealt with these suggestions. What does the hon. Minister propose to do with regard to them ?

डा० श्री चन्द्र शेखर : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, दिल्ली में यातायात सम्बन्धी समिति ने 1963 में प्रकाशित किये गये अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हमें बत्तियों को बदलना चाहिए और यह कर दिया गया है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मामले पर नगर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय को सम्बोधित किया गया गया है, परन्तु......

अध्यक्ष महोदय : यह स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तातंरित कर दिया गया है।

श्री म० ला० सोंधी : क्या माननीय मंत्री कभी जोरबाग से उसके साथ लगते हुए इलाके में गये हैं या गोल्फ लिंग्स से लोधी रोड पर करबला गये हैं और क्या उन्होंने देखा है कि अचानक ही मर्करी बल्ब समाप्त हो जाते हैं और साधारण बल्ब शुरू हो जाते है ? इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यातायात के ठोस सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय न करके शान रहने वालों और सेवा करने वालों में भेद किया जाता है जो कि गांधीजी के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

डा० श्री चन्द्रशेखर : मेरे विचार से ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया है।

श्री म० ला० सोंधी : कुछ स्थानों पर भव्य प्रकाश देने वाली बत्तियां नहीं लगाई गई है और साधारण प्रकार की बत्तियां ही वहां जलती रहती हैं।

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह कार्यक्रम कुछ अवस्थाओं में पूरा होगा।

श्री हेम बरुआ : इससे यह आशा की जाती है कि दिल्ली के अन्य अन्धकारपूर्ण स्थानों की भी बारी आयेगी।

Shri Raghbir Singh Shastri : May I know whether the Government bear this thing in mind that India is country of poor people, crores of whom are starving for want of food ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : इस हालत में भी जहाँ सम्भव होता है वहां हम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कुछ स्थानों को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जाता है।

श्री बलराज मधोक : क्या सरकार ने सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कालोनियों को भी सुन्दर बनाने पर कभी सरकार ने विचार किया है ? क्या दिल्ली को सुन्दर बनाने की वर्तमान योजना में ये कालोनियां भी सम्मलित हैं ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : ये कालोनियां नई दिल्ली नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में आती हैं। इन कालोनियों में आधुनिक सुविधायें जुटाने और उन्हें सुन्दर बनाने का प्रयास उपलब्ध संसाधनों की सीमा में किया जा रहा है।

Shri Sheo Narain : I would like to know whether there is a scheme for beautification of whole of India instena of beautifying Delhi only ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि 20वीं योजना तक सारे देश को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Delhi Municipal Corporation have asked for any financial help for implementing this scheme of beautificati. n, if so, the quantity thereof ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध है, उसने वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है।

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली को सुन्दर बनाने के कार्यक्रम से परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या सहायता मिलेगी ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : बिजली के प्रकाश से आकर्षक बनाये गये स्थानों तथा निम्न उर्वरता दर में घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि ऐसे दर्शनीय स्थान होंगे तो दम्पत्ति वहां घूमेंगे और रात को देर में सोयेंगे।

Shri M. A. Khan : Is it not possible to utilise this money, which is being spent on beautification programme, for giving relief to those, who are starving to deaths.

डा० श्री चन्द्रशेखर : इस पर केवल कुछ लाख रुपया खर्च किया जाना है, जिससे वह समस्या पूरी तरह हल न हो सकेगी।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

बिहार को तेल की सप्लाई

+

अ०प्र०सं० 9. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री रामवतार शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कम्पनी बिहार को उसके कोटे का तेल सप्लाई नहीं कर रही है;

(ख) क्या बिहार को तेल की सप्लाई बज बज से की जाती है, बरौनी से नहीं जो कि बिहार के मध्य में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार को अविलम्ब तेल सप्लाई करने के लिये तथा उसे बरौनी के साथ लगाने के लिये तत्काल कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) : भारत के तेल निगम द्वारा बिहार को तेल-उत्पादों का पूरा कोटा दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) : बिहार की तेल उत्पादों सम्बन्धी पूरी आवश्यकता गोहाटी तथा बरौनी तेलशोधक कारखानों से पूरी की जाती है। केवल मिट्टी के तेल की सप्लाई बज बज (कलकत्ता) से की जाती है।

Shri Bhogendra Jha : May I know whether the Government are aware of the fact that the quota of Kerosene oil for Bihar, which is supplied by Buz Buz, had not been supplied to Bihar for last several months, which is causing hardships to the people of Bihar ? They are living in dark without it.

श्री रघुरामैया : बरौनी में भी मिट्टी का तेल तैयार किया जाता है। इसके कुल उत्पादन में से तीन या चार हजार टन मिट्टी का तेल स्वयं बिहार में उपभोग में लाया जाता है और शेष बज बज तथा कुछ मात्रा में आसाम से मंगाया जाता है।

मई के महीने तक मिट्टी के तेल की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी। 31 मई को इस आशय का एक पत्र मिला था कि कोटे से कम तेल बिहार को सप्लाई किया जा रहा है। इस मामले पर ध्यान दिया गया और सम्बन्धित कम्पनियों को पूरा तेल देने के लिये आदेश दे दिये गये थे। उसके बाद कोई शिकायत नहीं मिली है।

Shri Shiv Chandra Jha : How does the per worker output in Barauni oil refinery compare with the All India average per worker output ? What steps are being taken by the Govt, to increase the labour productivity in that refinery ?

श्री रघुरामैया : यह एक पृथक प्रश्न है और इसके उत्तर के लिये पृथक से सूचना दी जानी चाहिये।

Shri Yogendra Sharma : There is Kerosene oil crisis in the villages of Bihar. It is due to the fact that the Kerosene oil is supplied to Bihar from Buz Buz, a place for far away from Bihar, and not from Barauni oil refinery, which is in Bihar itself Will the Govt. make such an arrangement as to make the Kerosene available to Bihar from Barauni refinery ?

श्री रघुरामैया : यह एक एकीकृत व्यवस्था है। बरौनी के तेलशोधक कारखाने में कुल 8 से 10 हजार टन तक मिट्टी का तेल तैयार किया जाता। जिसमें से तीन से चार टन तक मिट्टी का तेल बरौनी – कानपुर पाइप लाइन में तकनीकी कारणों से छोड़ना पड़ता है। इस कारण स्थानीय उपभोग के लिये केवल 3 या 4 हजार टन तेल बच जाता है और बिहार के लिये शेष तेल आसाम या बज बज से मंगाना पड़ता है।

Shri Ishaq Sambhali : Will the Govt. please to tell whether the Govt. have received any complaint regarding shortage of Kerosene oil from the Chief Minister of Bihar; if so, whether the Govt. have taken the steps to remove that complaint ?

श्री रघुरामैया : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। अप्रैल के आखरी या मई के शुरू के सप्ताह में तेल की कुछ कमी आ गई थी क्योंकि तेल वाहक जहाजों के बाहर से आने में देर हो गई थी। परन्तु तेल की सप्लाई न्यूनाधिक रूप से ठीक ही बनी रही थी।

Shri Ramavtar Shastri : If the supply of kerosene oil to Bihar is satisfactory, why is there shortage of kerosene oil in North Bihar. What is the retail price of it fixed there.

श्री रघुरामैया : फुटकर कीमत तो मैं नये प्रश्न की सूचना मिलने पर ही बता सकूंगा। जहां तक सप्लाई में कमी की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि कहीं पर कमी है तो उस पर ध्यान दिया जावेगा।

Shri Bibhuti Mishra : The people of Bihar made complaint to the Minister, Shri Kapil Dev Singh, who toured the backward areas of Bihar last month, that they are not receiving kerosene oil. Is it a fact ? If so, what action have the Govt. taken to ensure the full supply of kerosene oil to Bihar ?

श्री रघुरामैया : यदि माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कमी है तो हम वहां मिट्टी का तेल भी शीघ्र ही सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिट्टी का तेल काफी है।

Shri K. N. Tiwari : What is the quota of kerosene oil allotted to Bihar State and the quantity per month supplied to Bihar during last 6 months ?

श्री रघुरामैया : अक्टूबर 1966 में 15,500 टन मिट्टी के तेल का कोटा निश्चित किया गया था, परन्तु वहां इतने तेल की खपत न हो सकी। इसलिये दिसम्बर 15 191 टन. और दूसरे महीनों में 11000 या 12000 टन तेल बिहार को दिया गया। बाद के किसी भी महीने में मांग इतनी अधिक नहीं रही।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को कोई इस आशय का पत्र मिला है कि कमीशन की मात्रा कम होने की वजह से व्यापारी लोग अपना तेल का कोटा नहीं उठा रहे हैं ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री रघुरामैया : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु मैं इस मामले में पूछ-ताछ करूंगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : स्वयं मैंने एक पत्र आपको लिखा था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Per Capita Income in Developing Countries

365. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Planning be pleased to state

( ) whether his attention has been drawn to the study undertaken by the Agency for International Development wherein it has been said that there has been less increase in per capita income in the developing countries;

(b) if so, the main findings thereof; and

(c) the steps taken to expedite the economic growth in the country in view of the said findings and the steps proposed to be taken in the matter in future ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Meht ·) : (a) No such special study by the Agency for International Development has come to my notice.

(b) and (c) Does not arise.

उर्वरक उद्योग

* 367. श्री एस्योस : श्री उमानाथ :

श्री विश्वनाथ मेन्न : श्री प० गोपालन :

श्री अब्राहम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 और 1966-67 में भारत में उर्वरक उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा कितनी क्षमता का प्रयोग किया गया था ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : 1965–66 तथा 1966-67 में स्थापित क्षमताएं (सक्रिय) क्रमश: 290,000 तथा 435,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की थी। नाइट्रोजन का वास्तविक उत्पादन क्रमश: 233,317 मीटरी टन और 307,936 मीटरी टन था।

Foreign Exchange Held By Indians Residing in East Africa.

* 368. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Indians residing in East African countries have foreign exchange worth millions of rupees deposited in the banks in England and Switzerland;

(b) whether Government have made any efforts to ensure that this amount is deposited in Indian Banks instead of foreign banks; and

(c) the reasons which make the Indians abroad deposit their money in the U. K. banks instead of in the Indian Banks ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Government have no information since these are non-residents for exchange control purposes and our regulations do not apply to them.

(b) Government have taken some steps to induce such remittances to India.

(c) It is difficult to surmise the reason for this beyond the general point that U. K. is widely accepted by many for keeping their foreign exchange reserves.

ऋण देने पर प्रतिबन्ध

*369. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : डा० राममनोहर लोहिया :
श्री यशपालसिंह : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये : श्री महाराज सिंह भारती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में ऋण देने पर प्रतिबंध लगाये जाने से व्यापारियों को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से वस्तुओं का व्यापार करने वाली कई फर्मों को वित्तीय कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या कपड़ा व्यापार को उपलब्ध होने वाला ऋण उसकी 50 प्रतिशत आवश्यकता ही पूरी कर सकता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण को उदार बनाकर उनकी सहायता करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) ऐसा मालूम हुआ है कि रिजर्व बैंक के दिनांक 28 अक्टूबर 1966 के इस निदेश के, कि बैंकों को अपनी मौसमी ऋण देने की क्षमता का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उद्योग और निर्यात/आयात में लगे लोगों को देना चाहिये, अनुसरण में अप्रेल 1967 के प्रारम्भ में व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण को सीमित कर दिया था। हो सकता है इससे कुछ व्यापारियों को कठिनाई हुई हो। परन्तु उस स्थिति में अब तक सुधार हो जाना चाहिये था क्योंकि रिजर्व बैंक का निदेश 28 अप्रेल 1967 से लागू नहीं रहा था।

(ग) वस्त्रायुक्त द्वारा जारी किये गये परमिटों पर गत वर्ष मिले ऋण का 85 प्रतिशत वाणिज्यिक ऋण इस वर्ष भी मिल सकता है।

(घ) रिजर्व बैंक ऋण-सीमा को बढ़ाने के लिये दिये गये आवेदन-पत्र पर उसकी विशिष्टता के आधार पर विचार करता है।

बैंको का राष्ट्रीयकरण

*370. श्री कृष्ण मूर्ति : श्री चं० बु० देसाई :
श्री यशपालसिंह : श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री रा० बरुआ : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पांडेय : श्री शिवचन्द्र झा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का है, जिनके मालिक गैर-सरकारी लोग हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो मूल्य स्थिर बनाये रखने के लिए बैंकिंग उद्योग पर और क्या नियंत्रण रखने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार इस बात का अध्ययन कर रही है कि बैंकों का काम करने वाली संस्थाओं को किस प्रकार से और किस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और सामाजिक प्रगति के निमित्त इन संस्थाओं पर प्रभावपूर्ण सामाजिक नियंत्रण लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कोटा में विद्युत जनन

• 371. श्री पी० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री नयानार :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मीठा लाल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा में टर्बाइन बिजली पैदा करने की लागत राजस्थान में बिजली पैदा करने की सामान्य लागत से लगभग 300 प्रतिशत अधिक है;

(ख) क्या उत्पादन लागत अधिक आने के कारण टर्बाइन को औपचारिक रूप से बन्द कर दिया गया था; और

(ग) टर्बाइन को फिर से चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। कोटा में गैस टर्बाइन से बिजली पैदा करने की लागत पन-बिजली व वाष्प बिजली घरों में उत्पन्न बिजली की लागत से बहुत अधिक है।

(ख) बिजली पैदा करने पर अधिक लागत आने के कारण गैस टर्बाइन को 16 जून, से चलाया नहीं गया। परन्तु तीव्र गति डीजिल तेल पर उत्पादन शुल्क अंश रूप से हटा लेने के पश्चात् इस गैस टर्बाइन को 13 अप्रैल, 1967 से फिर चालू कर दिया गया। परन्तु 18 मई, 1967 से इस टर्बाइन को मशीन में कुछ खराबी आ जाने के कारण फिर बन्द करना पड़ा।

(ग) तब्दीली के लिए पुर्जों का आयात कर लिया गया है। टर्बाइन को शीघ्र ही दुबारा चालू करने की संभावना है।

हल्दिया में तेल शोधक कारखाना

• 372. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामकिशन गुप्त : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हृ० प० चटर्जी : **श्री ना० स्व० शर्मा :**

श्री रामसिंह अग्रवाल :	डा० रानेन सेन :
श्री शारदा नन्द :	श्री रा० बरुआ :
श्री बृजभूषण लाल :	श्री काशी नाथ पांडे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :	श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकार सिंह :	श्री श० ना० माहती :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री चं० चु० देसाई :	श्री अ० कु० किस्कु :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से विदेशी सहयोग के लिये बातचीत पूरी हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामला अभी तक विचाराधीन है।

आय-कर विभाग में इलैक्ट्रानिक कमप्यूटर

* 373. **डा० रानेन सेन :**

श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालयों में हिसाब-किताब की मशीनें और इलेक्ट्रानिक कंम्प्यूटर लगाये गये हैं;

(ख) क्या कार्य अध्ययन (वर्क-स्टडी) के आधार पर काम का पुनर्गठन करना आरम्भ किया गया है; और

(ग) क्या हिसाब-किताब की मशीनें तथा कमप्यूटर लगाने तथा काम के पुनर्गठन के बारे में कर्मचारी संगठनों से परामर्श किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। केवल वेतन पर कर निर्धारण के मामलों में ही कर का हिसाब किताब आई० बी० एम० और अन्य कम्पनियों की मार्फत मशीनी प्रक्रिया से दाम देकर कराया जा रहा है।

(ख) जी, हां। आयकर अधिकारियों में काम के वितरण तथा निर्धारण का सामान्य ढंग अब तक यह रहा है कि आय-कर अधिकारी को उसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विशेष कर-निर्धारिती अथवा कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में सभी कार्य सौंपे जाते हैं। हाल

ही में निर्णय किया गया है कि काम का पुनर्गठन किया जाय जिससे काम करने की कार्यात्मक पद्धति शुरू की जा सके। यह निर्णय 4 रेंजों में इस पद्धति से किये गये काम का अध्ययन करने के बाद लिया गया। इस पद्धति को चालू वर्ष में 716 आयकर परिमण्डलों में लागू किया जायगा जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत कर से प्राप्त राजस्व आ जायेगा।

(ग) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता। जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है, विभाग में कार्यात्मक पद्धति के आधार पर काम का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कर्मचारी संगठनों को परिचय देने और इस योजना को सफल बनाने में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी है।

FAKE COLONISING SCHEMES IN DELHI :

* 374. Shri Mohan Swarup :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri George Fernandes :
Shri Madhu Limaye :
Shri J. H. Patel :
DR. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain persons of Delhi have started the business of selling residential plots of preparing fake colonising schemes ;

(b) if so, the number of such Housing colonisers in Delhi with their names ;

(c) whether it is also a fact that the residential plots purchased by many persons have been declared non-existent ; and

(d) if so, the reaction of Government in regard to such cases ?

The Minister of Works Hovsing and Supply (Shri Jaganath Rao) (a) to (d) : It has come to the notice of Government that certain persons are selling land/plots in different areas of Delhi and its neighbourhood with- out getting the lay-out plans sanctioned from the competent Local Authority and developing those lands in accordance with the prescribed standards. However, in most of the cases, in the sale-deeds it is indicated that the land is agricultural and the seller is only transferring his rights in the said land to the buyer. The Government can take action only when the buyer files a complaint that the sale was made to him on wrong premises and certain material information was withheld from him. The Government have advised the prospective buyers through press advertisements, cinema slides and other media of publicity, not to purchase land without verifying that the lay-out plans of the land had been passed by the competent Authority,

नष्ट किये जाने वाले नोटों का प्रचलन

375. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धोका देही/जालसाजी के एक उस मामले की ओर दिलाया गया है जिसमें कई लाख रुपये के खराब नोटों को जिन्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया था वास्तव में नष्ट करने के स्थान पर प्रचलन में रख दिया गया था ;

(ख) क्या एक ही नम्बर के दो नोट भी चल रहे हैं ;

(ग) क्या इस अपराध के प्रति नरम दृष्टिकोण अपनाया गया था और अपराधियों को नाम मात्र अथवा साधारण दंड दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया जायगा और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शायद यह प्रश्न 1961 में हुए एक मामले के सम्बन्ध में पूछा गया है जिसमें ऐसे खराब नोटों को गायब करने का प्रयास किया गया था, जिन्हें रिजर्व बैंक ने नष्ट करने का आदेश दे दिया था । यह प्रयास नाकाम कर दिया गया था । जांच-पडताल से यह मालूम हुआ था कि जिन नोटों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था, वे प्रचलन में नहीं थे ।

(ख) एक ही नम्बर दो नोटों के चलन सम्बन्धी कुछ मामले सरकार के सामने आये हैं । तथापि, जांच से यह पता चला था इनमें से कुछ नोटों के नम्बरों को जान बूझकर बदलने का प्रयास किया गया था । इस प्रकार का कार्य करने का उद्देश्य क्या था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ मामलों में अभी जांच की जा रही है । केवल दो मामलों में छपाई की गलती से दुबारा नम्बर डाल दिये गये थे और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ग) खराब नोटों को गायब करने सम्बन्धी मामले में जांच पुलिस द्वारा की गई थी और तीन व्यक्तियों के ऊपर उस सिलसिले में मुकदमा चलाया गया था । परन्तु न्यायालय ने उन्हे मुक्त कर दिया था । विभागीय जांच के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को वर्खास्त कर दिया गया था और रिजर्व बैंक में काम करने वाले चार व्यक्तियों को दंड दिया जा चुका है । पुलिस के गुप्तचर विभाग ने इसके पीछे किसी षडयंत्र को खोजने का प्रयास किया था, परन्तु जांच पड़ताल से किसी भी प्रकार के षडयंत्र का पता न चला ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्य देशनांक दीर्घकालीन ऋण से सम्बद्ध करना

*376 श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य देशनांक की दीर्घकालीन ऋण के साथ सम्बद्ध करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

377 श्री काशी नाथ पांडे :

श्री न० प्र० यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने में अभी तक अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है, और

(ग) इसमें कब तक पूरी क्षमता से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

योजना पेट्रोलियम, और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी नहीं। 26 मई, 1967 से शोधक कारखाना अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार चल रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सिचाई की सुविधायें

*** 378 श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बढ़ती हुई खाद्य की कमी को अगले चार वर्षों में दूर करने के लिए सरकार ने एक करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा देने के लिए क्रान्तिकारी कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) ; (क) और (ख) : सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि चार चुनी हुई बृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जो निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं, त्वरित वित्तीय सहायता देनी चाहिये ताकि उन को चौथी योजनावधि में पूरा किया जा सके। ये चार परियोजनाएं बन कर तैयार हो जाने पर 80 लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता उत्पन्न करेंगी ; यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

पी० एल० 480 निधि पर रोक (मोरेटोरियम)

* 379 श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पी० एल० 480 निधि पर रोक लगाने के लिये अमरीकी सरकार से निवेदन करने का है;

(ख) क्या इससे भारत स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि के खर्च किये जाने पर बिल्कुल रोक लग जायेगी ; और

(ग) क्या अमरीकी सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

चौथी योजना में कृषि

380 श्री स० मो० बनर्जी :

श्री मधु लिमये :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में कृषि के लिये अधिक धनराशि नियत की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये व्यापक योजना बनाई गई है ; और

(ग) क्या इस बारे में योजना आयोग को सलाह देने हेतु विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया जायेगा ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : चौथी योजना परिव्यय का आकार तथा विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का पर्यवेक्षण किया जा रहा है । कृषि को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती रहेगी । परन्तु इस पर्यवेक्षण के पूरा होने पर ठीक ठीक क्षेत्रीय परिव्यय की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । कृषि विकास जिन व्यापक सिद्धान्तों पर होगा, उनका पहले ही निश्चय किया जा चुका है और प्रारम्भिक रुपरेखा में शामिल किये जा चुके हैं । आवश्यकतानुसार, वर्षवार कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है और उनके लिए आवश्यक परिव्यय आवंटित किया जाता है ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पंजाब नेशनल बैंक के अफसरों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

* 381 श्री अब्दुल गनी दार :

श्री रामसिंह आयरवाल :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1965 में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति के निर्देशपद क्या हैं ;

(घ) अधिकारियों के विरुद्ध जिन शिकायतों की जांच की जा रही है वे क्या हैं ;

(ङ) अन्तिम प्रतिवेदन कब दिये जाने की संभावना है ; और

(च) क्या सम्बन्धित अधिकारी अब भी उस बैंक में काम कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

(ख) और (च) चूंकि जांच-कार्य अभी चल रहा है, इसलिये इस समय उसका ब्यौरा देना ठीक नहीं है ।

(ग) और (घ) शिकायतें बैंक द्वारा कुछ प्रतिभूतियां खरीदने के सम्बन्ध हैं ।

(ङ) यह बताना कठिन है कि जांच-कार्य कब तक पूरा होगा ।

ASSISTANCE FROM U. K.

***382. Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Knmar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh ;
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether any indication has been given by the British Government that it is prepared to increase the quantum of their assistance to the tune of 10 per cent more than the previous year ;

(b) if so, the nature thereof ;

(c) whether any talks in this connection have been held between the officials of the Great Britain and the Government of India and whether any conclustions have been reached ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE-Shri Morarji Desai) : (a) No, sir.

(b) to (d) Do not arise.

उर्वरक का उत्पादन

***383. श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उर्वरक के लिए अतिरिक्त नाइट्रोजन की 20 लाख टन क्षमता बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा कमी काफी रह गई थी; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन के क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तीसरी योजना में क्षमता का लक्ष्य 1 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन था जबकि उपलब्ध क्षमता 0·585 मिलियन मीटरी टन थी।

(ख) कमी गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं की कार्यान्विति में देरी या असफलता के कारण हुई।

लेखा-बाह्य धन

384. **श्री देवेन सेन :**
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लेखा-बाह्य धन को वैध आय में बदलने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले तरीके की ओर दिलाया गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि कार्य में इसका विनियोजन करना तथा लेखा-बाह्य धन को कृषि से प्राप्त आय दिखाना है जिस पर अनेक राज्यों में कोई कर नहीं लगाया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से होने वाली गड़बड़ी। कर अपवंचन। लेखा-बाह्य धन को वैध आय में बदलने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां, सरकार को इस प्रकार के तरीकों का पहले से ही पता है।

(ख) कर निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान जब कभी आयकर अधिकारियों के सामने कृषि-भूमि में लगाये गये निवेशों का अथवा कथित कृषि जन्य आय का मामला उपस्थित होता है तब आयकर अधिकारी निर्धारिती से मांग करते हैं कि वह मामले की स्थिति के अनुसार कृषि-भूमि में निवेश के स्रोत के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करे अथवा कृषि-जन्य आय की मात्रा को सिद्ध करे। आयकर अधिकारी आवश्यक मामलों में स्वतन्त्र रूप से जांच भी करते हैं। अगर दिया गया स्पष्टीकरण मान्य नहीं है अथवा साक्ष्य से दावे की पुष्टि नहीं होती है तो निवेश की रकम और। अथवा कथित कृषि जन्य आय को अप्रकट आय के रूप में मान कर आयकर निर्धारित किया जाता है। चूंकि निर्धारितियों द्वारा अपनाया गया तरीका तथा इस प्रकार के मामलों से निपटने के तरीके से विभागीय अधिकारी पहले से ही परिचित हैं इसलिए इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक मालूम नहीं होती।

उर्वरक उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन

* 385. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री शशीरंजन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० साँघी :
श्री वेदव्रत बरूआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष हाल में दिल्ली आये थे और भारत में उर्वरक उत्पादन की संभावनाओं का नये सिरे से अध्ययन करने की सरकार को सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने की विश्व बैंक की उत्सुकता के बारे में भी सरकार को स्पष्ट संकेत दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। चौथी योजना वर्षों के दौरान कार्यान्वित होने वाली तथा अन्य अनुमोदित या निर्माणाधीन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले संभावित उत्पादन-स्तरों के संदर्भ में।

(ख) विचार था कि मान्य प्राक्कलनों का निर्णय हो जाये इससे आयात से पूरी की जाने वाली कमियों को जानने में सहायता मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार प्राइवेट पार्टियों के सभी उपयुक्त प्रस्तावों पर विचार करेगी।

कृष्णा गोदावरी जल विवाद

* 386. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी के विवाद के बारे में आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों के ऋणों का बट्टे खाते में डाला जाना

*** 387. श्री चं० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुग्रा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उनके ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाये

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र से लिए ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, उपर्युक्त दोनों मामलों में इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनकी प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) किसी राज्य ने इस बात के लिये प्रार्थना नहीं की है कि केन्द्र द्वारा उसे दिया गया ऋण बट्टे खाते में डाल दिया जाय । सरकार को किसी राज्य सरकार के ऐसे एकपक्षीय निर्णय का भी पता नहीं है जिसके अनुसार ऋण की अवधि बढ़ाई गई हो । तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने हाल में यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा किये जाने वाले केन्द्रीय ऋण के भुगतान को स्थगित कर दिया जाये, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे भुगतान शर्तों के अनुसार ही करें ।

अलाभप्रद योजनाएं

*** 388. श्री राम मूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने वाली अलाभप्रद योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले धन पर ब्याज लिया जाता है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि अलाभप्रद योजनाओं के लिये, ब्याज वाले ऋणों की सहायता के स्थान पर अनुदान दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) समुद्र से भूमि का कटाव रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण जैसी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिये दी जाने वाली कुल सहायता के अधीन ऋण के रूप में दी जाती है ।

कुछ राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया है कि ऐसी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाये । इस सुझाव को मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन योजनाओं को अलाभकर नहीं माना जा सकता ।

जीवन बीमा निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विभाजन

*** 389. श्री इन्द्र जीत गुप्त :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सेझियान : **श्री धीरेन्द्र नाथ :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री देवकीनन्दन पटोदिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को पृथक्-पृथक् एककों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से दक्षता में वृद्धि होने तथा लागत में कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को अलग-अलग एककों में बांटने के प्रश्न पर, प्रत्येक मामले में, सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा। उदाहरण के लिए, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस्पात, खान और धातु मंत्री द्वारा दिये गये उस उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जो उन्होंने 26 मई, 1967 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के सम्बन्ध में दिया था।

जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, इस मामले में सरकारी प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

इङ्गलैण्ड में भारतीय चिकित्सक

*** 390. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार को इङ्गलैण्ड में भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त श्री जीवराज मेहता द्वारा इङ्गलैण्ड में भारतीय चिकित्सकों के रवैये के बारे में की गई टिप्पणी का ज्ञान है;

(ख) क्या यह सच है कि इङ्गलैण्ड में स्नातकोत्तर उपाधि होने के बाद बहुत से चिकित्सक वहां रहने लग जाते हैं और रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं और भारत लौटना नहीं चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार उनसे भारत लौटने के लिए किस प्रकार आग्रह करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) हाल ही में समाचार पत्रों में छपी खबरें सरकार ने देखी हैं।

(ख) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय डाक्टरों को इङ्गलैण्ड जैसे देशों में अच्छा वेतन तथा रहन-सहन की अच्छी सुविधाएं मिलना ही कुछ डाक्टरों का स्वदेश न लौटने की इच्छा का मुख्य कारण प्रतीत होता है। भारत सरकार उन्हें भारत लौटने को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार के कदम उठा रही है। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं :—

(1) वैज्ञानिकों का जिनमें डाक्टर भी सम्मिलित हैं एक पूल बनाना।

(2) राष्ट्रीय पंजी में नामांकित डाक्टरों के विवरण समय-समय पर प्रकाशित किये जाते हैं और सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों। संघ लोक सेवा आयोग आदि को भेज दिये जाते हैं।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य भरती करने वाली एजेन्सियां उन भारतीय डाक्टरों को जिनके विवरण वर्गीकृत सूचियों में दिये रहते हैं, अपने द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'व्यक्तिगत सम्पर्क' उम्मीदवारों के रूप में मानती हैं।

(4) जो व्यक्ति इस पूल में नियुक्त किये जाते हैं उन्हें अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों आदि के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है।

Per Capita Income of People in Andaman and Nicobar Islands

1793. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the per capita income of the residents of Andaman Nicobar group of Islands in 1951-52 and in 1966-67. respectively;

(b) the per capita income in India during the period; and

(c) whether any target has been fixed for the development of these Islands with a view to raise the per capita income during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) : Estimates of per capita income for Andaman & Nicobar Islands have not yet been worked out by the Statistical Bureau of the Islands. The per capita income in India for 1951-52 was Rs. 274.2 (at current prices) or Rs. 250.3 (at 1948-49 prices). The estimates of per capita income of india for the year 1966-67 have not yet been compiled.

(c) No specific target is fixed for increase in per capita income for these islands. But larger outlays that are proposed for the Fourth Five Year Plan for these Islands, and the pattern of development proposed, will have the effect of raising the per capita income.

ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

1794. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी को, जिसके एक भागीदार श्री बी॰ एस॰ तोलानी हैं, काली सूची में रखा गया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त फर्म को 31 मार्च, 1967 तक पिछले पांच वर्षों में कितने आयात लाइसेंस दिये गये थे तथा ये लाइसेंस किन मदों के लिये थे तथा कितने मूल्य के थे;

(घ) क्या सरकार को पता है कि जुलाई, 1956 से अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस फर्म पर कई छापे मारे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी फर्म को जिसने न केवल विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत अपराध ही किया है अपितु उस पर किये गये जुर्माने की राशि भी नहीं दी है, आयात लाइसेंस किस आधार पर दिये जाते हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(घ) जैसा कि 6-4-67 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 635 के उत्तर के भाग (क) में बताया गया है, बम्बई की मैसर्स ईस्टर्न मशीनरी एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के यहां जुलाई 1956, जून 1962 और अगस्त 1965 में तीन बार छापे मारे गए।

(ङ) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है कि क्या इस कम्पनी को कोई आयात लाइसेंस दिये गये हैं और यदि हां तो किस आधार पर।

भूतपूर्व नरेशों के भवन

1795. श्री बाबूराव पटेल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अब तक भूतपूर्व नरेशों के कितने महल और भवन खरीदे हैं अथवा अधिग्रहीत किये हैं;

(ख) इस प्रकार जो भवन अधिग्रहीत किये गये हैं, उनमें से प्रत्येक की लागत कितनी है तथा उसकी अदायगी किस प्रकार की गई है;

(ग) इस समय इन भवनों को किन किन कार्य के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है;

(घ) इन भवनों की देखभाल पर कितना आवर्तक व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) इन भवनों को खरीदने से पहले इनका मूल्यांकन किस प्रकार किया गया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वस्तुओं के कारखाने से निकलते समय के मूल्य तथा उन पर उत्पादन शुल्क

1796. श्री म० सुदर्शनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न वस्तुओं के कारखाने से निकलते समय के मूल्य क्या हैं तथा प्रत्येक पर कितना उत्पादन शुल्क लगता है :

1. चीनी
2. सूती कपड़ा
3. कागज
4. दियासलाई
5. प्लास्टिक
6. रोगन तथा वारनिश और
7. लोहे और इस्पात की वस्तुएं

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)

अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

1. **चीनी** :—चीनी (रवा) का कारखाने में मूल्य एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तथा यहां तक कि एक ही प्रदेश में भी अलग-अलग होता है। कीमतों में अन्तर चीनी की किस्म के अनुसार होता है। कुछ प्रदेशों में डी—29 ग्रेड की चीनी के कारखाने में मूल्य अनुबन्ध में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 562/67]

चीनी (रवा) पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 37 रुपये प्रति क्विंटल है। (30.50 रुपये मूल शुल्क +6.50 रुपये बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त शुल्क)

(2) **सूती कपड़े** :—कम्पोजिट मिलों में बने सूती कपड़ों की कारखाने में कीमतें कपड़ों की श्रेणी तथा किस्म के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ किस्मों की कीमत अनुबन्ध में दी गयी हैं।

इस प्रकार के कपड़ों के लिये उत्पादन शुल्क (जिसमें मूल शुल्क, सूत-शुल्क, करधा उपकर तथा बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त शुल्क शामिल है) 7.70 रुपये से लेकर 96.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक रहता है। यह कपड़े की श्रेणी। किस्म पर तथा इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़ा मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं।

(3) **कागज** :—कारखाने में कागज की कीमत उसकी श्रेणी तथा किस्म के अनुसार विभिन्न होती है। कागज की कुछ किस्मों की कीमतें अनुबन्ध में दी गयी हैं।

कागज पर उत्पादन शुल्क 5 पैसे (जिसमें विशेष उत्पादन शुल्क शामिल है) प्रति किलोग्राम से लेकर 1.20 रुपये प्रति किलोग्राम तक लगता है। उत्पादन शुल्क कितना लगेगा, यह कागज की किस्म तथा गुणों पर निर्भर करता है।

(4) **दियासलाई** :— विभिन्न आकार की दियासलाइयों के लिये कारखाने में कीमतें विभिन्न हैं। एक निर्माता द्वारा नियत की गयी कीमतें दूसरे निर्माता द्वारा नियत की गयी कीमतों से भिन्न होती हैं। मैसर्स विमको द्वारा बनाई गई दियासलाइयों की कीमतें अनुबन्ध में दिखाई गयी हैं।

वर्तमान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 2.95 रुपये से लेकर 4.60 रुपये (50 तीलियों वाली एक डिब्बी दियासलाई का एक ग्रुस) तक लगता है। यह निर्माता की श्रेणी तथा काम में लाये गये माल के स्वरूप पर निर्भर करता है।

(5) प्लास्टिक :—नकली अथवा संश्लिष्ट बैरोजा और प्लास्टिक की कारखाने में कीमतें माल के स्वरूप के अनुसार विभिन्न होती हैं। कुछ प्लास्टिकों की कारखाने में कीमतें अनुबन्ध में दी गयी हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, विशेष शुल्क सहित, 24 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक मूल्यानुसार बदलता रहता है। कुछ वस्तुओं जैसे पालिईस्टर पालिमर चिप्स, मौलिक-रेजिन, सेल्यूलोज एसिटेट पर 0.48 पैसे से 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क की विशेष दर लागू होती है।

(6) **रंग तथा वार्निश :**—कारखाने में कीमतें रंग तथा वार्निश के स्वरूप तथा किस्म के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ किस्मों की कीमतें अनुबन्ध में दी गयी हैं।

जब वजन के अनुसार बेची जाती है तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 10.50 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक होता है। जब आयात के हिसाब से बेची जाती है तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 0.12 पैसे प्रति लिटर से लेकर 1.80 रुपये प्रति लिटर तक रहता है।

(7) **लोहा तथा इस्पात की वस्तुएं :**—कारखाने में कीमतें वस्तुओं के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग होती हैं। कुछ लोहे तथा इस्पात की कारखाने में कीमतें अनुबन्ध में दी गयी हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 75 रुपये प्रति टन से लेकर 325 रुपये प्रति टन तक लगता है। यह वस्तुओं की किस्म पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

1797. श्री म० सुदर्शनम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल, 1967 में मद्रास उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (2) (2 क) और (5) संविधान के अनुच्छेद 301 तथा 303 (एक) के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश स्थगित कर दिये हैं और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

बिहार सहायता कोष के लिये फिल्म अभिनेताओं द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम

1798. श्री बाबू राव पटेल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सहायता कोश के लिये फिल्म अभिनेताओं ने कितने किस-किस तारीख को तथा कहां-कहां पर मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किये तथा उनसे कितनी राशि इकट्ठी हुई;

(ख) इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में कितना खर्च हुआ;

(ग) सब खर्च काटकर बिहार में अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिये कितनी राशि बची;

(घ) किस-किस तारीख को तथा कितना धन बांटा गया;

(ङ) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये बम्बई में इकट्ठे किये गये धन का अभी तक इस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (च) : जो जानकारी मांगी गई है उसे एकत्रित किया जा रहा है। प्राप्त होते ही उसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते

1799. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बाबू राव पटेल :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री क० गो० सेन :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 1296 व्यक्तियों में से जिन्होंने विदेशों में अधिकतर ब्रिटेन, अमरीका तथा स्विटजरलैंड के बैंकों में खाते खोल रखे हैं कितने मंत्रिमंडल के सदस्य, फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक तथा फिल्मों में काम करने वाले अन्य व्यक्ति हैं;

(ख) इन खातों के खोलने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और इन खातों को किन-किन बैंकों तथा देशों में खोला गया है;

(ग) ये खाता-धारी लोग भारत से किस प्रकार धन उन बैंकों में भेजते हैं; और

(घ) उन भूतपूर्व शासकों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशों में ऐसे खाते खोल रखे हैं और किन किन देशों तथा बैंकों में खोल रखे हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी, जितना अधिक सम्भव होगा, एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें

1800. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें चल रही हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में तथा 1966-67 में उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दो ।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को तीसरी योजना अवधि में 42.08 लाख रुपये तथा 1966-67 में 2.98 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1801. डा० रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1967 से अप्रैल, 1967 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक तथा फुटकर मूल्यों में तथा निर्वाह देशनांकों में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) यह वृद्धि 1964, 1965 और 1966 में थोक तथा फुटकर मूल्यों तथा निर्वाह देशनांकों की वृद्धि की तुलना में कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) फरवरी और अप्रैल 1967 की अवधि में कई राज्यों में अधिकांश अनाजों और दालों (मुख्यतः गेहूं और चने को छोडकर) के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है । उदाहरणार्थ, चावल के अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; मैसूर में 12 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 7 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 4 प्रतिशत और उड़ीसा में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । फुटकर व्यापार में ऐसे राज्यों में 2 पैसे से लेकर 25 पैसे प्रति किलो ग्राम की वृद्धि हुई है जहां चावल अधिक खाया जाता है, परन्तु गुजरात में चावल का मूल्य कुछ घटा है । साधारणतः गेहूँ के मूल्य में गिरावट आयी है, गेहूं के अखिल भारतीय देशनांक में 4.2 प्रतिशत की कमी हुई है । (खुले) वनस्पति तेल के थोक और फुटकर मूल्य में उक्त अवधि में कुछ वृद्धि हुई है । उत्तरी क्षेत्र में इसके फुटकर भाव में 16 पैसे प्रति किलो ग्राम और तीन अन्य क्षेत्रों में 21 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है । गुड़ के फुटकर भावों में आन्ध्र प्रदेश में 10 पैसे प्रति किलोग्राम से लेकर आसाम में 75 पैसे प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि हुई है मई, 1967 के मध्य में मिल कपड़े की नियंत्रित किस्मों के भावों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । चीनी, मिट्टी का तेल, हाथ से बुना कपड़ा, साबुन, रबड़ के टायर और ट्यूब तथा दियासलाइयों जैसी वस्तुओं के मूल्य फरवरी और अप्रैल 1967 की अवधि में सामान्यतः स्थिर रहे हैं । खाद्य तेलों जैसे, मूंगफली

का तेल, सरसों का तेल गोले का तेल आदि के मूल्य कुछ स्थानों पर स्थिर रहें है और कुछ स्थानों पर घटे हैं।

इस वर्ष अधिकतर अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक और फुटकर भाव 1964, 1965 और 1966 की तुलना में सामान्यतः अधिक रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं के दाम स्थिर रहे, और समयानुसार कम भी हुए हैं। उदाहरण के लिये, मैसूर में अप्रैल 1967 में चावल का मूल्य दिसम्बर 1965 के मूल्य से कम था। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर और उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1967 में मूंगफली के तेल का मूल्य जून 1966 में उसके मूल्य की अपेक्षा कम था। मिट्टी के तेल का मूल्य फरवरी 1966 से सामान्यतः स्थिर चला आ रहा है।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य देशनांक (1949=100) 1964 में 152, 1965 में 166, 1966 में 184 था। फरवरी 1967 में यह 198 में था और मार्च 1967 में यह 2 अंक और बढ़कर 200 हो गया था। तत्सम्बन्धी आंकड़े मार्च तक ही उपलब्ध हो पाये है। इस देशनांक में खाद्य पदार्थों के मूल्यों का देशनांक 1664 में 155, 1965 में 172 और 1966 में 190 था। फरवरी 1967 में यह 206 था और बाद के महीनों में बढ़ कर यह 210 हो गया।

बिहार में आदर्श गांव

1802. श्री शिवचन्द्र झा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार में एक बड़े आदर्श गांव अथवा आदर्श कस्बे के रूप में बड़े पैमाने पर मकान बनाने के काम को अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य अपने अधिकार में नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में खानाबदोश और आदिम जातीय लोगों के लिए कल्याण-कार्य

1803. श्री शिवचन्द्र झा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी योजना में बिहार में खानाबदोश तथा आदिम जातीय लोगों के कल्याण के लिये कोई राज्य योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार की अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण हेतु परियोजनाएं समावेष्टित की गई हैं।

(ख) विवरण पत्र संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 563/67]

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियां

1804. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी सहकारी समितियां बनाई गई; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को इनसे क्या लाभ पहुंचा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) (1) अनुसूचित जातियों के लिये—9 बुनकर सहकारी समितियां

(2) अनुसूचित आदिम जातियों—30 बन और अन्य सहकारी समितियों के लिये।

(ख) (1) सहकारी संस्थाओं द्वारा सूत और बुनाई के औजारों के सम्भरण तथा हाथ-करधा वस्त्र के विपणन कार्य सम्बन्धी सहायता के रूप में।

(2) वन-श्रम सहकारी समितियां आदिवासियों को साहूकारों, बिचौलियों, तथा वन ठेकेदारों के शोषण से बचाती हैं। छोटे वन-उत्पादनों के एकत्रीकरण तथा उचित दामों पर सामान के निस्तारण कार्य के सिलसिले में सहकारी समितियां इन्हें रोजगार और व्यवसाय प्रदान करती हैं।

सीमा शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांकक

1805. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांककों के पद का दर्जा बढ़ा कर प्रथम श्रेणी का करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मूल्यांकन विभाग के पुनर्गठन की योजना अभी भी सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

मूल्यांकन

1806. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्थानम् समिति की इस आशय की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है कि मूल्यांककों का दर्जा तथा पद-नाम बड़ा होना चाहिये तथा उन्हें इस समय मिल रहे वेतन से अधिक वेतन मिलना चाहिये; और

(ख) यदि नहीं, तो सन्थानम् समिति की उपरोक्त सिफारशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मूल्यांककों की हैसियत, ओहदे तथा वेतन में वृद्धि करने के प्रश्न का निर्णय अलग से नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के अन्य विभागों में समान संवर्गों पर इसका प्रतिप्रभाव पड़ेगा।

किन्तु मूल्यांकन विभाग के पुनर्गठन की एक योजना पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

मूल्यांकन करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1807. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नया सीमा शुल्क प्रशुल्क लागू करने के लिये ठीक किस्म के कर्मचारियों की आवश्यकता का विचार करते हुए प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, कि मूल्यांकन करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होनी चाहियें कि अच्छे लोगों को आकर्षित किया जा सके तथा वे इस सेवा में बने रहें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) टैरिफ संशोधन समिति की रिपोर्ट का सम्बद्ध खण्ड नीचे दिया जाता है :—

> "हमें इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मूल्यांकन अधिकारियों का दर्जा तथा उपलब्धियाँ ऐसी नहीं हैं जिससे उत्तम प्रकार के लोगों को आकृष्ट किया जा सके। यह देखा गया है कि बहुत से तीव्रबुद्धि नवयुवक जो मूल्यांककों के पद पर नियुक्त होते हैं अपने पदों को काफी जल्दी छोड़ देते हैं। वे या तो गैर सरकारी नौकरी कर लेते हैं अथवा उनकी नियुक्ति चुनाव द्वारा सीमा शुल्क विभाग में उच्च कार्यकारी पदों पर हो जाती है। हमारा विचार है कि सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे इस बात का इतमिनान हो सके कि मूल्यांकन करने वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अच्छे लोगों को आकर्षित करने योग्य तथा उन्हें सेवा में आगे टिकाये रखने योग्य हैं।"

(ख) मूल्यांकन विभाग के पुनर्गठन की योजना पहले ही सरकार के विचाराधीन है।

मूल्यांकक तथा मुख्य मूल्यांकक

1808. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि मूल्यांककों तथा मुख्य मूल्यांककों के संवर्गों के अधिकारियों में सन्तोष तथा मनोबल का होना विभागीय दृष्टि से तथा लोकहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सन्थानम् समिति ने बलपूर्वक यह विचार व्यक्त किया है कि सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांककों तथा परीक्षकों के मन में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि उनकी हालत को सुधारने में सरकार विशेष रुचि ले रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी भावना पैदा करने के लिये तथा सीमा शुल्क विभाग के इन महत्वपूर्ण संवर्गों में चहुं ओर व्याप्त भारी असन्तोष तथा निराशा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) सन्थनाम् समिति की रिपोर्ट का सम्बद्ध खण्ड नीचे उद्धृत किया जाता है :—

> "हमने पाया है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को वस्तुओं के श्रेणीकरण, खानों के निरीक्षण, श्रम कानूनों तथा पंचाटों के परिपालन की देख-रेख, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस देने, सीमा-शुल्क चुंगियों पर माल की निकासी आदि जैसे मामलों में, निरीक्षण, देख-रेख, लाइसेंसों की मंजूरी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में सामान्य वृद्धि का मामला तो एक ऐसा मामला है, जिसे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तथा लोगों की कर अदा करने की क्षमता की दृष्टि से तय किया जाना है किन्तु देश के हित में इस बात की जांच करना लाभकारी हो सकता है कि कर्मचारियों के जिन वर्गों को कराधान, मूल्यवान परमिटों तथा लाइसेंसों के जारी करने से सम्बन्धित मामलों में काफी विवेक से काम लेना होता है अथवा जो अन्यथा ऐसे मामलों पर कार्यवाही करते हैं जिसमें उच्च स्तर की निष्ठा की आवश्यकता होती है, क्या उनके दर्जे तथा उपलब्धियों के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांककों तथा निरीक्षकों को, उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों के निरीक्षकों को, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेल विभाग तथा डाक विभाग के निगरानी करने वाले कर्मचारियों को और समतुल्य वर्गों में यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि उनकी हालत को सुधारने में सरकार विशेष रुचि ले रही है।"

यह देखने में आयगा कि ये निष्कर्ष सीमा शुल्क के मूल्यांककों तथा परीक्षकों पर ही लागू नहीं होते बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अफसरों पर भी लागू होते हैं।

(ग) मूल्यांककों तथा निरीक्षकों के दर्जे, पद तथा वेतन में सुधार करने के प्रश्न पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के अन्य विभागों के समतुल्य संवर्गों पर भी इसका प्रति प्रभाव पड़ेगा। अपितु मूल्यांकन विभाग के पुनर्गठन की योजना पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है।

सीमा शुल्क मूल्यांकक सेवा

1809. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत प्रशासन सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा के बारे में जारी किये गये विवरण-पत्र में गत कई वर्षों से यह बात कही जा रही है कि द्वितीय श्रेणी के सीमा शुल्क मूल्यांककों के वेतनमान में संशोधन होने वाला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विशेषज्ञ मूल्यांककों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के चयन बोर्ड में बैठने वाले उनके मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गत कई वर्षों से यह आशा बाँधते आ रहे हैं कि उनके वेतनमान में संशोधन किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उनके वेतनमान में संशोधन करने के बारे में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मूल्यांककों के वेतनमान में संशोधन करने के प्रश्न पर अलग से निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के अन्य विभागों में समान संवर्गों पर इसका प्रति प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, मूल्यांकन विभाग के पुनर्गठन की एक योजना पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

Social Welfare Schemes

1810. Shii K. M. Madhukar : Will the Miniter of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drastic cut has been made in the Central expenditure on Social Welfare works after the Chinese and Pakisani attacks;

(b) if so, whether the same situatoin still prevails; and

(c) if not, the schemes which Government propose to implement for social welfare, particularly at village level ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Some cuts were made in some of the social welfare programmes after these attacks;

(b) In view of the resources position being limited, no new major programmes, involving large scale funds, have been under-taken;

(c) The Government proposes to take up special programmes for the welfare of Women and Children, programmes for the education, training and rehabilitation of the physically handicapped etc. The Government also have in view a Scheme for Family and Child Weare, for rural women and children.

Rural Electrification in Bihar

1811. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether Government are aware that power supply from Damodar Valley and Barauni is not sufficient to meet the total demand of rural electrification in Bihar; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government for the complete rural electrification in Bihar at an early date ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The Bihar State Electricity Board have reported that it has not been possible for them to meet all rural loads, particularly for energising pumpsets, due to paucity of funds. There is some shortage of power in North Bihar; but the power supply position there will improve when the Barauni Extension Project (2 X 50 MW) is completed next year along with he associated transmission and distribution lines.

बैंक

1813. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने बैंक हैं तथा प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) इनमें से कितने बैंक अमरीका और ब्रिटेन के सहायक बैंक हैं; और

(ग) भारत में बैंकों की कुल पूंजी में से कितने प्रतिशत पूंजी स्वदेशी हैं तथा कितने प्रतिशत विदेशी, विशेषकर अमरीकी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 564/67]

(ख) यहां पर ब्रिटेन के चारटर्ड बैंक का इलाहाबाद बैंक के नाम से एक सहायक बैंक हैं। अमरीका के किसी बैंक का सहायक बैंक यहां नहीं है। तथापि, भारत में विद्यमान 15 विदेशी बैंकों में से 3 अमरीका और 6 ब्रिटेन के हैं।

(ज) कितने विदेशियों के कितने कितने हिस्से (शेयर्स) भारत स्थित बैंकों में हैं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। इलाहाबाद बैंक में 15–7–66 को चारटर्ड बैंक की 82.32 लाख रुपये पूंजी लगी थी, जो भारत के निगमित बैंकों की प्रदत्त पूंजी का 1.8 प्रतिशत है। बैंकों की 52.02 करोड़ रुपये की कुल पूंजी में (जिसमें विदेशी बैंकों की पूर्ति भी सम्मिलित है) 87.5 प्रतिशत पूंजी भारतीय वाणिज्यक बैंकों तथा 12.5 प्रतिशत विदेशी बैंकों की है (जिसमें दो अमरीकी बैंक भी शामिल हैं)।

Taking over of Major River-Valley Projects

1814. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the work relating to the implementation of certain major river-valley projects in the Fourth Plan from the State Governments;

(b) if so, the names thereof; and

(c) the main basis of their selection ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No.

(b) and (c) : Do not arise.

Capture of a truck with Opium near Delhi.

1815. Shri Ram Sewak Yadav : Shri George Fernandes : Shri Maharaj Singh Bharati ; Shri Molahu Prasad : Shri Madhu Limaye : Shri Rabi Ray : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a truck loaded with huge quantity of opium was captured by the Shahdara Police, Delhi in March/April, 1967;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that locked boxes were found in the truck on which name of some Embassy was written; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Opium weighing 94 seers, 9 chhataks and 3 tolas (88.27 kg.) was seized from a truck at Delhi-U. P. border by the Delhi Police on 19th March, 1967. The truck was also seized. The truck was carrying goods to Calcutta and the opium was found concealed in four wooden cases.

(c) and (d) The goods in the tuck belonged to various parties including a foreign mission. All the packages were opened and examined, those of the foreign mission did not contain any contraband.

दिल्ली में डी० डी० टी० कारखाने के लिये भूमि

1816. श्री उमानाथ : श्री एस्थोस : श्री अब्राहम : श्री अनिरुद्धन : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स ने इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली स्थित अपने रासायनिक कारखाने के लिये दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई भूमि में से भारत में पहला डी० डी० टी० कारखाना स्थापित करने के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने यह भूमि, जिस पर डी० डी० टी० कारखाना लगाया गया है, खरीदनी चाही तो दिल्ली क्लाथ मिल्स ने

1.35 लाख रुपये की मांग की और कम्पनी ने यह राशि दे दी यद्यपि दिल्ली क्लाथ मिल्स की इस भूमि पर वास्तविक लागत केवल 4500 रुपये के लगभग थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

(श्री रघु रमैया): (क) जी हां, इस शर्त पर कि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स (डी॰ सी॰ एम) को एक छोटे साझेदार के रूप में लिया जाए।

(ख) तथा (ग) सरकारी फैसले के अनुसार कि डी॰ सी॰ एम॰ को डी॰ डी॰ टी॰ योजना में साझेदार के रूप में न लिया जाए, जुलाई 1953 में डी॰ सी॰ एम॰ से 5.1[illegible] एकड़ भूमि लीज़ पर 4,108.62 रुपये वार्षिक किराये पर ली गई। एक साल बाद इस आशा से किराये की अदायगी रोक ली गई कि भूमि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से पुनर्ग्रहण के आधार पर प्राप्त हो सकेगी। जैसा कि सालिसिटर जनरल ने बताया कि इस में कानूनी कठिनाई है और अप्रैल, 1959 में कम्पनी को परामर्श दिया गया कि क्या भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की जाए ? जांच पर भूमि-अर्जन खर्चीला पाया गया और अन्त में सरकार ने 1963 में यह फैसला किया कि कम्पनी को दिल्ली क्लाथ मिल्स से तयशुदा मूल्य पर भूमि खरीद लेना चाहिये। तदनुसार भूमि 1.35 लाख रुपये में खरीदी गई जिसमें लगभग 30,000 रुपये किराये का बकाया भी शामिल है। दिल्ली क्लाथ मिल्स को, जिसे भूमि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा 1134 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मूलतः आवंटित की गई थी, इस भूमि के स्तर को ठीक करने तथा इस में सुधार करने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी।

दिल्ली में डी॰ डी॰ टी॰ फैक्टरी के लिये भूमि

1817. श्री नम्बियार :
श्री प॰ गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित डी॰ डी॰ टी॰ फैक्टरी के विस्तार के लिये खरीदी गई 7.6 एकड़ अतिरिक्त भूमि की कीमत के रूप में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने दिल्ली क्लाथ मिल्स को 1966 के आरम्भ में 5.4 रुपये प्रति वर्ग गज के भाव से 1,99, 804 रुपये की राशि का भुगतान किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने उक्त कम्पनी के वित्त अधिकारी के परामर्श के बिना ही भूमि की खरीदारी की शर्तों को स्वयं तय कर लिया;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर इस भूमि के 1,99,804 रुपये के मूल्य के भुगतान के लिये कार्योत्तर स्वीकृति लेने के लिए कम्पनी के निदेशक-मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) के पास गये;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी के लिये हिन्दुस्तानन इन्सेक्टीसाइड्स को बेची गई भूमि के सम्बन्ध में दिल्ली क्लाथ मिल्स ने विक्रय-पत्र निष्पादित नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस सौदे को सरकार की स्वीकृति प्राप्त है ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली क्लाथ मिल्स द्वारा 25 रुपये प्रति वर्ग गज़ की मांग के मुकाबले में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और दिल्ली क्लाथ मिल्स के बीच व्यक्तिगत यत्नों से 5.43 रुपये प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से क्रय को अन्तिम रूप दिया गया था। यह आवश्यक हो गया कि निदेशकों के बोर्ड की बैठक के पहले ही तात्कालिक अदायगी से जो 28–3–66 को हुई सौदे को बन्द किया जाए; उनकी बैठक एवं मंजूरी 7–4–1966 को हुई।

(घ) और (ङ) कारण यह है कि खरीदी गई भूमि दिल्ली क्लाथ मिल्स के नाम पर दिल्ली इम्प्रूवमैण्ट ट्रस्ट द्वारा अभी रजिस्ट्री नहीं की गई है। ज्यों ही यह रजिस्ट्री होगी त्यों ही दिल्ली क्लाथ मिल्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० के नाम में एक विक्रय विलेख (deed) करेगी।

जहां तक इस क्रय के लिए सरकार की स्वीकृति का सम्बन्ध है, यह हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० के एसोसीयेशन के आर्टीकल्स के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है।

विदेशों में व्यापार सम्बन्धी दौरे

1818. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री राममूर्ति :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल तथा तीन अन्य वाणिज्य संगठनों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन में यह मांग की गई है कि विदेशों में व्यापार सम्बन्धी दौरे करने के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की मांग की गई है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) संगठनों ने निम्न राशियों की मांग की है:—

(एक) उच्च कोटि के व्यापारियों के लिये अमरीका और कनेडा की यात्रा के लिये 60 डालर प्रतिदिन और शेष संसार की यात्रा के लिये 20 पौंड प्रति दिन। (दो) मध्य श्रेणी

के व्यक्तियों के लिये अमरीका और कनेडा की यात्रा के लिये 50 डालर प्रति दिन और शेष संसार की यात्रा के लिये 15 पौंड प्रति दिन। (तीन) सफरी विक्रताओं जैसे अन्य व्यक्तियों के लिये अमरीका और कनेडा के लिये 35 डालर प्रति दिन और शेष संसार की यात्रा के लिये 10 पौंड प्रति दिन।

(ग) विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए सरकार इतनी विदेशी मुद्रा देने के लिये सहमत नहीं हो सकती।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली के कारखाने को क्लोरीन की सप्लाई

1819. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विवर (ओरिफिस) मीटर प्रमाणित हो जाने के बाद भी, जब कभी यह मीटर मरम्मत और अनुरक्षण के लिये बन्द किया जाता है, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली के कारखाने को पाइप लाइन के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्लोरीन को नापने के लिये, दिल्ली केमिकल्स मिल्स के अप्रमाणित कांटे (वे ब्रिज) का प्रयोग किया जाता है;

(ख) पाइप लाइन के द्वारा सप्लाई की गई क्लोरीन की मात्रा कितनी है, जो कांटे तथा विवर मीटर पर नापी गई है, जिसे अधिकारियों ने अभी तक प्रमाणित नहीं किया और जिसके मूल्य का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली के कारखाने ने पाइप लाइन द्वारा सप्लाई की तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित न की गई मशीनों से मापी गई क्लोरीन के लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स के नाम बिल देने के लिये दिल्ली कैमिकल्स मिल्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया): (क) और (ख) जी, हां। 2-7-1965 से जब विवर मीटर प्रमाणित किया गया था और 31-5-1967 तक क्लोरीन के 99,660 मीटरी टन को नापने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता रहा जबकि मीटर पर 4901.67 मीटरी टन था।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० ने डी० सी० एम० को बार-बार कहा कि वह कांटे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराये। डी० सी० एम० के बिलों की अदायगी हो चुकी है क्योंकि विवरण मीटर के लगाने के बाद 31-5-1967 तक अप्रमाणित माप से क्लोरीन की कुल सप्लाई का केवल लगभग 2 प्रतिशत प्राप्त हुआ। तत्काल पिछली अवधि में कांटे पर मापने के बाद सप्लाई की गई क्लोरीन की प्रति घंटा दर विवर मीटर से मापी गई सप्लाई की दर से काफी भिन्न नहीं है।

डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली को क्लोरीन की सप्लाई

1820. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की डी० डी० टी० फैक्टरी ने 18 अगस्त, 1964 तक पाइप लाइन के द्वारा सप्लाई की गई गैसीय क्लोरीन का मूल्य, उस कांटे पर जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया था, लिये गये माप के आधार पर चुका दिया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य चुकाने के लिये इस अप्रमाणित काँटे पर लिया गया माप स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० डी० टी० कारखाने ने 19 अगस्त, 1964 से लेकर 1 जुलाई 1965 तक की अवधि में पाइप लाइन के द्वारा सप्लाई की गई गैसीय क्लोरीन का मूल्य, पाइप लाइन में लगाए हुये उस विवर मीटर द्वारा, जिसे माप तथा तोल के निरीक्षक ने प्रमाणित नहीं किया था किये गये माप के आधार पर चुकाया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन मापों को स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) पाइप लाइन के द्वारा गैसीय क्लोरीन की सप्लाइ 19–5–1964 से आरम्भ हुई। 16–9–1964 (18-8-1964 नहीं) तक सप्लाई को डी० सी० एम० के कांटे पर मापा गया था; जो मैसर्स एवरी एण्ड कम्पनी, (हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० के मापन मशीन के एजेन्ट) द्वारा जांचा गया था। हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स ने डी० सी० एम० से प्रार्थना की थी कि कांटे को माप तोल के निरीक्षक अर्थात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत करा लिया जाए किन्तु डी० सी० एम० ने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

(ख) 19 मई, 1964 तक क्लोरीन की सप्लाई सलैण्डरों में तरल रूप में की गई जो शुरू-शुरू में मैसर्स डी० सी० एम० के कांटे पर मापी जाती थी और हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० के कांटे पर पुनः जाँची जाती थी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत की जाती थी। वही कांटा डी० सी० एम० में वाष्पीकृत (vaporised) क्लोरीन और पाइपलाइन में सप्लाई की गई क्लोरीन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स में उत्पादन के हितों में इन प्रबन्धों को सहन किया गया।

(ग) जी हां, किन्तु डी० सी० एम० द्वारा लगाए हुए अपने विवर मीटर का 16–9–1964 से इस्तेमाल किया गया।

(घ) डी० सी० एम० को कई बार प्रार्थना की गई कि वह माप-तोल के निरीक्षक द्वारा मीटर को प्रमाणीकृत करायें किन्तु उन्होंने 2–7–1965 तक ऐसा नहीं किया।

Agreement with Foreign Oil Company

1821. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is one of the terms of the Agreement concluded with the Foreign Oil Companies in 1954 that they will not be nationalised for 25 years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the other terms of the Agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaich) : (a) In agreements concluded between 1951 and 1953, Govt. assured the private oil companies that the refineries being built will not be acquired for 25 years.

(b) This was one of the assurances asked for by the oil companies to facilitate the establishment of the refineries in india and it was conceded in the public interest.

(c) Copies of the Agreement are available in the Parliament Library.

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड

1822. श्री अ० क० गोपालन :　　　　श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :　　　　श्री एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड ने सरकार द्वारा उसके विस्तार से प्रस्तावों को मंजूर कर लिये जाने के बाद दिल्ली में वर्तमान क्षमता के लिये अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई और सेवाओं के लिये 1966 के आरम्भ में डी० सी० एम० के साथ करार पर फिर हस्ताक्षर कर दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० सी० एम० के साथ किये गये नये करार में जो 1 मई, 1966 से 10 वर्ष तक के लिये है, विस्तार के बाद डी० डी० टी० के अतिरिक्त उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई और सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड ने डी० डी० टी० के अतिरिक्त उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई के लिये अभी तक किसी अन्य फर्म के साथ प्रबन्ध नहीं किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) फिर हस्ताक्षर किये गये करार के दो भाग हैं ; एक तो दौराला में स्थित डी० सी० एम० आसवनी से एल्कोहल की सप्लाई के लिए 5 साल का और दूसरा दिल्ली में डी० सी० एम कैमिकल वर्क्स से तेल, क्लोरीन भाप और एल्कोहल की सप्लाई के लिए 10 वर्ष का है । पहले करार में एल्कोहल की सप्लाई की भी व्यवस्था है जिसकी आवश्यकता विस्तार के बाद डी० डी० टी० के अतिरिक्त उत्पादन के लिए होगी । जहां तक भाप और पानी का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड अपनी सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न की जाँच कर

रहा है। जब तक ये तैयार नहीं हो जाता, करार में अपेक्षित है कि डी० सी० एम० पारस्परिक तय हुई मात्राओं की सप्लाई करेगा। जहाँ तक तेल और क्लोरीन का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड करार के अधीन डी० सी० एम० अपनी अनुमानित आवश्यकताओं को समय समय पर सूचित करेगा तथा क्लोरीन के बारे में कम से कम 6 मास का नोटिस देगा। हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड अन्य साधनों से इन कच्चे माल की सप्लाई के लिए करार करने में स्वतन्त्र है।

(ग) जी हाँ।

(घ) 1968 के अन्त तक डी० डी० टी० विस्तार योजना के उत्पादन करने का कार्यक्रम है और कच्चे माल की सप्लाई के लिए दृढ़ व्यवस्था करने में कार्यवाही शुरू कर ली गई है।

डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली

1823. श्री अ० क० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री उमानाथ :**
श्री अब्राहम : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री एस्थोस : **श्री प० गोपालन :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने के विस्तार के लिये सिविल कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में प्रतिवर्ष 1400 टन डी० डी० टी० का और उत्पादन बढ़ाने के लिये अपेक्षित समय और मशीनें मंगाने के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा क्रयादेश दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली कैमिकल्स मिल्स की ओर से दिल्ली स्थित उनके कास्टिक सोडा कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। कई मामलों में क्रयादेश जारी किये गये हैं और अन्य मामलों में उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रतिवर्ष 4950 मीटरी टन तक अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए फर्म को एक आशय-पत्र दिया गया है।

दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने को कच्चे माल की सप्लाई

1824. श्री अ० क० गोपालन : **श्री एस्थोस :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अब्राहम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने को क्लोरीन, तेल, एल्कोहाल, पानी तथा भाप की सप्लाई के लिये डी० सी० एम० के साथ पाँच वर्षीय करार की अवधि अप्रैल, 1966 में समाप्त होने पर हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स ने इन वस्तुओं की सप्लाई के लिये उन्हीं के साथ दस वर्ष की अवधि के लिये नया करार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने जिन्होंने नये करार की शर्तें तय की हैं, डी० सी० एम० लिमिटेड से नये करार के लिये दस वर्ष की अवधि का प्रस्ताव किया था और उन्होंने हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड को इस प्रस्ताव को मान लेने की सलाह दी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स का दिल्ली स्थित कारखाना नये करार के अनुसार डी० सी० एम० के लगभग 500 रुपये प्रति टन की दर से क्लोरीन खरीद कर रहा है जब कि पहले करार के अनुसार डी० सी० एम० को क्लोरीन का मूल्य 399 रुपये प्रति टन दिया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो अधिक मूल्य दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) क्योंकि कच्चे माल तथा उपयोगिताओं की सप्लाई दो अलग-अलग यूनिटों द्वारा होती है, मैसर्स डी० सी० एम० के साथ दो करार किये गये हैं। एक करार दिल्ली स्थित डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स द्वारा 1-5-1966 से 10 वर्षों की अवधि के लिये क्लोरीन, तेल, पानी तथा भाप की सप्लाई से सम्बन्धित है । दूसरा करार 1-5-1966 से 5 वर्षों की अवधि के लिये दौराला स्थित डी० सी० एम० आसवनी द्वारा एल्कोहल की सप्लाई से सम्बन्धित है ।

(ख) जी हाँ । प्रबन्ध निदेशक ने दिल्ली क्लाथ मिल्स को वही प्रस्ताव किया था जैसा कि प्रश्न में बताया गया है । किन्तु बोर्ड के लिए अन्तिम सिफारिश उपर्युक्त भाग (क) में लिखित अवधि के अनुसार थी ।

(ग) 30-4-1966 तक स्थल पर पहुंचाये गये 397.09 के मुकाबले में क्लोरीन की सप्लाई की चालू दर 476.37 रुपये प्रति मीटरी टन है ।

(घ) तय किया गया अधिक मूल्य, नमक, कोयला और प्रक्रिया प्रभार की लागत में वृद्धि के कारण है ।

मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड

1825. श्री हिम्मतसिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी कम्पनी अथवा निगम के सहयोग से मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड नाम की कोई कम्पनी बनाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) विदेशी कम्पनी को यदि कोई राशि दी गई है, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हाँ। संयुक्त राज्य अमरीका की बैक्टेल इन्टरनेशनल कारपोरेशन की साझेदारी में 15 मार्च 1965 को इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी।

(ख) कम्पनी में भारत सरकार के 51 प्रतिशत और बैक्टेल के 49 प्रतिशत शेयर हैं। करार के अन्तर्गत, बैक्टेल कारपोरेशन, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये जाने वाली कार्यों को पूरा करने में तकनीकी तथा इन्जीनियरिंग सहायता की व्यवस्था करेगी।

(ग) 15 मार्च, 1965 से आज तक इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को तकनीकी सेवाओं के लिये बैक्टेल कारपोरेशन को उनकी फीस के रूप में 9,898 रुपये दिये गये।

भारत सेवक समाज का सहायक अनुदान

1826. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज के लिये सहायक अनुदान उनके मंत्रालय के जरिये किये जाते हैं ;

(ख) भारत सेवक समाज को किन कार्यों के लिये अनुदान अथवा धन दिया जाता है ;

(ग) 1965-66 में भारत सेवक समाज को कुल कितनी राशि के अनुदान अथवा ऋण दिये गये थे ;

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिये एक मुश्त कितनी रकम अथवा अनुदान दिये जाते हैं ; और

(ङ) 1965-66 में आन्ध्र राज्य भारत सेवक समाज को कुल कितनी राशि के अनुदान और ऋण दिये गये तथा किन कार्यों के लिये दिये गये ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा जन सहयोग की योजनाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान के अलावा, भारत सेवक समाज को सीधे सम्बन्धित मंत्रालय विभाग द्वारा अनुदान दिये जाते हैं। योजना आयोग ने जन सहयोग समिति की एक उप-समिति का गठन किया है जो भारत सेवक समाज को विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की समीक्षा एवं समन्वय करती है।

(ख) और (ग) 1965-66 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा भारत सेवक समाज को जो सहायता दी गई उसकी राशि दर्शाते हुए तथा जिस कार्य के लिए दी गई उसका उल्लेख करते हुए एक विवरण (विवरण संख्या-1) सभापटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 565/67**] इस वर्ष कोई ऋण नहीं दिया गया।

(घ) प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग अनुदान दिया जाता है।

(ङ) भारत सेवक समाज आन्ध्र प्रदेश को कोई अनुदान सीधा नहीं दिया जाता है। परन्तु केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा भारत सेवक समाज, आन्ध्र प्रदेश को कुछ अनुदान

दिये गये। केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा भारत सेवक समाज आन्ध्र प्रदेश को सीधे दिये गये सहायक अनुदान तथा 1965–66 में भारत सरकार और केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा केन्द्रीय भारत सेवक समाज द्वारा अपने प्राप्त सहायक अनुदान से जो राशि भारत सेवक समाज आन्ध्र प्रदेश को हस्तांतरित की गई उसे दर्शाते हुए एक विवरण (विवरण संख्या–2) सभापटल पर प्रस्तुत है। भारत सेवक समाज के राज्य एककों को सीधा ऋण मंजूर नहीं किया जाता।

कृषि के लिये ऋण

1827. श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मणीभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के लिये ऋण की उपलब्धि आसान बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट में संशोधन करने का है ;

(ख) क्या कृषि के लिये ऋण के आधार को व्यापक बनाने के लिये सरकार का विचार स्टेट बैंक को निदेश देने का है; और

(ग) कृषि के लिये ऋण सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा डाले बिना साहूकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) साहूकारों पर नियंत्रण रखने के लिए देश के विभिन्न भागों में कानून लागू है, लेकिन साहूकारों पर किसानों का निर्भर रहना कम करने के लिए सरकार की बराबर यही नीति रही है कि ऋण देने वाली संस्थागत एजेन्सियों, मुख्यत: ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत बनाया जाय, ताकि वे किसानों को अधिक से अधिक ऋण दे सकें। कुछ राज्यों में, जहां सहकारी संगठन अपेक्षाकृत कमजोर है, अन्तरिम उपाय के रूप में कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने का विचार है।

शांति दल स्वयंसेवक कार्यक्रम

1828. श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति दल स्वयंसेवक कार्यक्रम अमरीकी आर्थिक तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम का अंग है; और

(ख) क्या अमरीका की सरकार के साथ हुए करार में सरकार को शान्ति दल की भारत में गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अमरीकी शान्ति दल स्वयंसेवक कार्यक्रम, अमरीकी आर्थिक और तकनीकी सहायता कार्यक्रम का अंग नहीं है।

(ख) भारत-अमरीकी शान्ति दल करार के अनुसार, शान्ति दल स्वयं सेवक, भारत में उन तकनीकी प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों में तथा उन निश्चित अवधियों के लिए काम करने आते हैं, जिनके बारे में दोनों देशों की सरकारें सहमत हों। ये स्वयंसेवक प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों में भारतीय कर्मचारियों की प्रत्यक्ष देखरेख और मार्गदर्शन में काम करते हैं और ये कर्मचारी अलग-अलग स्वयंसेवकों के काम के बारे में समय समय पर रिपोर्ट भी भेजते हैं। ये स्वयंसेवक भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दृष्टांकों के आधार पर भारत आते हैं और उन्हें विदेशी पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अधिनियम के अधीन अपना नाम रजिस्टर भी कराना पड़ता है। इस प्रकार, भारत में शान्ति दल स्वयंसेवकों के कार्यों पर भारत सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है।

House Rent Allowance to Government Employees

1829. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri H kam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after allotting quarters to Class III and Class IV employees, Government deduct some 10 to 15 per cent of the pay as house rent besides stopping payment of house rent allowance to them ;

(b) whether it is also a fact that an amount equal to the deductions is not paid to those who have not been allotted quarters ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In the case of Government servants allotted Government accommodation rent is charged under the provisions of Fundamental Rule 45-A and such recovery does not exceed 10% of the Government servants' emolument (7½% in the case of Government servants drawing less than Rs. 150/00 p. m.) A Government servant, who is provided with Government accommodation, is not entitled to any house rent allowance.

(b) and (c) The deductions are made by way of rent for the Government accommodation allotted to employees. The question of payment of an equivalent amount to those who are not allotted Government accommodation, therefore, does not arise. However, in classified cities, employees are compensated for high rentals prevailing there, by way of house rent allowance.

(d) Does not arise.

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

1830. श्री प्र० के देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कार्य क्या क्या हैं और उसका कार्य कब से चल रहा है ;

(ख) इस संघ के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इस संघ को सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के संस्था-ज्ञापन पत्र के अनुसार आदिवासी जातियों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिये यह संघ कार्य करता है ; ताकि वे (आदिवासी) राष्ट्रीय जीवन में बराबर के नागरिक बन कर अपना उचित स्थान पा सकें। इम्फाल, चुचियामलंग (नागालैंड), रुपा, (नेफा), रांची छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) और नई दिल्ली में ऐसे संस्थान हैं जिनकी व्यवस्था सीधे रूप से ही संघ के हाथ में है। इसके अतिरिक्त राज्यों में बहुत सी ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से सम्बन्ध हैं।

(ख) संघ के पदाधिकारी ये व्यक्ति हैं :—

अध्यक्ष

श्री मोरारजी देसाई

उपाध्यक्ष

1. श्री यू० एन० ढेबर
2. श्री टां० संगना
3. डा० हृदयनाथ कुंजरू

अवैतनिक सचिव

1. श्री एल० एम० श्रीकान्त
2. श्री एन० एम० वडीवा
3. श्री जे० एच० चिचांलकर

कोषाध्यक्ष

श्री डी० ज० नायक

(ग) हां।

दिल्ली वृहद् योजना

1831. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा हरयाना की सरकारों से दिल्ली वृहद् योजना को क्रियान्वित में सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाये गये बोर्ड को बैठक अप्रैल, 1967 में दिल्ली में हुई था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर विचार किया गया;

(ग) क्या मथुरा रोड पर स्थित बस्तियों तथा सूरज कुंड के विकास प्रश्न पर भी विचार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) बोर्ड की एक मीटिंग 2 मई, 1967 को हुई थी ।

(ख) निम्नांकित विषयों पर विचार किया गया :--

(1) दिल्ली में पानी की सप्लाई का बढ़ाया जाना ।

(2) ओखला वाटर वर्क्स ।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण, जल-निकास (ड्रेनेज) तथा जल-मग्नता (वाटर लोगिंग) ।

(4) सूरज कुण्ड तथा बदखल झील क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क का विकास ।

(5) प्राईवेट कोलोनाईजरों के द्वारा भूमि का बेचा जाना ।

(6) भूमि के अर्जन तथा विकास के लिए रिवाल्विंग फन्ड ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) यह निर्णय किया गया था कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद तथा बल्लमगढ़ क्षेत्र के मास्टर प्लान की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत बस्तियों के साथ उचित प्रकार से कार्रवाई करेगी ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टल

1832. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टल बनाने के हेतु पिछले पाँच वर्षों में कितनी धन राशि खर्च की गई है ; और

(ख) चालू वर्ष में कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

Quarters for Labourers in Delhi

1833. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the shortage of quarters for the labourers in Delhi ;

(b) if so, the number of quarters to be built for the labourers during the next three years ;

(c) whether the grants sanctioned by the Delhi Administration for the construction of quarters for the labourers have been fully utilised ; and

(d) whether Government propose to introduce any legislation to provide for a portion of the profits of the mill owners for the construction of quarters for labourers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, there is shortage of houses for industrial workers in Delhi.

(b) About 2000 houses are proposed to be built for them during the Fourth Five Year Plan under the Subsidised Industrial Housing Scheme.

(c) A sum of Rs. 153.22 lakhs was utilized upto 1966-67 under the above Scheme against a provision of Rs. 178.19 lakhs.

(d) No.

चौथी पंचवर्षीय योजना में नये चिकित्सा कालेज

1834. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री रणजीत सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में राज्यवार कितने नये चिकित्सा कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) इस काम के लिये राज्यों को किस रूप में वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 25 नये मैडिकल कालेज खोलने का उपबन्ध किया गया है । राज्यवार आवंटन का निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

(ख) चतुर्थ योजना के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रणाली को अन्तिम रूप देने तक तृतीय योजना के दौरान स्वीकार की गई सहायता प्रणाली को जारी रखा जायेगा:—

अनावर्ती :

(एक) **भवन :** नये मैडिकल कालेजों के लिये प्रति दाखला 75 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 37,500 रु० ।

(दो) उपकरण : प्रति दाखला 75 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 22,500 रु० ।

आवर्ती : प्रति दाखला 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 4,000 रु० ।

I. T. Officers not conversant with Regional Languages

1835. Shri Rabi Ray :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many of the Income-tax Officers are unable to check the accounts written in the language of their circles properly because they are not well conversant with the language of that region and as such are forced to make assessment as a matter of guess ;

(b) whether it is a fact that the persons maintaining accounts in regional languages are also asked to file income-tax returns in English and the officers are unable to tally the returns with original accounts ; and

(c) the action taken by Government so far to improve the situation ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) All Income Tax Officers Class-I are required to pass the following language tests (which cover the examination of accounts also).

(A) Hindi and Marwari,
and
(B) Local language (other than the mother tongue) of the place in which they are initially posted.

Income Tax Officers Class-I are thus familiar with at-least 3 languages.

Income Tax Officers Class-II have to pass the language test in one of the local languages of the Commissioners' charge in which they are posted.

Income Tax Officers Class-II are thus familiar with their mother-tongue and another regional language. They have also to pass the test in Marwari within three years. Income-Tax Officers Class-II are not generally transferred from the Commissioners' charge in which they are initially recruited. Income-tax Officers do not make assessments as a matter of guess for lack of familiarity with the local language.

(b) No, Sir. The Income-tax return forms are available in a number of regional languages besides English.

(c) Does not arise.

बड़ौदा को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

1836. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग ने घरेलू उपयोग के लिये बड़ौदा शहर को प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कहा है कि वह पहले उद्योगों को और बाद में घरेलू प्रयोगकर्ताओं को प्राकृतिक गैस सप्लाई करे ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) आयोग अल्प सूचना पर गैस की सप्लाई करने को तैयार है ।

(ग) गुजरात सरकार की सलाह से, निम्नलिखित के लिये अलग-अलग कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं :--

1. विद्युत बोर्ड ;
2. उर्वरक उद्योग ;
3. बड़ौदा के उद्योग ;
4. बड़ौदा नगर निगम ।

I. T. Proceedings against an Kanpur Industrialist.

1837. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri P. G. Sen :
Shri Baburao Patel :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 651 on the 6 th April, 1967 and state :

(a) whether decision has since been taken by the court in connection with the proceedings pending against an industrialist of Kanpur regarding Income-Tax arrears;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which decision in the case is likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(d) Does not arise.

(c) It is not possible to say how long it will take for the Court to decide the matter.

Gold smuggled by Post.

1838. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 652 on the 6th April, 1967 and state :

(a) whether the Proceedings going on against the persons who used to send gold bars by post have since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time like'y to be taken in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Personal hearing has been asked for by some parties and is being given in the departmental adjudication proceedings. Though every effort will be made to reach final decisions at an early date, the time required can not be forecast with any precision.

दिल्ली में बिजली का बन्द होना

1839. डा० रानेन सेन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एस्थौस :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली के भिन्न-भिन्न भागों में बिजली की सप्लाई बार-बार बन्द होने लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) बिजली की सप्लाई में कुछ बाधाएं हुई हैं। तदापि, पिछले वर्षों की अपेक्षा स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) यह बाधाएं ऊर्ध्वस्थ प्रणाली में कुछ त्रुटियों के कारण हुईं जैसे कि संवाहकों का टूटना, लघु पारपथ, केवल जोड़ बक्सों में खराबी आदि। पंजाब प्रणाली से बिजली न मिलने के कारण भी कुछ बाधाएं आईं। दिल्ली के चारों ओर स्टेप-डौन उप-केन्द्रों द्वारा एक 220 के० वी० रिंग बिछाने की योजना बनाई गई है। वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए 33 के० वी० और 11 के० वी० के अतिरिक्त उपकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है। धन की उपलब्धि के अनुसार ऊर्ध्वस्थ प्रणाली को धीरे-धीरे भूमिगत प्रणाली में बदला जा रहा है। इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर विस्तार 62·5 मेगावाट के पहले यूनिट के निकट भविष्य में चालू हो जाने से, तत्पश्चात इसी क्षमता के दो अन्य यूनिटों के चालू हो जाने से और उपर्युक्त उपायों से इस प्रकार की बाधाएं न्यूनतम हो जाएंगी।

सरकारी उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर

1840. श्री दामानी : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को दिये गये ऋण पर ब्याज की दर भिन्न-भिन्न है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की मौजूदा दरें ये हैं :—

उधार लेने वाले की श्रेणी	ऋण की अवधि	ब्याज की दरें
(1)	(2)	(3)
(1) औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	2 और 4 वर्ष के बीच	6 प्रतिशत
	4 वर्ष से अधिक पर 9 वर्ष से अधिक नहीं	$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत
	9 वर्ष से अधिक पर 15 वर्ष से अधिक नहीं	7 प्रतिशत
(2) वित्तीय संस्थाएं	1 वर्ष तक	4 प्रतिशत
	1 वर्ष से अधिक पर 4 वर्ष से अधिक नहीं	$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत
	4 वर्ष से अधिक पर 9 वर्ष से अधिक नहीं	5 प्रतिशत
	9 वर्ष से अधिक पर 15 वर्ष से अधिक नहीं	$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत
	15 वर्ष से अधिक पर 30 वर्ष से अधिक नहीं	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत

(ख) इन दोनों श्रेणियों के उधार लेने वालों को दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की दरों में अन्तर होने का कारण यह है कि वित्तीय संस्थाओं को रकम आगे उधार देनी पड़ती है ।

निर्यात से विदेशी मुद्रा की हानि

1841. श्री कृष्ण मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उपार्जित विदेशी मुद्रा को छः महीनों के अन्दर भारत में भेजने के बारे में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई पाबन्दी के कारण कन्साइनमैंट के आधार पर जहाजों के माल का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की बड़ी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपार्जित विदेशी मुद्रा को भारत में भेजने की अवधि को बढ़ाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (मोरारजी देसाई) : (क) जबकि उपार्जित विदेशी मुद्रा सामान्यत: 6 महीने के भीतर भारत भेजनी होती है, रिजर्व बैंक उचित कारणों पर समय बढ़ाने देती है । सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि निश्चित समय के दौरान उपार्जित विदेशी मुद्रा को भारत भेजने की शर्त से विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

Beautification of Park at Chanakyapuri New Delhi

1842. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that New Delhi Municipal Committee has a proposal to provide for beautifying a park at Chanakyapuri; and

(b) the amount of expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) The estimated cost of the work is Rs. 22. 50 lakhs.

वित्तीय संस्थायें

1843. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट समवायों को दिये गये ऋणों के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को क्या गारंटी दी है; और

(ख) इस प्रकार दी गई गारंटियों की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिये अभिप्रेत हिदायतों का प्रकाशन

1844. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के कर्मचारीयों को जारी की गई विभागीय हिदायतों को प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि जनता इनसे अवगत हो सके तथा करदाता विभिन्न मामलों के बारे में इस विभाग के दृष्टिकोण से परिचित हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो इन हिदायतों को कब प्रकाशित किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) आयकर अफसरों को दी जाने वाली हिदायतें गोपनीय किस्म की होती हैं, और उन्हें प्रकाशित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जनता के लिए जारी किये जाने वाले परिपत्र प्रत्यक्ष कर बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं। यह कीमत लगा प्रकाशन है जिसे जनता खरीद सकती है। बुलेटिन में आयकर नियमों के समय-समय पर जारी किये गये संशोधन, सांविधिक आदेश तथा अधिसूचनाएं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किये गये वे परिपत्र प्रकाशित किये जाते हैं जो जनता की सूचना के लिए होते हैं।

पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों से सोने का पकड़ा जाना

1845. **श्री शारदा नन्द :** **श्री भारत सिंह :**
श्री ज० ब० सिंह : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1967 को पालम हवाई अड्डे पर दो यात्रियों से 500 तोले सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 10 अप्रैल 1967 को जब एक यात्री बम्बई से पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसके पास से विदेशी मार्का का 500 तोला सोना पकड़ा गया।

(ख) उक्त यात्री के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये। जांच-पड़ताल चल रही है। गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

(ग) सीमा शुल्क अधिकारी पहले से सतर्क हैं। उन सभी पार करने योग्य स्थानों पर जहां बाहर से चोरी छिपे माल लाया जाता है कड़ी चौकसी रखी जाती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के बारे में यह सन्देह होता है कि वे चोरी छिपे रूप में सोना लाने का काम करते हैं; उनकी हरकतों और गतिविधियों के बारे में विभिन्न सूत्रों से गुप्त सूचना इकट्ठी की जाती है।

फरक्का बांध परियोजना के नक्शे

1846. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
डा० राममनोहर लोहिया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना के कितने नक्शे प्रकाशित किये गये थे;

(ख) वे नक्शे किन्हें बांटे गये थे ;

(ग) क्या कोई नक्शा गुम हो गया है;

(घ) क्या उस की एक प्रति पाकिस्तान में चली गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके सुरक्षा पहलू पर विचार। जांच की है; और

(च) इस विचार। जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) सदस्य महोदय किन विशेष नक्शों का जिक्र कर रहे हैं स्पष्ट नहीं है। परियोजना के आयोजन, अभिकल्प और कार्यान्विति से जो भी संबंध रखते हैं, उन सभी को नक्शे दिये जाते हैं।

(ग) से (च) इन का संबंध उस मामले से है जो कलकत्ता न्यायालय में निर्णयाधीन है।

नर्स का काम

1847. श्री मधु लिमये : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री सू० कु० तापड़िया :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री मणीभाई जे० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अतिरिक्त अन्य राज्यों की लड़कियाँ । महिलाएं नर्स का काम नहीं करना चाहती है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अधिक संख्या में लड़कियों को नर्स के काम में आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें छात्रवृत्ति । होस्टल । तथा रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था आदि संबंधी प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को चाहे वे केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण पा रही हों अथवा राज्य सरकारी संस्थाओं में, छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और उन्हें छात्रावास की सुविधा भी दी जाती है। ये सुविधाएं उन्हें उन गैर-सरकारी संस्थाओं में भी मिलती हैं जिन्हें उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। कुछ राज्य भी नर्सिंग का डिग्री कोर्स करने वाली छात्राओं को इस प्रकार की सुविधायें देते हैं।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

1848. श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे (बम्बई) स्थित उर्वरक कारखाने में उत्पादन कार्यक्रम से कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या इस कारखाने की नींव में कुछ खराबी रह गई थी;

(ग) क्या इस कारखाने की मशीनें स्थापित करने में कुछ त्रुटि । विलम्ब हुआ था;

(घ) क्या इसकी मशीनों में खराबी है । विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं है; और

(ङ) उत्पादन और कार्यक्षमता बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु यह ठीक कर दिया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) नाइट्रोफास्फेट प्लांट, कार्बन डायएक्साइड कम्प्रेशर और कुछ हवा तरलीकृत (लिक्वेफिकशन उपकरण तथा नाइट्रिक एसिड एबजोरवर के सिवाये कोई मुख्य त्रुटि नहीं थी।

(ङ) त्रुटि तथा कमियों का व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य पूरा हो गया है। प्रति-थापन के आदेश दिये गये हैं। संशोधन किये जा रहे हैं। लगभग पूर्ण भार स्थिति पर लगातार संचालन पर कार्य-कुशलता निर्भर है और इसको प्राप्त करने के लिये तमाम आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

प्लांटों के प्रदायकों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि नाइट्रोफास्फेट प्लांट निर्धारित क्षमता नहीं रखता है। किसी समझौते पर पहुंचने के लिए उनके साथ बातचीत चल रही है। उत्पादों के गुणों को बढ़ाने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की मांग

1849. श्री एस० एम० जोशी : श्री चं० चु० देसाई :
श्री मधु लिमये : श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये उर्वरकों की पुनरीक्षित अनुमानित मांग कितनी है :

(ख) क्या देश के (सरकारी तथा गैर सरकारी) उर्वरक कारखानों द्वारा किये जा रहे बहुत कम उर्वरक उत्पादन को देखते हुए देश के अन्दर उत्पादन तथा बाहर से आयात के आंकड़ों में परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) चौथी योजना के शेष वर्षों में अनुमानित मांग निम्न प्रकार है :—

वर्ष	**नाइट्रोजनी उर्वरक** नाइट्रोजन के रूप में	**फास्फेटी उर्वरक** $पी_2 ओ_5$ के रूप में	**पोटासिक उर्वरक** $के_2$ ओ के रूप में
1967-68	1·35	0·500	0·300
1968-69	1·70	0·650	0·450
1969-70	2·00	0·800	0·550
1970-71	2·40	1·000	0·700

(ख) और (ग) कार्यान्वित होने वाले तथा अनुमोदित परियोजनाओं के पूर्ण तथा चालू होने की नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुये चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान

देशीय उत्पादन के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। आयात की उस मात्रा तक आवश्यकता होगी जहां तक देशीय सप्लाई मांग को पूरा करने में असमर्थ होगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स आर० बी० भोलानाथ एण्ड संस को दिये गये ठेके

1850. श्री उमानाथ : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सत्यनारायण सिंह : श्री नायनार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास शाखाओं द्वारा 1964, 1965 और 1966 में मैसर्स आर० बी० भोलानाथ एण्ड संस को कुल कितने तथा कितने मूल्य के ठेके दिये गये;

(ख) क्या अधिक भुगतान तथा अन्य आरोपों के कारण इस फर्म का नाम 1963 में काली सूची में रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म को ठेके देने के क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) भारतीय तेल निगम द्वारा 1964, 1965 तथा 1966 के दौरान में मैसर्स आर० बी० भोला नाथ एण्ड संस को दिये गये कुल ठेके तथा उनका मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल ठेकों की संख्या	ठेकों का मूल्य
1964	25	11·22 लाख रुपये
1965	25	11·61 लाख रुपये
1966	17	18·26 लाख रुपये
कुल	67	41·09 लाख रुपये

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन समस्याओं के अध्ययन के लिये विचार विभा

1851. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने देश की स्वास्थ्य और परिवार नियोजन समस्याओं को हल करने के लिये नये दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के हेतु एक 'विचार विभाग' बनाया है;

(ख) इस योजना के बारे में अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) इस प्रकार प्राप्त हुए सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन विभाग में एक 'विचार बैंक' खोला गया है।

(ख) और (ग) इस योजना की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है और अब तक बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। बहुत से सुझाव उन मामलों से सम्बन्धित हैं जो पहले ही लघु परिवार प्रेरणा समिति के विचाराधीन हैं अथवा जिन पर भारत सरकार अलग से विचार कर रही है। नये सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(घ) परिवार नियोजन विभाग के वर्तमान अनुभागों में से एक अनुभाग इस विषय से सम्बन्धित कार्य की देखभाल कर रहा है।

भारतीय तेल निगम

1852. श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री न० प्र० यादव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम अत्यधिक लागत नियंत्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षा, उपभोक्ताओं से बकाया राशि, कार्यकुशलता अनुसन्धान तथा अभिकरण संगठन पर नियंत्रण जैसे मामलों की ओर अधिक ध्यान दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां

(ख) हाल ही में भारतीय तेल निगम में लागत लेखा कास्ट अकाऊंटिंग को लागू किया गया है और इसके क्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। 1967-68 के लिए अनुमोदित कार्यक्रम में डिपुओं। केन्द्रों, कार्यालयों का कार्य-व्यय, मुख्य उत्पादों के उत्पादानुसार लागत, टैंक-ट्रक चलाने की लागत, तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी) से लाभ, मोटर-गाड़ी (कार पूल) तथा फुटकर पम्पों से लाभ का अध्ययन शामिल है। कुछ समय के लिए एक आन्तरिक लेखा-परीक्षक दल मार्किटिंग प्रभाग में कार्य करता रहा है। इसके कार्य-क्षेत्र में ब्रांच एवं मुख्य कार्यालय तथा विभागों को शामिल कर लिया गया है तथा लेखा के अतिरिक्त विभागों जैसे विक्रय, इन्जीनियरिंग व्यक्तिगत, एवं जन सम्पर्क आदि को भी ले लिया गया है। उपभोक्ताओं के बकाया का निपटान करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं और हाल के महीनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कार्य कुशलता गवेषणा पर भारतीय तेल निगम ने व्यय कम करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिये तरीकों एवं जन शक्ति आदि का अध्ययन करने के लिए हाल ही में इस विशेषज्ञ की नियुक्ति की है। उत्पाद के गुणों एवं मार्किट-विक्रय मूल्य पर विक्रय-अफसरों तथा जिला प्रबन्धकों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है ; जिन्हें बाजार में लगातार दौरा करने के आदेश दिये गये हैं।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन लक्ष्य

1853. श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री न० प्र० यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई केन्द्रीय व्यवस्था है, जो सरकारी उपक्रमों में उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन दिया गया है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों के उत्पादन के कार्यक्रमों और उनके द्वारा किये गये काम पर बराबर नजर रखता है ।

(ख) और (ग) : जिन मामलों में कार्यचालन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यवाई करना जरूरी समझा जाता है, उनके सम्बन्ध में सम्बद्ध मंत्रालयों । प्रतिष्ठानों के साथ विचार किया जाता है । औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन की वार्षिक रिपोर्ट, हर साल संसद में पेश की जाती है । 1965–66 की वार्षिक रिपोर्ट जल्दी ही पेश की की जायेगी ।

भारतीय तेल निगम का टेलीफोन का खर्च

1855. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दत्तात्रय कुन्टे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965–66 में भारतीय तेल निगम के मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों का टेलीफोन का खर्चा बजट अनुमानों से बहुत अधिक हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक था तथा इसके क्या कारण थे;

(ग) साधारण तथा ट्रंक काल दोनों प्रकार से टेलीफोनों का खर्च कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह पता लगाने के लिये कि जो खर्च अधिक हुआ है वह उचित था अथवा नहीं, कोई जांच की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघु रमैया : (क) और (ख) : भारतीय तेल निगम में टेलीफोन के खर्च की अलग व्यवस्था नहीं है किन्तु यह 'डाक, टेलीफोन और तारों' के सामान्य मद के अन्तर्गत आता है । 1965-66 में इस मद के वास्तविक खर्च में अनुमानित खर्च की अपेक्षा 18 प्रतिशत वृद्धि हुई क्योंकि वास्तविक विक्रय भी अनुमान से 34 प्रतिशत अधिक था ।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा अच्छी प्रकार जांच करने के बाद भारतीय तेल निगम में टेलीफोन संयोजन की व्यवस्था की जाती है। जिन स्थानों पर टेली-प्रिंटर सुविधा की व्यवस्था है, उन स्थानों के लिए सामान्यत: ट्रंक कालें बुक नहीं की जाती हैं बशर्ते कि टेली-प्रिंटर सेवा खराब न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विशेष यूनिट द्वारा अत्याधिक ट्रंक काल न बुक की जाए; नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा इस के बिलों की पूरी तरह जांच की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पोभ्काशी परियोजना

1856 श्री राममूर्ति :
श्री प० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पोभ्काशी परियोजना का कार्य इस समय बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिये कुल कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) इस परियोजना के लिए इस वर्ष कितनी रकम नियत की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 421 लाख रुपये।

(ङ) 36.122 लाख रुपये।

दाओरीमुक्कम परियोजना

1857 श्री राममूर्ति :
श्री प० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में दाओरीमुक्कम परियोजना का कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) केरल में दाओरीमुक्कम नाम की कोई परियोजना नहीं है, परन्तु थन्निरमुक्कम नाम की एक परियोजना है। इस परियोजना की अद्यतन स्थिति के बारे में केरल सरकार से पता लगाया जा रहा है।

भारत में जन्म दर और मृत्यु दर

1858 डा० कर्णी सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1891 से अब तक बच्चों की दैनिक जन्म दर तथा दैनिक मृत्यु दर क्या रही है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में जनगणनावार आयुकाल कितना बढ़ा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) देश में 1891 से अब तक बच्चों की दैनिक जन्म दर तथा मृत्यु दर के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, सम्पूर्ण आबादी का प्रति दशक में प्रति हजार की आबादी के पीछे वार्षिक जन्म दर तथा वार्षिक मृत्यु दर क्या है इसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

जनगणना वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1901–10	49.2	42.6
1911–20	48.1	47.2
1921–30	46.4	36.3
1931–40	45.2	31.2
1941–50	39.9	27.4
1951–60	41.7	22.8

	सम्भावित आयु	
(ख) जनगणना वर्ष	पुरुष	स्त्रियां
1881–1890	24.59	25.54
1891–1900	23.63	23.96
1901–1910	22.59	23.31
1911–1920	19.42	20.91
1921–1930	26.91	26.56
1931–1940	32.09	31.37
1941–1950	32.45	31.66
1951–1960	41.9	40.6
1961–1965	48.7	47.4

फार्मों का आयकर बट्टे खाते में डाला जाना

1859. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या वित्त मंत्री व्यक्तियों, फर्मो, अविभाजित हिन्दू परिवारों तथा कम्पनियों के आय-कर के बारे में 23 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अभी तक जो सूचना इकट्ठी की गयी है वह पूरी नहीं है। अपेक्षित सूचना शीघ्र इकट्ठी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमृतसर नगर का दर्जा बढ़ाना

1860 श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर नगर की जनसंख्या पांच लाख से काफी अधिक हो चुकी है ;

(ख) क्या अमृतसर में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिया है कि अमृतसर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) शहरों की जनसंख्या का निश्चय दशवार्षिकी जनगणना के आधार पर किया जाता है। 1961 की जनगणना के अनुसार छेहरटा तथा अमृतसर छावनी को मिलाकर अमृतसर की जनसंख्या 3,98,047 है।

(ख) जी, हां, । नगर-निवास-पूर्ति भत्ते तथा मकान किराया भत्ते के निमित्त अमृतसर शहर को उच्चतर 'बी-2' श्रेणी में रखने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्तमान कसौटी के अनुसार अमृतसर शहर के मामले में उच्चतर वर्गीकरण की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।

APPRAISAL OF ACHIEVEMENTS OF THIRD PLAN

1861. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri George Fernandes :
Shri S. M. Banerjee
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state.

(a) whether an appraisal of the achievements of the third Five Year Plan has been made and published ;

(b) the percentage of targets achieved in each field, separately, and the percentage of expenditure incurred in relation to the estimated expenditure, and

(c) the precautions taken, keeping the past experience in view, while preparing an out-line of and implementing the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Planning Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes, Sir. An appraisal of the achievements of the Third Five Year Plan has been given in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (**Placed in liberary, see No. L. T. 566/67**)

(c) Subject is dealt with in the Draft Outline of the Fourth Plan, in Chapters I "Approach to the Fourth Plan", II "Self-reliance and Perspective of Development" and X "Implementing the Fourth Plan' and more specifically in the Chapters dealing with particular policies and programmes (Chapters V-XXV).

प्रति व्यक्ति आय

1862. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950–51 और 1965–66 में क्रमश : राज्यवार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ; और

(ख) असंतुलन और विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण (श्री अशोक मेहता) : (क) क्योंकि राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो ने राज्यों की आय के आंकड़े विभिन्न समयों पर संकलित करने प्रारम्भ किए थे और बाद में राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया, इसलिए 1950–51 की सब राज्यों को सूचना उपलब्ध नहीं है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के अनुमान 1950–51 या इसके बाद के समीपतम वर्ष के लिए और उसके पश्चात् सबसे बाद के जिस वर्ष के लिए उपलब्ध है दिए गए हैं **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 567/677)** संकल्पनाओं, रीतिविधान और काम में लाई गई आधार सामग्री की विभिन्नता के कारण और अचरमूल्य श्रेणी के लिए लिए गए विभिन्न आधार वर्षों के कारण विभिन्न राज्यों के अनुमान तुलनीय नहीं हैं ।

(ख) ऐसा करने का प्रयत्न मुख्यतया अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों के लिए अधिक योजना-विनिधान करके और केन्द्री सहायता देकर तथा राज्यों की योजनाओं को अधिक उत्पादनोन्मुख बनाकर और उन राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर किया गया है । केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं को पिछड़े राज्यो में स्थापित किया गया और इसके अतिरिक्त यह नीति भी अपनाई गई कि उद्योगों को और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं और माल तैयार करने वाले (प्रासेसिंग) उद्योगों को प्रसारित किया जाय । अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों का शीघ्रता से विकास करने के लिए भी अधिक ध्यान दिया गया ।

राजस्थान में बिड़ला समवाय समूह को बिजली की सप्लाई

1863. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिड़ला समवाय समूह को बिजली की सप्लाई के बारे में अग्रेतर जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) जिन परिस्थितियों में कोटा के गैस टर्बाइन द्वारा जनित बिजली सस्ती हुई उन्हें श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षक नोटिस के उत्तर में लोक सभा में 7–4–1967 को पूर्णरूपेण समझा दिया गया था। यह भी बताया गया था कि कोटा के गैस टर्बाइन द्वारा जनित बिजली को कोई भी जो 35 पैसे प्रति यूनिट देने को तैयार हो, ले सकता है अतः इस विषय में आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

1864. श्री स० मों० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनें लगाई जाने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कौन-कौन से राज्यों ने विरोध किया ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने बम्बई और कलकत्ता प्रभागीय कार्यालयों में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने का निश्चय किया है। किन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता में कम्प्यूटर लगाने के विरुद्ध है।

(ग) इस मामले पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विचार किया जाना है।

Compounders and Storekeepers in Government Hospitals in Delhi

1865. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Knchwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Compounders and Storekeepers working in the CentralGovernment Hospitals in Delhi have to attend to emergency duties on holidays for which they are not paid any overtime allowance nor any leave is given to them in lieu thereof;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) The action Government propose to take in the matter ?

The Minister For Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The position in regard to the two Central Governmrnt hospitals in Delhi is as under :—

Willingdon Hospital. The Compounders and Storekeepers of this hospital are doing normal duty hours of work. However, if any of them does extra duty, he is given compensatory holidays in lieu thereof.

Safdarjang Hospital. Copounders and storekeepers of this hospital do not attend emergency duty on holidays.

(b) and (c) : Do not arise.

केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाएं

1866. **श्री क० विश्वम्भरन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सिंचाई परियोजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा पूरे धन की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक परियोजना कहां-कहां पर है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत केरल में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना क्रियान्वित करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार 9 बृहत् सिंचाई व बहूद्देयीय परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत निर्धारित ऋण सहायता दे रही है। उनके नाम और ठिकाने निम्नलिखित हैं :–

1. सिंचाई नहरों समेत भाखड़ा–नांगल	हिमाचलप्रदेश, पंजाब हरियाणा और राजस्थान
2. ब्यास	हिमाचल प्रदेश
3. चंबल	मध्य प्रदेश और राजस्थान
4. राजस्थान नहर	पंजाब और राजस्थान
5. हीराकुड	उड़ीसा
6. कोसी	नेपाल और बिहार
7. गंडक	नेपाल बिहार और उत्तरप्रदेश
8. दामोदर घाटी निगम	पश्चिम बंगाल और बिहार
9. नागार्जुनसागर	आन्ध्रप्रदेश

(ख) जी, नहीं।

Cheques and Drafts of Foreign Banks seized in Rajkot

1867. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be plea-ed to state :

(a) whether it is a fact that the terminal tax authorities in Rajkot seized cheques and drafts of foreign banks of the value of £ 585 from a railway passenger in the first week of April, 1967;

(b) if so, the sources from which these cheques and drafts were brought; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 1st April, 1967 the customs officers apprehended a passenger at Rajkot Railway station and reeovered from him instruments of foreign exchange comprising postal orders, bank drafts and travellers' cheques in all worth £ 585.

(b) According to the statement of the person concerned the postal orders and bank drafts were sent to him by his sister from South Africa, while the travellers' cheques were collected by him from another person who had come from an African country.

(c) The matter is under investigation.

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन अभिस्थापन प्रशिक्षण शिविर

1868. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन अभिस्थापन (आरिएनटेशन) प्रशिक्षण शिविर लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने शिविर लगाये गये और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रत्येक शिविर पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या ये शिविर सरकार ने स्वतन्त्र रूप से स्वयं लगाये थे अथवा आन्ध्र राज्य के भारत सेवा समाज के माध्यम से लगाये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में मनिभद्रा बांध परियोजना

1869. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की प्रस्तावित मनिभद्रा बांध परियोजना पूर्णतः स्थगित कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय इस परियोजना की स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) : जी नहीं।

(ख) : इस समय परियोजना विचाराधीन है।

राज्यों में आवास बोर्ड

1870. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या निर्माण, आवास तथा संपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आवास बोर्ड स्थापित किये गये हैं;

(ख) इन बोर्डों ने क्या-क्या कार्य आरम्भ किये हैं; और

(ग) इन बोर्डों को सरकार ने यदि कोई ऋण और अनुदान दिये हैं, तो कितनी रकम के ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों में हाउसिंग बोर्ड बना लिए हैं।

(ख) : इन बोर्डों ने विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण से सम्बन्धित सभी कार्य तथा मकानों का आवंटन अपने अधीन ले लिया है।

(ग) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदान देती है तथा राज्य सरकारें उसे हाउसिंग बोर्डों, स्थ.नीय निकायों आदि को बांटती हैं। राज्य सरकारों द्वारा हाउसिंग बोर्डों को दी गयी सहायता की सांख्यिकी इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) में कुष्ठ रोग

1871. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में आसनसोल सब डिवीजन, बर्दवान में कुष्ठ रोग बहुत बढ़ गया है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) : आसनसोल में कुष्ठ रोग में वृद्धि हुई है इसके कोई सांख्यकीय प्रमाण नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरक.र चौथी पंचवर्षीय योजना में माइन्ज बोर्ड आफ हैल्थ के सहयोग से सारे आसनसोल सब-डिवीजन को कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत लाने का विचार रखती है। माइन्ज बोर्ड आफ हैल्थ द्वारा चलाये जा रहे 15 क्लीनिकों 2 गृहों तथा 8 पृथक्करण कैम्पों के अलावा राज्य सरकार ने एक प्राथमिक कुष्ठ नियंत्रण एकक खोला है।

खसरे तथा छोटी माता का टीका

1872. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **स्वास्थ्य तथा पविवार नियोजन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खसरे और छोटी माता का टीका तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं को ऋण

1873. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वित्तीय संस्थाओं को देने के लिये ऋण की कम व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हाँ। साधनों की कठिनाई को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं को सरकारी ऋण देने के लिए चालू वर्ष के बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में उन्हें 65 करोड़ रुपये की रकम दी गयी थी। फिर भी, 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाओं को सरकारी ऋण देने के लिए 10 करोड़ रुपया और दिये जाने का विचार है।

कोलार स्वर्ण खानों में सोने का उत्पादन

1874. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार स्वर्ण खानों में सोने का उत्पादन कम होता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि सोने का उत्पादन क्यों कम हो गया है और इसका आय पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या कोलार स्वर्ण खानों को किसी गैर-सरकारी उद्यमी को देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : पिछले दो वर्षों में कोलार के सोना क्षेत्रों में सोने के उत्पादन में कमी हुई है।

(ख) : इन वर्षों में, मुख्यतः चट्टानों के फटने और आग लगने जैसे प्राकृतिक कारणों से उत्पादन में कमी हुई है। जुलाई, 1965 में चैम्पियन रीफ खान की उत्तरी तहों में बहुत बड़ी आग लगी थी। 1966–67 में भी आग लगने की छोटी-छोटी घटनाएं हुई थीं। दिसम्बर, 1966 में भूमि के खिसकने से, लगातार कई बार चट्टानों के फटने के कारण उप-सहायक मार्ग (शाफ्ट) और सम्बद्ध स्तरों को नुकसान पहुँचा था। नन्दी दुर्ग में एक सहायक मार्ग में दुर्घटना होने के कारण भी उत्पादन को धक्का लगा। मैसूर की खानों का भण्डार खत्म होता जा रहा है और वहां उत्पादन पर इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा, 1966 की अभूतपूर्व वर्षा के कारण खानों में पानी भर गया था जिससे उत्पादन में कमी हुई। खानों से निकलने वाली कच्ची धातु का स्तर भी, पिछले दो वर्षों में उन से पहले के वर्ष के मुकाबले

गिरा है। इन दो वर्षों में कुल प्राप्तियां (यहां राजस्व का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सोना सरकार के भण्डार में ही रहता है) अनुमान से लगभग 18 प्रतिशत कम रही।

(ग) : जी, नहीं।

बड़ी पन-बिजली परियोजनाएं

1875. **श्री देवेन सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कौन-कौन सी बड़ी पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण-कार्य चल रहा है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी;

(ग) उनका वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(घ) इनके पूरी हो जाने पर इनका उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 568/67**]

लेखाबाह्य धन

1876. **श्री देवेन सेन** :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 से 12 मार्च, 1967 तक की अवधि में छिपे धन विरोधी अभियान बन्द शिथिल कर दिया गया था;

(ख) क्या अभियान फिर तेजी से आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) 12 मार्च, 1967 के बाद कितनी सफलता मिली; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो 1964, 1965 और 1966 के छिपे धन सम्बन्धी छापे/जुर्माने और दण्ड/मुकदमों और सजा आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हां।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) : 12 मार्च, 1967 से 30 मार्च, 1967 के बीच में आयकर विभाग द्वारा 9 तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों में बहीखातों तथा कागजों के अलावा 24,18,100 रुपये की नकदी तथा 8,000 रुपये की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

(घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Water Scarcity in Rajasthan

1877. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Helth and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have given or propose to give any financial assistance to the Government of Rajasthan in the form of loan or grant to overcome water crisis in the rural areas of the state; and

(b) if so, the extent thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) Under the National Water Supply and Sanitation Progaramme grants are given to the State Governments to the extent of 50% of the expenditure on the execution of rural water supply schemes.

During 1966-67, an additional allocation of Rs. 45 lakhs was given to the Government of Rajasthan for rural water supply schemes. Of this, Rs. 25 lakhs was earmarked for schemes to be taken up in the scarcity areas of the State.

In addition to the above, the Ministry of Finance had released, during 1965-66 and 1966-67 a loan of Rs. 5 crores and a grant of Rs. 1 crore to the Government of Rajasthan for relief measures and this amount could also be utilised for provision of water supply in these areas.

Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1878. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether apart from Hindu communities, certain sections of Muslims and Christians are also included among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students who are awarded scholarships by the Central and State Governments; and

(b) if so, the names thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Walfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) and (b) No person who professes a religion different from the Hindu or the Sikh religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste, in terms of the orders specifying the Seheduled Castes. There is no such restriction in the case of the Scheduled Tribes. Any community specified as a Scheduled Tribe can claim the facilities granted to Scheduled Tribes, including scholarships, irrespective of the religion professed by its members.

Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students

1879. Shri P. L. Barupal : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the reasons for not increasing the amont of scholarships to those students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been drawing Rs. 600/— per annum since 1952 as scholarship in various institutions of the country, keeping in view the fact that pay scales etc. have been revised continuously due to the rising trends in prices ?

The Minister of States in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : "The rates for scholarships and stipends vary from Rs. 324/- to Rs. 900/- p. a. depending on whether a student is a boarder or a day-scholar, and/or the type of studies that he is to pursue.

The rapidly increasing number of students eligible for such scholarships do not at present permit an upward rise in the rates for scholarships" within the allocation available for this purpose.

बन्ध्यीकरण (वेसेकटामी)

1880. श्री बाबूराव पटेल : **श्री मधु लिमये :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री रवी राय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस मामले की जानकारी है, जिसमें एक एजेंट ने 30 रुपये का कमीशन प्राप्त करने के लिये मद्रास में 15 वर्ष के एक लड़के को वन्ध्यीकरण शल्य-चिकित्सा कराने के लिये वहकाकर सहमत करा लिया था;

(ख) लड़के को लाने वाले एजेन्ट तथा शल्य-चिकित्सा करने वाले सर्जन का नाम क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है ।

(ग) : ऐसे चार मामले सरकार के ध्यान में लाये गए हैं ।

(घ) : ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता । आपराधिक दण्ड संहिता के संबन्धित अनुच्छेदों में पर्याप्त उपायों की व्यवस्था है ।

कृषि के विकास के लिए नियत की गई विदेशी मुद्रा

1882. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में कृषि के विकास के हेतु उर्वरकों और कृषि उपकरणों की खरीद के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है; और

(ख) क्या कोई मित्र-देश कृषि के विकास के लिये कोई सहायता दे रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : 1967–68 में प्रयोग हेतु उर्वरकों के आयात के लिये 1966–67 में 202 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी । 1966–67 में कृषि उपकरणों के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी । 1967–68 में किये जाने आवंटनों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) : जी, हां। उदाहरणार्थ, गैर-परियोजना ऋणों में से अनेक देशों से (उदाहरणार्थ अमरीका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन. कनेडा, आस्ट्रेलिया और हालैंड) उर्वरकों कीटनाशी दवाइयों. कृषि उपकरणों आदि के लिये निधियां उपलब्ध होती रही हैं।

Lodhi Hotel New Delhi

1883. Shri Hardaya Dev Gun : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lodhi Hotel is running at a loss of about Rs. 2 lakhs per annum;

(b) whether it is a fact that a private firm or a person was ready to accept a contract of this hotel at Rs. 50 thousands a month; and

(c) if so, the reasons for non-acceptance of the contract ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The Lodhi Hotel completed the first financial year of its working on the 31st March, 1967. The Annual Accounts of the Company for this period are under preparation and the financial results of the working of the Company for the said period will be known only after the accounts are ready.

(b) Yes.

(c) The offer was found to be low and the idea of entrusting the management to private parties was dropped.

Additional Fan

1884. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sanction has been given to fix an additional fan in two-storeyed and three-storeyed Type II and III Government quarters in New Delhi; and

(b) if so; the reasons for the delay on the part of Government to implement this sanction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh : (a) and (b) Although a decision to provide one additional ceiling fan in type II and III quarters had been taken, it could not be implemented for want of funds. The first phase of the work, which is being undertaken in phases, is likely to be taken up in the current financial year.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बोर्ड के निदेशक

1885. श्री उमानाथ : **श्री नायनार :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री चक्रपाणि :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों का चयन करने के लिये यदि कोई अपेक्षतायें निर्धारित की गयी हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) यदि कोई विशिष्ट अपेक्षा निर्धारित नहीं की गयी है तो यह चयन किस सामान्य आधार पर किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार की नीति है कि सरकारी प्रतिष्ठानों के निदेशक बोर्डों के गैर-सरकारी निदेशकों की, सार्वजनिक जीवन के उपयुक्त व्यक्तियों में से, सभी सम्बद्ध बातों का ध्यान रखते हुए चुना जाय।

योजना आयोग का गठन

1876 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के गठन में समय समय पर क्या परिवर्तन किये गये; और

(ख) समय समय पर योजना आयोग के सदस्यों के नाम क्या थे ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 569/67]**

उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण योजना

1887. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को 1966-67 में अब तक किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) किन किन योजनाओं के लिए यह सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उड़ीसा सरकार को स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिए 1966-67 में कुल 50 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया।

(ख) ऋण किसी विशेष स्कीम के लिए नहीं था, अपितु इस वर्ष के दौरान आरम्भ की गई सारी स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर खर्च करने के लिए था।

उड़ीसा में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये उपाय

1888. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा के समुद्र-तटवर्ती शहरों के पास समुद्र के कटाव को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों से सम्भरण विभाग द्वारा खरीदी गई वस्तुयें

1889. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्भरण विभाग ने 1966–67 में किन-किन देशों से वस्तुयें खरीदी थीं; और

(ख) क्या क्या वस्तुएं खरीदी थीं तथा कितने कितने मूल्य की ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 1966–67 (फरवरी, 1967 तक) के दौरान संभरण विभाग द्वारा किन किन देशों से माल खरीदा गया था। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 570/67**]

(ख) मदवार सूची तैयार करने में काफी अधिक समय और परिश्रम लगेगा जबकि उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बहुत महत्व नहीं रखते। तथापि, 1966–67 के दौरान विभिन्न देशों से खरीदे गये माल का कुल मूल्य विवरण में बताया गया है जिसका जिक्र प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में किया गया है। फरवरी, 1967 तक पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा खरीदे गये माल के आंकड़े फरवरी, 1967 तक के हैं, परन्तु विदेशों स्थित दूतावासों द्वारा खरीदे गये माल के आँकड़े मार्च, 1967 तक के हैं।

मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

1890. श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नामक फर्म समाप्त की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोंग बांध बनाने के लिये हटाये गये व्यक्ति

1891. श्री हेमराज क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए सिंचाई और विद्युत मंत्री सम्मेलन में पोंग बांध बनाने के लिये हटाये गये व्यक्तियों के प्रश्न पर चर्चा हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उनके पुनर्वास के लिये हटाये गये प्रत्येक व्यक्ति को 15 एकड़ भूमि दी जानी थी;

(ग) क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो क्या; और

(घ) उनके पुनर्वास की शर्तों तथा कार्यक्रम में कौन से अन्य परिवर्तन किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) राजस्थान नहर परियोजना की निदेशन समिति ने 4 नवम्बर, 1965 को हुई अपनी बैठक में यह फैसला किया कि राजस्थान सरकार पंजाब और हिमाचलप्रदेश से विस्थापित हुए लोगों को अलाट करने के लिए 3.25 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र को पृथक रखेगी। पंजाब सरकार इसको विस्थापितों में उनकी पात्रतानुसार बांटेगी परन्तु 15.625 एकड़ से अधिक भूमि किसी को नहीं दी जायेगी। इस अन्तिम सीमा को 78 प्रतिशत प्रकृष्ट सिंचाई के आधार पर निर्धारित किया गया था जिसको अब बढ़ाकर 110 प्रतिशत कर देना मान लिया गया है। परिणामस्वरूप 15.625 एकड़ की अन्तिम सीमा में परिवर्तन हो सकता है। विस्थापितों से संबद्ध विविध मामलों को एतदर्थ निदेशन समिति के सामने उनकी अगली बैठक में निर्णय के लिए रखने का प्रस्ताव है।

आयकर का निर्धारण

1892. श्री न० कु० साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1960-61, 1962-63 और 1963-64 में आयकर अधिनियम, 1922 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत ऐसे कितने आयकर-निर्धारण किये गये, जिनमें आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई आय 30,000 रुपये से अधिक थी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

वित्तीय	उन आयकर-निर्धारणों की संख्या जिन में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई कुल आय 30,000 रुपये से अधिक थी
1960-61	54,441
1962-63	72,295
1963-64	69,726

आयकर का निर्धारण

1893. श्री न० कु० साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन करदाताओं की संख्या कितनी है, जिनकी आयकर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1922 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

1960–61, 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में किया गया था, और जिनकी कुल आय आयकर अधिकारी द्वारा 30,000 रुपये से अधिक निर्धारित की गई थी, और जिन्होंने आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील की है, इसके वर्षवार तथा समूचे आंकड़े क्या हैं,

(ख) उपरोक्त अपीलों में से कितनी अपीलों का फैसला आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा किया गया; और

(ग) यदि आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों के निर्णयों को 100 प्रतिशत अथवा 80 प्रतिशत तथा अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से कम. 60 प्रतिशत तथा अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम. 40 प्रतिशत तथा अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम 20 प्रतिशत तथा अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम. तथा 5 प्रतिशत तथा अधिक किन्तु 20 प्रतिशत से कम. और 50 प्रतिशत से कम लागू किया जाना हो, तो आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निर्णीत अपीलों में से कितने करदाताओं के मामलों में अर्थात् प्रतिशतता की प्रत्येक श्रेणी में चारों वर्षों के लिये करदाताओं की कुल संख्या अपील में विवाद-ग्रस्त र की मात्रा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः घट जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां

1894. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के उपरान्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों ने इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र दिये थे; और

(ग) ये छात्रवृत्तियां इन विद्यार्थियों को कब दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क)	अनुसूचित जातियां	1310
	अनुसूचित आदिम जातियां	538
	जोड़	**1848**

(ख)	अनुसूचित जातियाँ	1334
	अनुसूचित आदिम जातियां	551
	जोड़	1885

(ग) इन छात्रों को अक्तूबर, 1966 से छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

आयकर का निर्धारण

1895. न० कु० साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्षों 1960-61, 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में आयकर अधिनियम, 1922 या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किये गये कर योग्य आय के निर्धारण के सम्बन्ध में आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा निर्णीत उन अपीलों की संख्या कितनी है, जिनमें आयकर अधिकारी द्वारा कुल आय 30,000 रुपये से अधिक निर्धारित की गई थी और जिन्होंने आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों के आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें दायर की हैं;

(ख) उपरोक्त अपीलों में से कितनी अपीलों का निर्णय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने किया है;

(ग) यदि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को 100 प्रतिशत या 80 प्रतिशत और अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से कम या 60 प्रतिशत और अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम या 40 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत और अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम या 5 प्रतिशत और अधिक किन्तु 20 प्रतिशत से कम और 5 प्रतिशत से कम लागू किया जाना हो, तो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत अपीलों में से कितने करदाताओं के मामलों में (अर्थात् प्रतिशतता की प्रत्येक श्रेणी में चारों वर्षों के लिये करदाताओं की कुल संख्या) अपीलों में विवाद-ग्रस्त कर की मात्रा प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः घट जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

1967-68 के लिए राजस्थान की वार्षिक योजना

1896. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री स० प्रधानी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वर्ष में राजस्थान राज्य की वार्षिक योजना में कटौती का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कटौती की राशि क्या है;

(ग) किन-किन मदों में कटौती की गई है; और

(घ) इस पर राजस्थान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : राजस्थान की इस वर्ष की सालाना योजना का अभी अन्तिम रूप से निश्चय किया जाना है। अस्थायी रूप से परिव्यय 43 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली का उत्पादन

1897. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 23 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली के उत्पादन की रूप-रेखा इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्ण नियन्त्रण नियमों का उल्लंघन

1898. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 से मई 1967 के अन्त तक स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) नियमों का क्या उल्लंघन किया गया; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

तालचेर तापीय बिजली घर

1899. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकार सुपकार :

क्या **सिंचाई व विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर तापीय बिजलीघर में निश्चित कार्यक्रमानुसार उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिए अब तक कितनी सहायता दी है;

(घ) क्या योजना आयोग के किसी सदस्य ने हाल में इस परियोजना का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है; और

(च) इस परियोजना से तैयार होने वाली बिजली का किस प्रकार उपयोग करने की योजना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नहीं।

(ख) पिछले झगड़े के दौरान पाकिस्तान द्वारा कुछ सामान जब्त किए जाने के कारण तालचर ताप बिजली परियोजना को चलाने में देरी हो गई है। यह सामान पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा और इसे दुबारा बाहर से मंगाना पड़ा। वर्तमान सूचनाओं के अनुसार 62.5–62.5 मैगावाट के पहले दो उत्पादन यूनिटों के 1967–68 के उत्तरार्ध में और बाकी दो यूनिटों के 1968–69 में चालू होने की संभावना है।

(ग) तालचर ताप बिजली परियोजना को कोई निर्धारित सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा फुटकर ऋण सहायता के लिए प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं की सूची में यह परियोजना भी शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उनके दौरे की कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च) तालचर तापबिजली परियोजना राज्य में औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त उत्पन्न बिजली वर्तमान ग्रिड तंत्र में प्रवाहित करेगी।

सहकारी गृह-निर्माण समिति संघ

1900. श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लैट बनाने के लिए दिल्ली सहकारी गृह-निर्माण संघ को किराया-खरीद के आधार पर सरकार द्वारा भूमि दी जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में फैडरेशन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Fertilizer Factory at Gorakhpur

1901. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of persons uprooted due to the establishment of the Fertiliser Factory at Gorakhpur;

(b) the number of uprooted persons who have been provided employment; and

(c) the steps taken to provide employment to the remaining persons ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) 1173

(b) 360 (142 on regular basis and 218 as daily rated against work charged Estimates).

(c) Subject to suitability and possession of minimum qualification, highest priority is accorded to oustees against all class III & IV posts including daily rates of wages.

पूना में नायलोन की चीजें बनाने वाले कारखाने के लिये लाइसेंस

1902. श्री याज्ञिक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से नायलोन की चीजें तैयार करने के लिये पूना में एक कारखाने की स्थापना के लिये बिड़ला कम्पनी को एक लाइसेंस दिया गया है;

(ख) विदेशी मशीनें प्राप्त करके इस कम्पनी को ऋण अथवा साम्य पूंजी के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा मिलेगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस वस्तु के तैयार करने के लिये, जो कि वर्तमान गम्भीर वित्तीय संकट में राष्ट्रीय विकास के लिये आवश्यक नहीं है, सामान्य गारन्टियों सहित इस प्रकार का विदेशी ऋण मंजूर करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां ।

(ख) पार्टी को 112.50 लाख रुपये के शेयरों को विदेशी सहयोगियों को देने की अनुमति दी गई है । उक्त धनराशि में से 65.25 लाख रुपये की मशीनरी सहयोगियों द्वारा सप्लाई की जायेगी और शेष धनराशि जानकारी की सप्लाई के बदले में निशुल्क शेयरों के रूप में होगी । इन्जीनियरिंग सेवाओं तथा संयन्त्र एवं मशीनिरी के आयात के अपेक्षित शेष धनराशि के लिए पार्टी को डच इण्टर नेशनल (एक्सपोर्ट) ऋण का लाभ उठाने की अनुमति दे दी गई है । इन उद्देश्यों के लिए इस ऋण में से इस्तेमाल की जाने वाली कुल धनराशि लगभग 184.3 लाख रुपये होने का अनुमान है । पार्टी को अपने सहयोगियों से 47.84 लाख रुपये तक ऋण लेने की अनुमति भी दे दी गई है; जिसमें से वे डच ऋण के अन्तर्गत तत्काल अदायगी डाऊन पेमेंट की व्यवस्था करेंगे तथा मशीनरी आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा में होने वाले अंतर को भी पूरा करेंगे ।

(ग) सभी पहलुओं पर सरकार ने विचार कर लिया है जैसे राष्ट्रीय विकास में इस उद्योग की अग्रता, ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा की स्वीकृति से पहले पार्टी से अपेक्षित गारन्टी और निवेश के अनुमोदन एवं सहयोगियों से ऋण। यह आलोचना न्याय संगत नहीं है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में नान-सैलूलोज संशूलेषी तन्तु उद्योग की आवश्यकता नहीं है यदि कोई यह विचार करे कि इसके प्रति-स्थापन से सूती वस्त्रों की खपत कम की जा सकती है। इस प्रकार हम विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं जो इस समय कपास के आयात पर खर्च की जा रही है, क्योंकि संश्लेषी तन्तु उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चा माल देश के ही पेट्रो-रसायन यूनिटों से उपलब्ध होगा। इस अप्रत्यक्ष लाभ ये भी है कि कपास वाली भूमि का अन्न की फसलों के लिए उपयोग होगा जो अत्यावश्यक है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय

1903. श्री श्रीधरण :
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलायुमाडोम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65, 1965–66 तथा 1966–67 में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय ने कितनी राशि के ऋण लिये थे;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) उक्त अवधि में प्रचार कार्य आदि पर इस कम्पनी ने कितनी राशि खर्च की ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय को हुई हानि की धनराशि निम्नप्रकार है :—

	1964–65	48,83,000 रुपये वास्तविक हानि
	1965–66	69,85,773 रुपये वास्तविक हानि
	1966–67	अभी लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया है।
(क)	1964–65	(i) बिजली सप्लाई की कमी
		(ii) अमोनिया प्लांट में आकस्मिक विस्फोट
	1965–66	(i) बिजली सप्लाई की कमी
		(ii) विद्युत दाब का गिरना तथा बिजली में खराबी; और
		(iii) 2–5–1965 से मजदूरों में बेचेनी जिसके परिणाम स्वरूप 25–8–65 से 6–9–65 तक पूर्ण हड़ताल।
(ग)	1964–65	4.71 लाख रुपये
	1965–66	5.37 लाख रुपये
	1966–67	लगभग 6.00 लाख रुपये (लेखा अभी पूरा किया जा रहा है)

M/s. Bird and Co.

1904. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 306 on the 6th April, 1967 and state :

(a) whether the enquiry relating to the three agencies which were found involved on the basis of the documents recovered from M/s. Bird and Company, Calcutta has been completed;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken therein ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The scrutiny of the documents seized from M/s, Bird and Co. (Pvt.) Ltd. by the three agencies, namely, the Enforcement Directorate, Income-tax authorities and the Company Affairs Department has not yet been completed.

(b) Does not arise.

(c) In view of the very large volume of documents to be sifted and the complexity of the questions of facts involved, and further, as the documents cannot be simultaneously made available to all the three agencies concerned for their scrutiny, the investigations are likely to take time.

अमरीका से सहायता

1905. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से लेकर आज तक अमरीका से विभिन्न रूपों में, जिनमें पी० एल० 480 आदि के अन्तर्गत संयुक्त ऋण शामिल हैं, प्रति वर्ष कितनी राशि की सहायता मिली है;

(ख) सहायता की कुल राशि में से, अमरीका की सरकार ने भारत में कितनी राशि खर्च की है और उसने समय-समय पर भारत को कितनी राशि भेंट की है; और

(ग) अमरीका सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त सहायता अन्य मित्र राष्ट्रों द्वारा दी गई सहायता की तुलना में कैसी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ 31 मार्च 1967 तक (1) डालर ऋणों, (2) डालर अनुदानों (3) पी०एल० 480 सम्बन्धी वस्तु सहायता और (4) पी० एल० 480 के अन्तर्गत जमा रुपयों में से दिये जाने वाले रुपया ऋणों और अनुदानों के सम्बन्ध में जिन रकमों के लिए करार किये गये हैं उनके विवरण 1 से 4 तक के अनुबन्धों के रूप में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 571/67]**

(ख) पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये वस्तुओं के आयात द्वारा एकत्रित रुपयों में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 31 मार्च 1967 तक।

(1) भारत सरकार ऋण-करारों द्वारा 878.85 करोड़ रुपया और अनुदानों द्वारा 321.63 करोड़ रुपया दिया,

(2) भारत में अपने कामों के लिए 122.11 करोड़ रुपया खर्च किया, और

(3) भारत-अमरीकी संयुक्त उद्योग-धन्धों को ऋणों (कूले-ऋणों) के रूप में 56.69 करोड़ रुपया दिया।

(ग) विभिन्न देशों से प्राप्त सहायता की तुलना करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सहायता की शर्तें और उनके प्रयोजन तथा ऋण देने वाले देशों की आर्थिक क्षमता अलग अलग हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त सहायता किसी भी अन्य देश से प्राप्त सहायता से अधिक है।

योजना सम्बन्धी तथा योजना-भिन्न व्यय

1906. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के आय-व्ययक प्राक्कलनों में योजना-भिन्न व्यय के योजना सम्बन्धी व्यय से अधिक होने के क्या कारण हैं;

(ख) योजना सम्बन्धी व्यय तथा योजना-भिन्न व्यय के अनुपात पर क्या रोक है और क्या योजना आयोग ने इसके लिये कुछ मार्ग दर्शक सिद्धांत निश्चित किये हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि योजना-भिन्न व्यय में वृद्धि की दर पिछले वर्ष, अर्थात् 1966-67 के पुनरीक्षित प्राक्कलन से 48 प्रतिशत अधिक है और योजना सम्बन्धी व्यय में वृद्धि की दर पिछले वर्ष, अर्थात् 1966-67 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों से केवल 1.8 प्रतिशत अधिक रही है; और

(घ) योजना-भिन्न व्यय के इस अनुपात में और अधि : गिरावट को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सरकार की कोशिश गैर-परियोजना व्यय को सीमित रखने की है ताकि योजना व्यय को निरन्तर रूप से बढ़ाना संभव हो सके। तथापि, चालू वर्ष में, बजट तथा मूल्य की कठिन स्थिति को देखते हुए योजना तथा गैर-योजना व्यय को अधिकतम सीमित रखना आवश्यक हो गया है। यह सच है कि 1967-68 के लिये योजना व्यय उतना ही है जितना कि 1966-67 का पुनरीक्षित व्यय। तथापि, यह सच नहीं है कि गैर-योजना व्यय अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। वास्तव में 1967-68 के बजट प्राक्कलनों में केन्द्र का गैर-योजना व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.5 प्रतिशत कम है। यदि विशेष कारणों के लिये भी गुंजाइश रख ली जाये तब भी 1967-68 में केन्द्र का गैर-योजना व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई अधिक नहीं है। ज्यों ही आर्थिक दशा सुधरेगी मूल्य स्तर पर दबाव डाले बिना ही विकास के परिव्यय को बढ़ाना संभव होगा और इससे गैर-योजना व्यय के सम्बन्ध में योजना व्यय का अनुपात बढ़ जायेगा।

दिल्ली प्रशासन के अध्यापक तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना

1907. श्री आत्म दास : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अध्यापक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी, जिनमें अध्यापक भी सम्मिलित हैं, अभी तक केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अधीन आते हैं। दिल्ली प्रशासन ने इन कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाना व्यावहारिक नहीं समझा। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस बात पर फिर से विचार किये जाने की सम्भावना है।

नामरूप उर्वरक परियोजना

1908. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप उर्वरक परियोजना चालू हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसमें प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उर्वरक तैयार किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) 1962 में चीन का आक्रमण और 1965 में कारखाने के स्थल का बदला जाना। उस समय से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कभी देर नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

1909. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों की कमी की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये सरकार ने एक स्वायतशासी बोर्ड बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के अधिकार तथा कार्य-क्षेत्र क्या होंगे;

(ग) क्या प्रस्तावित बोर्ड के लिये जीवन बीमा निगम से भी ऋण मांगा गया है; और

(घ) इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा के पार चोरी छिपे माल ले जाना

1910. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 11 अप्रैल, 1967 को भारत से चोरी-छिपे ले जाये जाने वाले माल से भरा एक ट्रक भारत से गोलपाड़ा-पाकिस्तान सीमा पर से पूर्वी पाकिस्तान गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इससे पहले हाल में एक और ऐसी घटना हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुये सीमा पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या विशेष कदम उठाने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 11 अप्रैल 1967 को गोहाटी के एक निवासी का ट्रक लेकर उसका ड्राइवर गोलपाड़ा-पाकिस्तान सीमा पार करके पाकिस्तान चला गया। लगता है, ड्राइवर अपने परिवार सहित पाकिस्तान चला गया है। इस बात की कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान जाते समय ट्रक में माल भी था अथवा नहीं।

(ग) और (घ) 5 मई 1967 को धुबरी कृषि कार्यालय की एक पिक-अप वैन को लेकर उसका ड्राइवर उसी सीमा को किसी दूसरी जगह पर से पार करके पाकिस्तान चला गया है।

(ङ) सीमा पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों पुलिस तथा सुरक्षा दल को सतर्क कर दिया गया है।

जन संख्या वृद्धि को रोकना

1911. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

(क) क्या यह सच है कि देश में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार शृंखलाबद्ध रूप में अनेक उपाय करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों की रूपरेखा क्या है और क्या प्रस्तावित उपायों का कोई विरोध किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) पहले से चलाए गए प्रभावशाली परिवार नियोजन कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ साथ ये कार्यक्रम शामिल हैं:–इस समस्या के प्रति चेतना उत्पन्न करना, छोटे परिवार के आदर्श के पक्ष में प्रेरणा, शिक्षा और प्रचार कार्य करना, लूप पहनाने और नसबन्दी करने के लिए सुविधाएं जुटाना तथा प्रचलित गर्भरोधकों की सप्लाई का काम। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी विचाराधीन हैं:–

(1) गर्भपात के कानून को उदार बनाना।

(2) विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना।

(3) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् तथा इस मंत्रालय की तकनीकी समिति से उचित सलाह मशविरा करने के बाद, गोलियों का प्रयोग, एक प्रयोगात्मक तथा सीमित रूप में शुरू करना।

(4) छोटे परिवार के लिए प्रेरणा–छोटे परिवारों को प्रेरणा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति को सितम्बर 1967 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

ऊपर (1)। (2) और (3) में बताये गये उपायों के पक्ष और विपक्ष में मत व्यक्त किए गए हैं।

बम्बई में नायलन के धागे का पकड़ा जाना

1912. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल में बम्बई में करोड़ों रुपयों का नायलन का धागा पकड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें से कुछ धागे को कोई भी व्यक्ति इसलिए लेने नहीं आया कि कहीं जनता को ऐसा आभास न हो जाये कि यह धागा तस्कर व्यापारियों का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसमें से बहुत सा धागा कानूनी तौर पर आयात किया गया था, तथा लाइसेंस प्राप्त उन व्यक्तियों से पाया गया है जो आयात लाइसेंस के अन्तर्गत इस का आयात करने के अधिकारी थे; और

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में बम्बई में लगभग 52.74 लाख रुपये मूल्य का 46,370 किलोग्राम नायलन का धागा पकड़ा था। इसके अलावा लगभग 537 लाख रुपये मूल्य का 4,75,709 किलोग्राम नायलन का धागा आगे जांच पड़ताल के लिये रोक लिया गया था।

(ख) कुछ मामलों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किये गये समन तामील हुए बिना वापस लौट आये हैं। इस मामले में आगे जांच की जा रही है कि क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नाम और पतों के बारे में पहले इकट्ठी की गई सूचना सही है। इसलिये, इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि माल के कुछ जत्थों के दावेदार हैं ही नहीं।

(ग) जांच करने पर यह पता चला है कि 2,87,734 किलोग्राम नायलन धागा वैध रूप से आयात किया गया था और उसे छोड़ दिया गया है। नायलन के 1,53,008 किलोग्राम धागे के बारे में जांच अभी चल रही है।

(घ) 21 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। उनके नाम हैं:-

सर्व श्री यूसुफ ए० पटेल
अब्दुल सत्तार अबूबकर
रेवाचन्द मंगलानी
तोलाराम आर० भमवानी
खीमजी टोपन दास
पुरुषोत्तम हनुमन्त नायडू
रामचन्द्र यादव
मोहिन्द्रासिंह तेजासिंह
सर्दअली माशूकअली
अमीरुद्दीन शमसुद्दीन
प्रकाशचन्द शालिग राम औहरी
पुनमभाई एस० टन्डेल
कान्जी भाई लाला
बाबू खां अमीर खां
कृष्ण हीरा उर्फ मदन कपूर
प्रताप वेंकोजी टिन्डर
बादशाह मोहम्मद सईद
अशरफ शकूर काछी
अली मोम्हमद अबूबकर अलाना
और
मोहम्मद अली मोहम्मद

रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिये अत्यावश्यक कच्चा माल

1913. डा० रानेन सेन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिये अत्यावश्यक कच्चे माल की खोज तथा कार्य सम्पादन में गैर सरकारी पूंजी लगाने की अनुमती देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं। सरकार रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिए पाइराइटस एवं चट्टान फासफेट जैसे अत्यावश्यक कच्चे माल की खोज तथा कार्य सम्पादन में गैर-सरकारी पूंजी लगाने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण

1914. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री पार्थसारथी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम कर्मचारी संघ ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि भारत में सब विदेशी पैट्रोलियम समवायों का राष्ट्रीकरण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ऐसी कार्यवाही जरुरी नहीं समझती।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली

1915. श्री पार्थसार्थी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में अधूरे पड़े हुए अनेक विद्युत विस्तार कार्यों को पूरा करने के हेतु विशेष धन देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनैतिक दलों को भूमि का नियतन

1916. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक संगठनों को भूमि नियत की गई है ;

(ख) क्या इस तरह नियत की गई भूमि सरकारी दरों, राजसहायता प्राप्त दरों अथवा बाजार दरों पर दी गई है ;

(ग) किन किन संगठनों को भूमि नियत की गई है, कितनी कितनी भूमि नियत की गई है तथा प्रत्येक से प्रति वर्ग गज कितना मूल्य लिया गया है ; और

(घ) भूमि नियत किये जाने के लिये इन संगठनों के कितने प्रार्थना पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1917. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं ; और

(ख) उन्हें मजूरी, वेतन आदि के रूप में प्रतिवर्ष कितनी रकम दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1965-66 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कुल 4,64,481 कर्मचारी थे ; इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो ठेकेदारों द्वारा मुख्यत: इमारती कामों पर लगाये गये थे।

(ख) 1965-66 में वेतनों और मजदूरियों और अन्य लाभों आदि का कुल बिल 143.25 करोड़ रुपये का था। 1966-67 के सम्बन्ध में जानकारी वार्षिक लेखों के बन्द किये जाने के बाद उपलब्ध होगी, जिसके लिये समवाय अधिनियम में लेखा वर्ष की समाप्ति के छ महीने बाद तक की अवधि की अनुमती दी गयी है।

राम गंगा परियोजना

1919. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अचल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राम गंगा परियोजना,

कालागढ में मजदूरों में असन्तोष है और उनकी हड़ताल के परिणामस्वरूप इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि परियोजना का काम निर्धारित कार्यक्रम से पीछे न रहने पाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह मामला स्थायी सुलह बोर्ड को पहले ही निर्दिष्ट है जब तक उनकी सिफारिशें नहीं मिल जातीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रशासनिक तौर पर इससे सम्बन्ध रखती है और परियोजना की कार्यान्विति कर रही है, वर्कचार्ज कर्मचारियों की मजदूरी में 10 प्रतिशत की एतदर्थ वृद्धि करना मान लिया है, और यह वृद्धि 10 रुपये से कम और 25 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(ग) उत्तरप्रदेश सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही कर रही है। सैंडल बांध पर काम फिर आरम्भ कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियां

1920. श्री कृष्णन : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अनुसूचित जाति' शब्द की कहीं कोई परिभाषा दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह क्या है तथा उसका आधार क्या है ;

(ग) क्या जिस प्रयोजन से अनुसूचित जातियां बनाई गई थीं, वह सिद्ध हो गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कहाँ तक ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 366(24) में "अनुसूचित जातियों" को परिभाषित किया गया है । किसी जाति का अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख करने की कसौटी यह रही है कि क्या अस्पृश्यता बरते जाने के कारण उस जाति को सामाजिक आयोग्यताओं का सामना करना पड़ा है।

(ग) और (घ) उनके लिये बनाये गये संवैधानिक रक्षोपायों का कार्यान्वन तथा उनकी प्रगतियों की जाँच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा की जाती है। आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट संसद को पेश की जाती रही हैं ।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां

1921. श्री कृष्णन : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों की जातिवार कहाँ तक लाभ पहुंचा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सब अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सभी रियायतों और सुविधाओं पर केवल "हरिजन" कहे जाने वाले वर्ग ने एकाधिकार कर रखा है जिससे अन्य जातियां घाटे में रहती हैं ;

(ग) क्या मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने अथवा उससे निकालने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसको सम्मिलित करने अथवा निकालने के उसने क्या कारण बताये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सभी अनुसूचित जातियों को रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ; मेहतरों को छोड़कर शेष के सम्बन्ध में जाति के आधार पर कोई असमानता नहीं बरती जाती ।

(ख) "सुवर्ण हरिजन" का प्रसंग स्पष्ट नहीं है । तो भी यह सम्भव है कि अनुसूचित जातियों में कुछ अपेक्षाकृत अधिक प्रगति पा जाने वाली जातियों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचा हो ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है । सिफारिशों के विषय में इस स्तर पर विस्तार पूर्वक बताना लोकहित में नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास

1922. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य चार जिलों के विकास की भांति ही हाल में उत्तर प्रदेश में बलिया, बस्ती आदि कुछ और जिलों में विकास आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके विकास के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि वे आवश्यक सूचना उपलब्ध करें और जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी उसे सभापटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

नई दिल्ली में पानी प्रायः बन्द होना

1923. **श्री इस्हाक साम्भली :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली क्षेत्र में पेय जल की सप्लाई वाटर वर्क्स तथा पाइप लाइनों की अच्छी तरह देख भाल तथा मरम्मत न होने के कारण प्रायः बन्द रहती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) नई दिल्ली के अधिकांश भागों में पानी की सप्लाई रुक रुक कर की जाती है। पानी सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक और रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बन्द रहता है। सामान्यतः इन उपर्युक्त घण्टों के अलावा पानी बन्द नहीं रहता। कभी कभी बहुत कम अवसरों पर पाइप-लाइन के फट जाने से अथवा उसमें लीकेज हो जाने से या इस बस्ती में बिछाए गए नये पाइपों से इन्टर-कनेक्शन लेते हुए पानी की सप्लाई बन्द करनी पड़ती है परन्तु जब कभी ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में पहले दे दी जाती है। कोशिश भी यह रहती है कि मरम्मत का काम पानी बन्द रहने के घण्टों में ही किया जाये। नई दिल्ली नगरपालिका ने यह भी बतलाया है कि जब कभी ऐसी कोई रुकावट आ जाती है कि मरम्मत के लिए पानी की सप्लाई रोकनी जरूरी हो जाये तो प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त राहत देने के लिये टैन्करों से पानी पहुंचा दिया जाता है।

Opium Factory at Neemuch

1924. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2735 on the 23rd September, 1965 and state the progress since made in the construction of an Opium factory at Neemuch ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The work of drawing up the plans and Designs of the Factory and its equipment is in progress.

Navigable Link Canal Between Brahamputra and Ganga

1925. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 379 on the 2nd September, 1965 and state :

(a) the progress since made in regard to a navigable canal proposed to be constructed to link the Ganga and Brahamputra ; and

(b) when the project would be implemented and the expenditure involved thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) :--A scheme to construct a barrage across the river Tista near Gajaldoba in West Bengal with a right bank canal connecting the river Ganga at Farakka and a left bank canal connecting the river Brahmaputra at Dhubri in Assam, has been prepared. Because of the high cost of the project taking up the work in stages has been proposed. Some further work on the investigations has been entrusted to the Government of West Bengal.

The question of cost and implementation will both be taken up as soon as the above investigations are completed.

Expenditure on Family Planning

1926. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether any assessment has been made to find out which of the two devices of birth control viz., insertion of loop and operation, is more popular amongst the people ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrashekhar) : (a) Yes, Sir.

(b) The concurrent assessment based on reports and returns indicates that popularity of each method varies from State to State. Taking the figures for the whole country, the number of sterilization since 1956 is about 2.3 million while the number of loop insertions since July, 1965, when this programme was introduced is 1.7 million.

आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना

1927. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रा० बरूआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य के शिवसागर जिले में तेल के कितने नये कुएं खोदे गये हैं ;

(ख) इन कुओं में तेल का अनुमानतः कितना भंडार है ;

(ग) लकुआ, रूद्रसागर तथा तेल के अन्य कुओं से अशोधित तेल निकालने का क्या कार्यक्रम है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये जोरदार मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) से (ग) भारत सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत सूचना नहीं दी जा सकती ।

(घ) जी हां । कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ङ) क्योंकि वर्तमान शोधन क्षमता इस समय और आगे कुछ समय तक के लिये आसाम की मांग से अधिक है तथा इस दशा में और अधिक क्षमता की स्थापना के कारण आसाम से बाहर बिकने वाले तेल पदार्थों से होने वाली हानियां बढ़ जायेंगी, सरकार का विचार है कि शोधन क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाये जब स्थानीय मांग में पर्याप्त वृद्धि हो जाये ।

मैडिकल तथा पैरा-मैडिकल कर्मचारी

1928. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के मैडिकल तथा पैरा-मैडिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है ;

(ख) क्या प्रत्येक श्रेणी के लिये कोई फार्म बनाये गये हैं ; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का नविनतम लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं मुख्यतः स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के सुझावों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(ख) चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों की अधिक महत्वपूर्ण श्रेणियों की आवश्यकताएं निर्धारित करने के नियम इस प्रकार है :—

1.	डाक्टर	3,500 की जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर।
2.	नर्से	5,000 की जन संख्या के पीछे एक नर्स । सहायक नर्स धात्रि।
3.	सहायक नर्स–धात्रियां	
4.	भैषजिक, प्रयोगशाला तकनिशियन, आधारिक स्वास्थ्य कर्मिक, सफाई निरीक्षक	10,000 की जन संख्या के पीछे एक।
5.	दन्त स्वास्थ्य शास्त्री और दन्त मैकेनिक	प्रत्येक प्रा० स्वा० केन्द्र और जिला। स्कूल। चलते फिरते। तालुका दन्त क्लीनिक के लिए एक।

(ग) चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए चौथी योजना अवधि में जो लक्ष्य रखे गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

डाक्टर		45,000
नर्से	42,000 से	45,000
सहायक नर्स–धात्रियां		60,000
भैषजिक		21,000
प्रयोगशाला तकनिशियन		9,500
आधारिक स्वास्थ्य कर्मिक		40,000
सफाई निरीक्षक		63,000
स्वास्थ्य सहायक। सहायक स्वास्थ्य कर्मिक		600
नर्स दाई। दाईयां		2,50,000
रेडियो–ग्राफर		6,000
व्यावसायिक चिकित्सक		100 वार्षिक
भौत–चिकित्सक		100 वार्षिक
प्रोस्थैटिक एण्ड आरथोपैडिक तकनिशियन		100 वार्षिक
स्वास्थ्य शिक्षक		2,000

चित्रकूट-जलविद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश

1929. श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री सुन्दर लाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जलविद्युत् परियोजना के विकास के सम्बन्ध में कोई सुझाव भेजा था;

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में कोई उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1964 में 7.6 करोड़ रुपये की अनुमित लागत पर चित्रकूट पन-बिजली स्कीम के विकास का प्रस्ताव रखा था। इस स्कीम में 32 मैगावाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता परिकल्पित थी और विस्थापित व्यक्तियों को काम पर लगाने के विचार से बनाई गई थी। विशेषज्ञ दल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और यह निर्णय किया गया कि कार्यान्विति के लिये इस स्कीम को स्वीकार करने से पूर्व विस्तृत अनुसंधान किए जांए। विस्तृत अनुसंधान 1967 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र में कुछ उद्योग खोलने के प्रस्ताव भी रखे हैं। जबकि इस क्षेत्र में आठ उद्योग छोटे पैमाने पर खोले जा चुके हैं, कागजी गूदे, अखबारी कागज और प्लाई-वुड इत्यादि जैसे उद्योगों को खोलने के प्रस्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

Financial Assistance for Development of Singapore

1930. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Finance** be pleased to states :

(a) whether Government have decided to give any financial assistance for the development of Singapore during the current year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the terms and conditions thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not ar se.

Hospitals in Delhi

1931. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total number of hospitals being run by the Central Government and Delhi Administration in Delhi at present ;

(b) the number of nurses and doctors working at present in these hospitals ; and

(c) the number of doctors and nurses proposed to be increased in these hospitals during the Fourth Plan period ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr.S.Chandrasekhar) : (a) The Safdarjang and the Willingdon Hospitals are run directly by the Central Government and six by the Delhi Administration.

(b) 690 doctors and 1,354 nurses are working in these hospitals at present.

(c) Subject to the availability of funds it is proposed to add 153 doctors and 270 nurses.

Remittance of Profits Abroad

1932. Shri Kameshwar Singh :
Shri A. Sreedharan :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheoputan Shastri :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state the percentage of profit as also the total amount remitted abroad an 1966-67 and upto May, 1967 in the current year under various collaboration agreements concluded with foreign experts and manufacturers in respect of small and large scale industries ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance(Shri Morarji Desai) : Information regarding profits made under collaboration agreement is not available as Statistics of profits are not maintains agreement-wise. The Reserve Bank maintains consolidated statistics of remittances made on account of dividends, royalties, technical know how fees and technicians, fees. Information is available only upto September 1966.

Remittances during the period April to September 1966 were as follows :

		(Rs. crores)
(i)	Dividends	14.4
(ii)	Royalties	2.3
(iii)	Technical know-how fees	4.6
(iv)	Technicians' fees	7.6

पेंशन तथा उपदान (ग्रेचुइटी) के मामले

1933. श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक पेंशन तथा उपदान के कितने मामले अन्तिम मंजूरी के लिये अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) ये मामले लगभग कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

फार्मेसी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति

1934, **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आवश्यकता के अनुमान के आधार पर इन श्रेणियों के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है;

(ग) क्या वर्तमान कमी को देखते हुए सरकार की प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय देश में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा देश में फार्मेसी के स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) चौथी योजना अवधि में स्नातक-भैषजिकों की अतिरिक्त कुल आवश्यकता प्रति वर्ष 1400 अनुमान की गई है। चूंकि विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना पूरी तरह उपलब्ध नहीं हुई है अतः स्नातकोत्तर भैषजिकों की आवश्यकता का ठीक ठीक निश्चय करना संभव नहीं हो सका है।

(ख) और (ग) फार्मेसी में अपेक्षित संख्या में स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए चौथी योजना में व्यवस्था की गई है। चौथी योजना में सीटों की बरबादी के लिए गुंजाइश रखते हुए फार्मेसी के डिग्री कोर्स के लिये 1700 सीटों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(घ) 15 संस्थाएं फार्मेसी का डिग्री कोर्स चलाती है और 10 स्नातकोत्तर कोर्स।

15 उप-स्नातक संस्थाओं की कुल प्रवेश-क्षमता 491 है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर इन संस्थाओं से हर वर्ष निकलने वाले प्रशिक्षार्थियों की औसत संख्या भी उक्त विवरण में दी गई है **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 572/67]**

केन्द्रीय भैषजिकी संस्थान

1935, **श्रीमती सुशीला रोहतगी** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भैषजिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या भारत में विभिन्न श्रेणियों के भेषजिकों की कमी है तथा भारत में भेषजों के क्षेत्र में उत्पादन तथा अनुसंधान बढ़ाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) केन्द्रीय भैषजिकी संस्थान की स्थापना से संबंधित योजना को वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया है। तथापि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अन्तरिम उपाय के रूप में औषध परीक्षण पाठ्यक्रम पहले ही चल दिये गये हैं।

(ग) चौथी योजना में स्नातक भैषजिकों की कुल कमी का अनुमान 1400 प्रति वर्ष लगाया गया है। किन्तु औषध उद्योग में सामान्यतया प्रशिक्षित कर्मचारीयों की कमी महसूस नहीं की जा रही है। जिन राज्यों में भेषज्य उद्योग मुख्यतया सकेन्द्रीत हैं वहां पर भैषजिकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संस्थान हैं। तथापि अन्य राज्यों में स्थित कुछ भैषज्य एककों को प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औषधों के उत्पादन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सुविधाएं दी गई हैं। निजी क्षेत्र में भी कुछ फर्मों ने अनुसंधान सुविधाएं शुरु कर दी हैं।

(घ) चौथी योजना अवधि में भैषजिकी के डिग्री कोर्स में प्रति वर्ष 1700 उम्मीदवारों के दाखिल करने की अतिरिक्त क्षमता तैयार करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों तथा विश्व विद्यालयों को डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय सहायाता दी जाती है। औषध उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने निर्माण ऐजेन्सियों से प्रशिक्षित भैषजिकों के सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है।

सोने की बिक्री तथा खरीद पर नियंत्रण

1936. श्री ग्रात्म दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने की बिक्री और खरीद पर नियंत्रण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस नियंत्रण के फलस्वरुप बेरोजगार होने वाले स्वर्णकारों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, नहीं। कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है स्वर्ण शोधकों और स्वर्ण तथा आभूषण विक्रेताओं को लाइसेंस देने तथा स्वयं सुनार के रुप में प्रमाणीकरण की स्वर्ण नियंत्रण नियमों में व्यवस्था है, और इन लोगों के लिये लेखा और विवरणियों से सम्बन्धित विस्तृत फार्म निर्धारित कर दिये गये हैं। इन नियमों के अनुसार लाइसेंस शुदा विक्रेताओं, शोधकों तथा

प्रमाणित स्वर्णकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा शुद्ध सोना रखना अथवा प्राप्त करना भी मना है। शोधन कारखाने केवल निर्धारित मान की स्वर्ण छड़ों के रुप में सोने का उत्पादन करेंगे। इन बातों का स्वर्ण के क्रय-विक्रय पर परोक्षरुप से नियंत्रण रखने में प्रभाव पड़ता है। भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम' 1966 के अन्तर्गत, निजी तौर पर शुद्ध सोना रखने पर प्रतिबंध की दृष्टि से इन नियमों में, 31 अगस्त 1967 से प्रतिबन्ध के पूर्णरुप से लागू होने से पूर्व की अन्तरिम अवधि में, वैध रुप से रखे शुद्ध सोने की बिक्री आदि की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) वैध रुप से रखे सोने की बिक्री आदि की निर्धारित प्रक्रिया से स्वर्णकारों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि 1963 में स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये कुछ योजनाएं बनाई गई थी। इनमें, जिन स्वर्णकारों ने अपना पेशा बदलने का विकल्प स्वीकार किया था, उन्हें वित्तीय तथा अन्य सहायता देना भी शामिल है। तकनीकी प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं। यह सहायता योजनायें चालू रखी जा रही हैं।

Public Cooperation for Implementation of Plans

1937. **Shri K. M. Madhukar :** will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to enlist active cooperation and backing of the public of Gram Panchayats Block and District levels towards implementation of the Plans,

(b) if so, the details thereof.

(c) If not, the reasons for Government indifference in enlisting public cooperation in the emplementation of the Plans ?

The Minister of Planning Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Metha) ; (a) Yes Sir, at all levels.

(b) The National Advisory Committee on public cooperation, which includes representatives of a number ef leading voluntary organisations, has sponsored national programmes in public cooperation and serves as a forum for the consideration of problems relating to public participation in development programmes. Principal schemes undertaken are (i) Lok Karya Kshetras (Rural & Urban) (ii) Planning Forums in Universities and Colleges to stimulate interest in the Plan (iii) Organisation of research and Pilot Projects in Public Cooperation (iv) National Consumer Service and (v) Educational Work on Prohibition.

(c) Does not arise.

FAMILY PLANNING

1938. **Shri K. M. Madhukar** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the openion of experts has been sought on the required social, physical, psychological and moral aspect in regard to abortion before any legislation to this effect is brought, and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Plannings, (Dr. S. Chandrasekhar) (a) and (b) The question of liberalisation of the law on abortion was referred to a Committee set up

under the chairmanship of Shri Shanti Lal Shah, Ex-minister of Public Health, Law and Judiciary, Maharashtra. This Committee issued questionnaires to various peopleincl udirg among others, experts in Medical, Social, Legal, Political and Religious fields. After due consideration of the views expressed by all these experts, the Committee submitted their report, which will shortly be laid on the table of the Sabha. The recommendations of the Committee have already been laid on the table of the Sabha.

ELECTRICITY FROM MATATILLA DAM

1939. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have discussed with the U. P. Government the question of providing electricty from Matatilla Project to Madhya Pradesh;

(b) If so, when and the results thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) : Government have not recently discussed with the Government of U. P. about the power supply from Matatilla Project to Madhya Pradesh.

According to an agreement already reached between the two State Governments, about 2.5 MW of power will be supplied from Matatila to Madhya Pradesh at an agreed price. Out of this, Utter Pradesh have been supplying about 1 MW to Madhya Pradesh at Jhansi since 11-4-65. Madhya Pradesh have desired that power from Matatila be made available from four points Viz Matatila, Jhansi, Mauranipur and Banda. The proposition of making power available from any point other than Matatila has raised the question of additional cost of transmission which is currently being discussed between the two State Electricity Boards.

गुजरात पुनर्वेलन मिल संगठन द्वारा अभ्यावेदन

1940. श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० को० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर, 1966 को गुजरात पुनर्वेलन मिल संगठन ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष को 5 मि० मी० से 10 मि० मी० तक की मोटाई के तथा 10 मि० मी० से अधिक मोटाई के फलकों पर उत्पादन शुल्क के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन पर अधिक उत्पादन शुल्क के बारे में गुजरात के पुनर्वेलन मिल निर्माताओं की शिकायतें किस प्रकार दूर करने का है क्योंकि बड़े निर्माताओं से इसी प्रकार के फलकों पर कम शुल्क लिया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने मामले की जांच करली है तथा आशा है कि आदेश शीघ्र ही जारी हो जायेंगे।

1941 Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Y. S. Kushwah

Will the Minister Health and Fnmily Planning the pleased to State :

(a) whether it is a fact that medical fee is charged by the School and College authorities from all students in the capital ;

(b) whether it is also a fact that the medical contribution is also deducted from the monthly pay of the parents or guardians of these students who are in Government service and thus they have to pay double medical charges ;

(c) if so, the acti on taken by Government to stop this double realisation of medical charges ; and

(d) the number of students whose parents or guardians are in Government service and they have to pay medical contribution ?

The Minister of Health and Family Planning Dr. S. Chandrasekhar : (a) to (c) : Under the Central Government Health Scheme every Government servant residing in New Delhi has to join the scheme and pay the prescribed contribution. This assures the Government servant and his family the required medical attendance and treatment. As regards charges being levied from the students in schools and colleges, if any, the information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

(b) This information is not available and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Chairmanship of the Oil & Natural Gas Commission

1942. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of **Petreolum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the persons who held the office of the Chairman of the Oil & Natural Gas Commission after the retirement of Shri Keshav Dev Malaviya and their tenure, Separately;

(b) whether the practice of appointing only Civil Service Officers to this post is being followed after the retirement of Shri Malaviya ; and

(c) if so, reasons for the frequent changes in the personnel of Chairmanship of the Oil & Natural Gas Commission ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Plannning and Social Welfare : (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) Names	Period of tenure
(i) Shri S. S. Khera	From 26.6 1963 to 21.12.1963
(ii) Shri P. R. Nayak	From 22.12.1963 to 31.3.1965
(iii) Shri A.Zaman	From 1.4.1965 to 6.5.1966
(iv) Shri L. J. Johnson	From 7.5.1966

(b) After the resignation of Shri Malaviya, Civil services Officers have been appointed to this post.

(c) The reasons were resignations in the case of Shri Khera and Shri Zaman and transfer in the case of Shri Nayak.

किदवई नगर, नई दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

1643. श्री राम गोपाल शालवाले : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि नई दिल्ली में किदवई नगर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद के वैद्य के स्थान पर एलोपैथी का डाक्टर काम कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नुस्खे हिन्दी में न लिखे जाकर अंग्रेजी में लिखे जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) इस डिस्पेन्सरी में काम कर रहे दो वैद्यों में से एक वैद्य नुस्खे अंग्रेजी में लिख रहा था। अब उसने भी हिन्दी में नुस्खे लिखना प्रारम्भ कर दिया है।

विशिष्ट आर्थिक संवर्ग का प्रशिक्षण

1944. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकिंग, बीमा तथा सरकारी क्षेत्र के कुशल संचालन के सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से विशिष्ट आर्थिक संवर्ग के प्रशिक्षण की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले लोग

1946. श्री राम चरण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्वास्थय योजना से लाभ उठाने वाले लोगों को जब सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिये दाखिल किया जाता है तो उन्हें पृथक पृथक वार्डों में पृथक पृथक रोगिशय्यायें दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के लगभग सभी वार्डों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले उपरोक्त लोगों के लिये 50 प्रतिशत रोगिशय्यायें पृथक रखने में क्या कठिनाइयां हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): (क) जी हां

(ख) अस्पतालों में पलंगों की अत्यधिक कमी है और यदि इनमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राहियों के लिए अलग रख लिये जाएं तो बचे हुए पलंगों पर और भी अधिक भीड़ बढ़ जायेगी तथा जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे पलंगों से अधिकाधिक लाभ उठाने का उद्देश्य भी शिथिल हो जायेगा।

Bungalows for Ministers

1947. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Work, Housing and Supply** be pleased to state.

(a) the number of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers who have changed their bungalows and those who have been allotted new bungalows after the General Elections; and

(b) the additional expenditure incurred on decoration, furnishing, repairs, renovation and provision of other apparatus in the said bungalows before their occupation by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The number of Ministers, Ministers of States and Deputy Ministers who have changed their bungalows is 5 and those who have been allotted new bungalows is 20.

(b) The up-to-date expenditure booked on decoration, furnishing, repairs, renovations etc, in these bungalows is Rs. 1,00,994. A sum of Rs. 1,93,540 has been incurred on electrical appliances.

Accommodation for L. D. Cs.

1948. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister **of Works, Housing and Supply** be pleased to state;

(a) the arrangements made by Government for providing residential accommodation in the capital to the Lower Division Clerks, Upper Division Clerks and class IV staff employed in the various Ministries;

(b) the number of employees under these categories who have been allotted accommodation so far; and

(c) the number to whom no allotment has been made so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply(Shri Iqbal Singh): (a) The allotment of residential accommodation in the general pool is made on the basis of certain pay ranges and not according to class of service to which an officer belongs or by designation. The eligibility of an officer for a particular type of accommodation is determined on the basis of emoluments drawn by an officer and according to his date of priority as provided under the Allotment Rules. Upper Division Clerks, Lower Division Clerks and Class IV employees fall within different pay ranges as indicated below and are entitled to types of accommodation as shown against each :—

Category of employee.	Scale of pay.	Type to which entitled.	Pay range for classification of residences.
L. D. C.	Rs. 110-180	II	Rs. 110-249-II
U. D. C.	Rs. 130-280	II and III	Rs. 250-399-III
Class IV.	Below Rs. 110.	I	Below Rs.110-I

Subject to the availability of funds Government is trying its best to provide accommodation to its employees in the lower-in come groups. During the third plan period and in 1966-67 in all 9800 quarters were completed in Delhi and out of these 7636 units were in types I, II and III. Work is also in progress on the construction of 1512 quarters in types II and III.

(b) and (c) The position at Delhi is as follows:—

Type.	Demand.	Provided with accommodation.	On the waiting list.
I	24951	13095	11856
II	42746	13681	29065
III	13322	4244	9078

भारत में अमरीका के पास भारतीय रुपयों की राशि

1949. श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलायुम्माडोम :
श्री कामेश्वर सिंह ।
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उ० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका सरकार के साथ भारत में अमरीका के पास भारतीय रुपयों की राशि के बारे में करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारत में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार भी रुपयों के रूप में जमा राशि में से ऋण और अनुदान देने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ अब तक किये गये करारों का विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 573/67**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री बी० पटनायक के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई) की रिपोर्ट उड़ीसा राज्य सरकार को देने से केन्द्रीय सरकार के इन्कार करने का समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Reported refusal by the Central Government to make available to the Orissa State Government the report of the CBI on the dealings of certain undertakings in which Shri B. Patnaik, the former Chief Minister of Orissa, has a controlling interest."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने मुझे पत्र लिखा है उसमें बताया गया है कि उड़ीसा के भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये भ्रष्टाचारों तथा अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। उस पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा मंत्रिमण्डल उप-समिति के प्रतिवेदनों की प्रतियां राज्य सरकार को उपलब्ध कर दी जायें तो उस आयोग को निर्देश आदि के लिए ये प्रतियां लाभदायिक होंगी। 10 मई, 1967 के अपने उत्तर में मैंने उनको लिखा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक सीमित काम सौंपा गया था तथा उसको प्रधान मन्त्री तथा मंत्रिमण्डल की समिति के लिए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया था। मन्त्रिमण्डल तथा उसकी समितियों के लिए तैयार किया गया कोई भी दस्तावेज गोपनीय समझा जाता है।

श्री रंगा (श्री काकुल) : इस प्रतिवेदन को सभापटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री को अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिए। उसके पश्चात माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को यह भी बताया गया है कि ये दस्तावेज उनके पूर्व मुख्य मन्त्री (श्री सदाशिव त्रिपाठी) को भी नहीं भेजे गये थे हालांकि उन्होंने इसकी मांग की थी।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने अभी अभी कहा है कि ये गोपनीय दस्तावेज हैं इसलिए इनको किसी राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। इससे यह भावना प्रगट होती है कि वह अपने व्यक्तियों को संरक्षण देना चाहते हैं। ये दस्तावेज कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है क्योंकि इनको सभापटल पर रखा जा चुका है। ये दस्तावेज सभा के रिकार्ड का एक भाग बना चुके हैं इसलिए यह कहना कि यह दस्तावेज केवल मन्त्रिमण्डल के विचार के लिए हैं उचित नहीं है।

श्री रंगा : मैं श्री नाथपाई द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। हमने सरकार से इन दस्तावेजों के प्रकाशन के लिए प्रार्थना की थी परन्तु सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। इन दस्तावेजों के सभापटल पर रखे जाने के समय आपत्ति की जा सकती थी, परन्तु इस समय सरकार के लिए इस बात को अनदेखा करना कि इन्हें सभा-पटल पर रख दिया गया था और इनको उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों को सप्लाई न करना उचित नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं श्री पाणिग्राही के इस चर्चा में भाग लेने पर आपत्ति करता हूं क्योंकि उनका इसमें व्यक्तिगत रूप से हित है। वह कालिंगा पेपर के प्रतिनिधि हैं तथा श्री बीजू पटनायक से वेतन पाते हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : श्री प्र० के० देव ने एक माननीय सदस्य के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का भंग है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही सभा के वैसे ही सदस्य हैं जैसे कि कोई और । इसलिए उनको बोलने से रोका नहीं जा सकता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : राज्य सरकार को प्रतिवेदन सप्लाई करने के बारे में कोई विभेद नहीं किया गया है । इससे पूर्व उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमन्त्री को भी इसकी प्रति नहीं दी गई थी । यदि श्री बीजू पटनायक के विरूद्ध कोई आरोप है तो वह न्यायालय में जा सकते हैं ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय में इस व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को जिसको अध्यक्ष द्वारा बोलने की अनुमति मिल गई हो बोलने से रोका जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं । श्री मधु लिमये अब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री रंगा : प्रश्न यह उठाया गया था कि सभापटल पर रखा गया दस्तावेज एक सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाता है अत: इसको गोपनीय नहीं कहा जा सकता । आप चाहे कुछ समय ले लीजिए परन्तु इस पर अपनी व्यवस्था अवश्य दीजिए तथा इस प्रश्न को तुच्छ समझ कर न टालिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई ने जो बात कही है उसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण बात है और मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए । उन दिनों श्री कामत ने इस दस्तावेज को सभापटल पर रखा था । मै माननीय सदस्यों को बारी-बारी पुकारूंगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The hon. Minister has just now stated that those documents were prepared for the consideration of the Government and so they are secret. I want your ruling on the point whether any minister has the right to keep away any document regarding corruption etc. from the House or the State Government who wants to enquire into the charges of corruption ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): According to article 166–A of the Constitution, the State Government acts in the name of Governor in all the matter who is appointed by the President. Thus the State Government demanded those documents in the name of President. Therefore, the refual to supply those documents is tentamount to a neglection to the Presidents' demand.

Secondly the Central Bureau of Investigation is a Government department and any report submitted by the department cannot considered as a report submitted to the Cabinet. It, therefore, cannot be considered as secret.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जब कोई माननीय सदस्य किसी दस्तावेज को सभापटल पर रखते हैं तो वह दस्तावेज सार्वजनिक सम्पत्ति बन जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार उक्त दस्तावेज को उड़ीसा सरकार से दूर रखना

चाहती है। यह प्रश्न मूल सिद्धान्तों के महत्व का है अतः आपको अपनी व्यवस्था देनी चाहिए। इस दस्तावेज को एक माननीय सदस्य द्वारा सभापटल पर रखा गया था अतः हमें यह मांग करने का अधिकार है कि यह दस्तावेज उड़ीसा सरकार को उपलब्ध किया जाये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The hon. Minister has just now stated that is a secret document. I would say, Sir that you should give your ruling whether the publication of the said document is in the public interest or not. I would also like to know whether the hon. Minister can keep information a way from the House saying that is secret. It has also not been claimed by the hon. Minister that it will not be in the public interest to disclose the information. Unless it is claimed no information can be concealed by the House. Moreover it has been said that the documents, in question, have already been placed on the Table of the House. I would, therefore, say that it is now no longer a secret document.

श्री हेम बरुग्रा (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आप द्वारा कही गई बातों से सम्बन्धित है।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या यह दस्तावेज गोपनीय है या वह दस्तावेज गोपनीय है जो माननीय सदस्य ने यहां रखा था। उन दिनों जब आप में से बहुत से सदस्य इस सभा में नहीं थे तब यह दस्तावेज़ मान्य था या नहीं और क्या मंत्री महोदय अब एक दूसरा दस्तावेज सभापटल पर रख सकते हैं। अब प्रश्न यही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The question of Centre-State relations is also involved in it. The point is whether Central Government can refuse to supply a report of an organisation under its own control to a State Government.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : गृह-कार्य मंत्री के उत्तर से सभा में उपस्थित सदस्य उलझन में पड़ गये हैं। आपने केवल इस मामले का निर्णय करना है कि क्या मंत्री महोदय उक्त उपबन्ध के अन्तर्गत इसे गोपनीय दस्तावेज़ कह सकते हैं।

इस मामले में अब दो दस्तावेज हैं। एक तो मन्त्रिमण्डल की उपसमिति का प्रतिवेदन और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सारांश है जो हमारे एक साथी श्री हरिविष्णु कामत ने सभापटल पर रखा था। उड़ीसा सरकार ने यह प्रतिवेदन नहीं मांगा। वह तो उड़िया में पहले ही प्रकाशित हो चुका है और उसकी लगभग 15000 प्रतियां भी मुद्रित हो चुकी हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रौर वे बस स्टैन्ड पर भी बिकती रहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : दूसरा दस्तावेज़ है केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पूर्ण प्रतिवेदन। उड़ीसा सरकार ने यह दस्तावेज़ मांगा है जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक श्री कोहली ने प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। मंत्रिमंडल की उपसमिति को निष्कर्ष निकालने में सहायता करने के लिए उस सम्पूर्ण प्रतिवेदन का सारांश मंत्रिमंडल की उपसमिति के सम्मुख रखा गया था। श्री कामत

ने मंत्रिमंडल की उपसमिति का प्रतिवेदन और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सारांश सभापटल पर रखा है। उड़ीसा सरकार ने यह प्रतिवेदन नहीं मांगा है।

उड़ीसा सरकार ने वह प्रतिवेदन मांगा है जो मैंने सभापटल पर रखा था। वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सम्पूर्ण प्रतिवेदन है जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक श्री कोहली ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन में जांच किये गये सभी मामले सम्मिलित हैं। यह अलग बात है कि उन्हें गवाहों से कोई साक्ष्य मिला या नहीं। उन्होंने भारत सरकार को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब उड़ीसा सरकार जो आगे जांच करवाना चाहती है उसमें सुविधा के लिए इस सम्पूर्ण प्रतिवेदन की एक प्रति चाहती है। अब वह गोपनीय नहीं है। इस प्रतिवेदन में जो कुछ लिखा है वह मैंने पहले ही बता दिया है। जो प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया था उसी की एक सही प्रति मैंने सभापटल पर रखी थी। मैंने इसे प्रकाशित भी कर दिया है। इसका मूल्य दो रुपये है और इसका नाम 'उड़ीसा एफेयर' है। यह बाज़ार में मिल सकता है। इसलिए इसे गोपनीय दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता।

अब प्रश्न यह है कि भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उड़ीसा राज्य इस प्रतिवेदन की एक प्रति लेना चाहता है। यदि वे नहीं देते तो उड़ीसा राज्य को अधिकार होगा कि भविष्य में वह कानून और व्यवस्था के बारे में कोई प्रतिवेदन इस सरकार को न भेजे चाहे उनके केन्द्र सरकार के साथ कैसे ही सम्बन्ध हों। इसके बाद उनकी इस प्रकार की कार्यवाही युक्तिसंगत होगी। जब केन्द्र सरकार ने जो प्रारम्भिक जांच करवाई है उसी आधार पर राज्य सरकार आगे जांच करवाने के लिए तैयार है तो ये प्रतिवेदन की एक प्रति देने से क्यों इन्कार करते हैं और इस बात की शरण लेते हैं कि वह गोपनीय दस्तावेज़ है। यह अब गोपनीय दस्तावेज़ नहीं रहा। पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह एक सरकारी दस्तावेज़ है। सरकार इस बात का बहाना नहीं कर सकती कि यह गोपनीय दस्तावेज़ है और वे उसे उड़ीसा सरकार को नहीं भेज सकते।

Shri Madhu Limaye : I am grateful to Shri Surendranath Dwivedy because he has made the issue very clear. Now it ts not the point whether the summary of the C. B. I. Report prepared for the cabinet sub-committee. Shri Chauhan has stated that" the documents prepared for the cabinet or any of its committees are always treated as secret.." First of all it should be made clear that it is full Report of C. B. I. and not a summary which was prepared for sub-committee, whether, it was for the cabinet and whether it was secret document ? They say that this full Report was meant for the cabinet and it was secret. I don't agree with this. I agree with Shri Dwivedy who has stated that the summary of the fuller Report was meant for the cabinet sub-committee but the original Report was not meant for the cabinet and therefore it is not a secret document. In this connection I would like to draw your attention to Section 369 of "Rules of Procedure" in which it has been made clear that "a paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it."

The document to which I am now referring, I am not aware whether he placed full Report or not, it has been provided that :

"(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered Public." When this is a public document as provided in the Rules then I don't know how Shri Chavan can call it a secret document. Should be not submit to these

Should he not submit to these tules of Procedure ? If we call a document placed on the Table of the House under rule 369, or secret, it is a contempt of the House as well as the Chair. He has quoted various provisions of constitution. He has also violated the Commission of Inquiries Act, 1952 and has created obstructions in the way of action to be taken by State Government. It would be better if you could kindly send for this or I will have to read it in detail.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके केवल सम्बन्धित वाक्य ही पढ़ें ।

Shri Madhu Limaye : I Shall read only what is required. Its article 3 (a)

"The appropriate Government may, if it is of opinion that it is necessary to do so, and shall if a resolution in this behalf is passed by the House of the People, or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, by notification in the Official Gazette, appoint a commission of inquiry for the purpose of making an inquiry into any definite matter of public importance and performing such functions and within such time as may be specified appointed shall make the inquiry and perform the functions accordingly".

(लोकसभा अथवा विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के द्वारा संकल्प पारित होने पर सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर लोक महत्त्व के किसी निश्चित मामले की जाँच करने के लिये आयोग नियुक्त किया जा सकता है)

It has further been stated that "Provided that where any such commission has been appointed to inquire into any matter......

(a) by the Central Government, no State Government shall, except with the approval of the Central Government, appoint another commission to inquire into the same matter for so long as the commission appointed by the Central Government is functioning..

(परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग के कार्य करने तक कोई भी राज्य सरकार उसी मामले पर कोई दूसरा जाँच आयोम नियुक्त नहीं कर सकती)

Central Government has not appointed any Commission. We had demanded the appointment of a Commission but our request was not acceded to. Now I want to say a word in favour of Orissa Government that it is the only State Government who has taken this bold step to conduct an impartial inquiry into the charges against such Ministers who had earned bad name. In fact all the States should take similar action.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर इतना लम्बा भाषण नहीं दिया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : I am speaking on a point of order. In article 3 (b) it has been stated that :

"(b) by a State Government, the Central Government shall not appoint another commission to inquire into the same matter for so long as the commission appointed by the State Government is functioning."

(जब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग अपना कार्य कर रहा है केन्द्रीय सरकार उसी मामले की जाँच के लिये कोई दूसरा आयोग नियुक्त नहीं कर सकती)

In this case Central Government has not constituted any commission and State Government is going to constitute it. Now final decision in the matter is likely to be taken in the State Assembly and they want some further infromation on the subject. The Government have got the Report with them but they do not want to part with it. May I know the reason thereof ? There are three possibilities. First is that they perhaps, want to make it a prestige issue, second is that they, perhaps, do not want that inquiry should be conducted into the charges levelled against the Ministers.

श्री क० नारायण (बोब्बिली) : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे अपितु वह तो भाषण दे रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Third thing to which I am referring is a bit serious. I feel that former Home Minister and his Ministry and former Defence Minister and his Ministry who is now Home Minister have some sort of friendship with Shri Biju Patnaik for which I do not want to use strong language. He has used the word 'regular' but I want to call it 'irregular'. What sort of friendship it is. In this connection I want to quote two sentences from the report of Public Accounts Committee of the Parliament which has got its members from both the Houses. No decision can be taken without a reference being made to it (**Interruption**).

श्री क० नारायण (बोब्बिली) : माननीय सदस्य व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा रहे अपितु वह तो भाषण दे रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Please listen, Mr. Speaker, this is a serious thing. This is a Parliamentary Committee. I am not quoting an ordinary document. They have referred to the contract of Kalinga Airways which has further been extended and which was formerly opposed by the Defence Minister and his Ministry :

"The thinking in the Ministry of Defence apparently underment a radical change subsequently for reasons not easy to understand."

Our Parliamentary Committee behaves in a very polite manner.

अध्यक्ष महोदय : जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह दस्तावेज़ दिया जाना चाहिये या नहीं, उसके साथ इस बात का क्या सम्बन्ध है ? माननीय सदस्य विषय से बहुत दूर चले गये और प्रसंगहीन बातें कर रहे हैं। वह बहुत असंगत बातों का उल्लेख कर रहे हैं। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी की बात तो मेरी समझ में आती है परन्तु माननीय सदस्य बहुत सी अन्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : This is quite relevant. Why are you trying to conceal it ? I now finish it within a single sentence. They started the work of contract :

'The Committee further note with surprise that a further contract was further concluded for three years without calling for fresh tenders.'

अध्यक्ष महोदय : इस बात का मुख्य बात से कोई सम्बन्ध नहीं।

Shri Madhu Limaye : It appears strange to this Committee that now Ministry of Home Affairs had extended the period of contract of Kalinga Airways for further period of three years without calling for fresh tenders. This work is being done to shield Shri Biju Patnaik. This document is not secret, it is a public one and Orissa Government should be provided with this document to enable them to proceed further.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं इस विषय से कुछ सम्बद्ध बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। परन्तु मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन दो बातों पर अपना विनिर्णय दें।

इस सभा के एक सदस्य ने सभा-पटल पर एक दस्तावेज रखा। जब उन्होंने इसे रखा तो उन्होंने उसकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया। उसके बाद माननीय सदस्य ने अभी अभी यह भी बताया कि उन्होंने उस दस्तावेज को प्रकाशित भी कर दिया है। इन दो बातों के पश्चात भी क्या यह दस्तावेज गोपनीय ही रहता है ? यदि यह दस्तावेज पहले ही प्रकाशित हो चुका है और बाजार में दो रुपये खर्च करने पर उपलब्ध हो सकता है। यदि साधारण तौर पर एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाये तो क्या इसे गोपनीय दस्तावेज कहा जा सकता है। चाहे सरकार के अपने विचार से यह दस्तावेज गोपनीय हो परन्तु जब एक दस्तावेज पहले से प्रकाशित हो चुका है तो आप उस दस्तावेज को रख कर क्या करेंगे।

श्री प्र० के० देव : आप द्वारा विनिर्णय दिये जाने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे पेचीदा मामलों के बारे में एकदम विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं ऐसा करने से पूर्व मंत्री महोदय तथा माननीय विधि मंत्री से परामर्श करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह क्या हो रहा है ? क्या हमारी बात सुनी नहीं जायेगी। आप हमें बाहर भेज सकते हैं परन्तु ऐसा तो नहीं होना चाहिये। आपको इन सब पर नियंत्रण रखना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : We connot proceed if these people behave like this. (Interruption) If some body continues to speak inspite of his being disallowed by you, his speech should not be recorded and he should be punished. The proceedings of the House cannot go in if the members of Congress party behave in this way (**Interruptions**)

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्र प्रो० रंगा जब मुझसे यह अनुरोध कर रहे थे कि मैं सदस्यों से बातचीत करूं और ताकि इस प्रकार का वातावरण न बने, मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि वह अपने दल के सदस्य को खड़ा होने से रोकते जब अध्यक्ष महोदय खड़े हुए थे। इन बातों का समाधान इस प्रकार नहीं ढूंढा जा सकता। यदि इस ओर के सदस्य शोर मचाते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं तो मुझे उस पर खेद है परन्तु उन्हें ऐसा करने के लिये उत्तेजित कौन करता है। इस बात को भी समझना चाहिये। यदि हमारे सभी मित्र चाहते हैं कि सभा का कार्य शांतिपूर्वक हो तो हमें इस दिशा में मिल कर कार्य करना चाहिये और यदि अध्यक्ष महोदय किसी माननीय सदस्य को बैठ जाने के लिये कहते हैं और

वह नहीं बैठता तो अध्यक्ष महोदय निराश होकर स्वयं बैठ जाते हैं क्योंकि वह सभा का काम तो इस प्रकार चला नहीं सकते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर वे चिल्लाना आरम्भ कर दें ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आप अब भी चिल्ला रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं । यदि आप हमें बोलने नहीं देना चाहते और यदि इसी प्रकार काम चलना है ....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें अध्यक्ष महोदय को सभा पर नियंत्रण करने देना चाहिये, उन्हें चिल्लाना तो नहीं चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता । परन्तु मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह इस विषय में एकतरफा दृष्टिकोण न अपनायें बल्कि सारी सभा के अधिकारों का ध्यान रखें । यदि अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम सबको चाहिये कि हम उस सदस्य बैठ जाने के लिये कहें । यदि मेरे माननीय मित्र इस काम में सहयोग का आश्वासन दें तो मैं सबसे पहले ऐसा करने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी को बोलने नहीं दिया है । मैंने श्री रंगा को बोलने की अनुमति दी थी । (व्यवधान) मुझे भी दो मिनट के लिये बोलने दीजिये । मैंने श्री गोपालन को भी बोलने की अनुमति दी थी । (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य विनिर्णय देने में मेरी सहायता करना चाहते थे तो वह ऐसा बाद में भी कर सकते थे । परन्तु यदि वे चिल्लाना ही चाहते हों तो मैं क्या कर सकता हूं । वह कहते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दो सदस्य बोले थे । उनके नेता तो बोलना ही नहीं चाहते थे परन्तु श्री नाथपाई ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । बाद में वह बोलना चाहते थे । क्या मैं इसलिये उनके नेता को बोलने की आज्ञा न दूं क्योंकि श्री नाथपाई बोल चुके थे ? क्या मैं श्री मधु लिमये को बोलने की आज्ञा न दूं क्योंकि डा० लोहिया बोल चुके हैं ।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं उस बात पर अभी विनिर्णय देने नहीं जा रहा जो प्रो० रंगा तथा विरोधी दलों के नेताओं ने उठायी है ।

मैं अपना निर्णय दूसरे पक्ष की बात सुनकर दूंगा । अब मैं इसको स्थगित करता हूं । इसके लिये मैं समय निश्चित करूंगा ।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of Clock)

(लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई)

(The Loksabha Then Reassembled After Lunch at Fourteen of the Clock)

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस सम्बन्ध में अध्यक्ष के विनिर्णय के बाद देखा जायेगा । इस समय हमारे समक्ष वह विषय नहीं है । यदि आपको कुछ कहना है तो अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेज सकते हैं ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियम, 1944 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 8 जून, 1967 की अधिसूचना की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 574/67**]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : श्रीमती फूलरेणु गुह की ओर से मैं (2) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 575/67**]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना में

श्री मोरारजी देसाई : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ:—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मीदल (क्रयू) असबाब नियम, 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 758 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 759 में

प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 576/67**]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 31वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 760 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 761 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 1967 की जी० एस० आर० 446 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 577/67**]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 25 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 779 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 25 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 780 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 577/67**]

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन का प्रतिवेदन

श्री रघु रमैया : श्री जगन्नाथ राव की ओर से मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 578/67**]

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का प्रतिवेदन

श्री रघु रमैया : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 579/67**]

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

(1) भारत की तपेदिक संस्था की केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'A' "कि भारत की तपेदिक संस्था के नियमों तथा विनियमों के खण्ड 3 (vii) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारत की तपेदिक संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

(2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का शासी निकाय

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'B' "कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों तथा विनियमों के नियम 20 की मद (xiii) तथा (xiv) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारयीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक 1967–68–सामान्य चर्चा–जारी
GENERAL BUDGET, 1967-68-GENERAL DISCUSSION-CONTD.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I mentioned the difficulties of farmers yesterday. Now I would like to say something about the Jawans. I am against any out being made

in Defence budget. Our past history shows that our country did attach due importance to defence and we were made slaves by foreigners. We were humiliated by China because we were not prepared militarily. Defence preparedness is very vital in these days. A well equipped small country can defend its freedom in better way. The example of Israel is before us. Japan is a small country, but it defeated by countries like China.

I want to warn the leaders of this Government that they should not be complacent in the matter of defence. We should be careful and cautious in this matter. I want that we should manufacture atom bombs.

If we have an atom bomb, it will save as a detterent. The countries that are hostile to us will not dare to attack our country. We are confident about the bravery of our soldiers. We should give them modern nuclear weapons. Pakistan and China are constant danger for us. The Islamic block is with Pakistan. There is tention on our border. In these circumstances we have got to be very vigilant and alert. I suggest that a special tax should be levided for manufacture of atom bomb, We are prepared to pay that tax. The honour of our country should be given the uppermost priority. We should not repeat history. We should not lose our freedom. We have tremendous man power. We have very vast resources.

I would like to bring to you some of the difficulties being experienced by our servicemen. These should be removed,

Their pay should be raised. There should more avenues of promotions for N. C. Os. and other ranks. The families of people serving in defence forces should be assured all help, Their children should be provided educational and medical facilities. Regarding the nationalisation Congress Partys' resolution should be implemented. The recommendations of Kothari Commission in regard to teachers' pay scales should be implemented.

श्री चरणजीत राय (दौसा) : यह बात तो सर्वविदित है कि कोई भी देश अपने साधनों का जितना अधिक से अधिक उपयोग करता है उस देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी ही समृद्ध होती है । इस प्रक्रिया में मानवीय तत्व का महत्व बहुत बढ़ जाता है । क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान, परिश्रम, और ईमानदारी से इन साधनों का अधिकतम उपयोग करता है । परन्तु उसे ऐसा करने के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ।

आयव्ययक आय और व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, उसका कुछ और महत्व भी होता है । आयव्ययक से अर्थव्यवस्था का एक क्रम चलता है इससे या तो अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है या उसमें बाधा पड़ती होती है । हमारी योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना, खेती और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना, और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी को छोड़कर, 16,000 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । यदि ये लक्ष्य पूरे हो जाते तो ऊंचे कर लगाने या घाटे की अर्थव्यवस्था का महत्व इतना नहीं था । परन्तु ये उद्देश्य पूरे नहीं हो सके । राष्ट्रीय आय का लक्ष्य 5 प्रतिशत था परन्तु वह 3·9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ऊपर नहीं जा सका । लोगों का जीवन-स्तर भी ऊंचा जाने के स्थान पर नीचे ही गया है ।

खाद्य उत्पादन की स्थिति और भी निराशाजनक है। सरकार सदा आत्मनिर्भर होने का वचन देती रही है परन्तु यह वचन कभी भी पूरा नहीं हुआ। औद्योगिक उत्पादन की भी ऐसी ही स्थिति है। बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य से कम ही हुआ है। रोजगार की स्थिति दिन प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। प्रत्येक योजना में बेकार व्यक्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न यह है कि इतना धन खर्च करने के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों हुई। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र को अत्यधिक महत्व देना है। यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का प्रबन्ध ठीक नहीं और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षा उनकी आय बहुत कम है।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की मांगों को पूरा करने के लिये बहुत अधिक कर लगाये जाते हैं। बड़ी-बड़ी धन–राशि या तो उन परियोजनाजों में लगाई जाती है जिनमें उत्पादन होता ही नहीं या कम उत्पादन होता है। जिसका परिणाम यह होता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये बहुत कम पूंजी रह जाती है। इससे गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादन में बाधा पड़ती है।

तीसरे सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति और नियंत्रणों आदि से देश की आर्थिक प्रगति और भी अवरुद्ध हुई है। इस नीति से सरकार ने इस बात की परवाह किये बिना कि देश में स्थापित किये गये उद्योगों के लिये आवश्यक स्थानीय या आयात किये गये कच्चे माल की पूर्ति करने की क्षमता है कि नहीं, देश में उद्योगों की स्थापना कर दी है। यह अनुचित बात है। परन्तु खेद की बात यह है कि सरकार ने इन भूलों से अभी तक कुछ नहीं सीखा। कृषि की उपज और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से ही देश की आर्थिक उन्नति सम्भव है और मूल्यों में भी कमी हो सकती है। कृषि के मामले में कहा जाता है कि सूखा पड़ने के कारण उत्पादन नहीं हो सका। योजना निर्माताओं और सरकार को यह तो पता ही है कि हमारी कृषि हजारों वर्षों से वर्षा पर ही निर्भर करती है। यह कोई नई बात नहीं है तो फिर सरकार ने पिछले 20 वर्षों में क्या किया? उन्होंने सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं बना डालीं। उन्हें चाहिये था कि समस्त भारत में सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं चलाते ताकि सभी किसानों को भूमि की सिंचाई के लिये पानी मिल सकता। सूखे का बहाना करके तो ये अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं। जिन वर्षों में वर्षा हुई थी उन वर्षों में कुछ कम अनाज आयात किया गया था और जिन वर्षों में वर्षा अधिक नहीं हुई, उनमें अधिक अनाज आयात किया गया। अन्तर केवल मात्रा का है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार अब कृषि को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

इस आयव्ययक में औद्योगिक क्षेत्र में कोई विशेष राहत नहीं दी गई। आवश्यकता इस बात की थी कि निगमित क्षेत्र में करों को कम किया जाता, लाभांश कर को समाप्त कर दिया जाता, कृषि में लगाई गई पूंजी पर छूट दी जाती और लाभ उपकर को समाप्त कर दिया जाता। इसके फलस्वरूप देश में पूंजी अधिक लगाई जायेगी। इस कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। पूंजी लगाने वालों को भी इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। आज धन लगाने वालों को उचित लाभ नहीं मिलता। इसका परिणाम यह है कि वे अनुत्पादक क्षेत्रों में धन-राशि लगाते हैं जैसे भूमि मकान, और सोना आदि खरीदने में। यदि निगमित क्षेत्र में

50 प्रतिशत की कमी कर दी जाये और व्यक्तिगत छूट 66 प्रतिशत कर दी जाय तो पूंजी लगाने में लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जितने कर कम होंगे उतनी वसूली अधिक होगी। मेरे विचार में इन सुझावों का प्रयोग कम से कम एक वर्ष तक करना चाहिये।

वित्त मंत्री मूल्यों में कमी करना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है कि यदि उत्पादन में वृद्धि हो। परन्तु इस आयव्ययक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं। बल्कि इस आयव्ययक में इतने कर लगाये गये हैं कि जनसाधारण का बोझ और भी बढ़ जायेगा। साधारण जनता को काफी, चाय, जूते और सिगरेटों के लिये अधिक खर्च करना पड़ेगा। रेलवे के किराये भाड़े में वृद्धि से वस्तुओं के मूल्य और भी बढ़ेंगे।

हमारे वित्त मंत्री ने मेंगानीज अयस्क और पटसन के विषय में राहत दी है जिससे उनके निर्यात में वृद्धि हो सके। इससे निःसंदेह कुछ अन्तर पड़ेगा परन्तु निर्यात की वृद्धि के लिये इस प्रकार की सभी वस्तुओं के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने यह कहीं नहीं बताया कि सरकारी खर्च में कितनी कमी की जायेगी। राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण के नाम के लिये नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि पूंजी लगाने वालों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है।

आज भारत की साधारण जनता में असंतोष फैला हुआ है (व्यवधान) वित्त मंत्री कहते हैं कि वह जनता में फिर से विश्वास उत्पन्न करेंगे, परन्तु ऐसा करने के लिये उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की;

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I have heard the criticism of members of oppositon parties which was nothing more than stereotype criticism of the Government. I invite Shri Surendranath Dwivedy to join congress party. There is no use of PSP Party. (**Interruptions**) Dr. Lohia has been teaching us political morality but he has been inviting congress members to join his party to enable him to form an alternative Government. Is it called political morality that after having elected on a congress ticket we should join another party for the sake of ministership ? I may say that all the non-congress Ministeries of States have been set up with the help of congress party. There are some congressmen who have left Congress party to achieve their selfish interests. This type of political horse trading is most undesirable. Shri Masani has criticised public undertakings. He is of the view that Bokaro steel plant should not function. He says that we should import steel, fertilizers from England and America. He has praised private sector. Let us look at the condition of mills in public sector. Now the condition of Air services is much better than it was in private hands. We cannot say that public sector is necessarily bad and private sector is necessarily good. There are certainly some drawbacks in public sector but they are there in all the fields. Moreover only such heavy industries have been established in public sector which could not run in private sector.

So far new taxation proposals are concerned, I am of the view that we should impose taxes in such a manner that common man is not affected adversely. We should impose taxes on persons who can afford to pay them. With this view I can say that taxes on shoes and almonium are wholly injustified. It is not understood why Shri Desai has not increased duty on foreign liquor.

I want to invite the attention of Finance Minister towards the Backward classes of India. It is good that special provisions have been made in the budget for the welfare of these suppressed and depressed classes. Similarly there are certain backward area in our country but no provision has been made for the betterment of such areas. In these areas per capita income of its inhabitants is from Rs. 90 to Rs. 95 only whenever all India per capita income is from Rs. 350 to 450. A commission should be constituted who should visit such backward areas where per capita income of its inhabitants is not more than Rs. 150.00 and make recommendations for the development of these areas. The reafter Government should consider these recommendations and take action accordingly. In North Bihar there are 2 crores of people where condition is miserable. The number of factories in this area is inadequate. The land is fertilie but irrigation facilities have not been provided.

Some Hon'ble members have expressed their views that we should not beg food from foreign countries. I may inform them that Central Government does not take initiative in this matter but she is forced import food when State Governments put pressure for supply of more and more food. If State Governments stops this practice and meet their requirements from their own resources, Central Government will not beg food from foreign countries. At presenlthere is wide difference in rates of foodgrains between four price shops and open market and foodgrains are being sold in black market. If subsidy on food is discontinued, it will reduce this difference in prices to the minimun. Black market in foodtrains will also be stopped. State Governments can purchase foodgrains from the market accerding to their requirements. The money saved from food subsidy can be given to States in some other form.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : सर्वप्रथम मैं इस आयव्ययक को जनता-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कहना चाहूँगा । इससे देश की आर्थिक दुर्दशा का पता चलता है । वर्ष 1966-67 के 'एकनामिक सर्वे' के अध्ययन से पता चलता है कि कृषि से सम्बन्धित कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में उत्पादन में भारी कमी हो गई है और औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी पड़ गई है । इसमें यह भी लिखा है कि अवमूल्यन के कारण व्यापार में अव्यवस्था पैदा हो गई है । ब्रिटेन को निर्यात की जानी वाली भारतीय वस्तुओं में लगभग 20 प्रतिशत की कमी हो गई । इसी प्रकार अवमूल्यन से आयात और निर्यात के दोनों क्षेत्रों में कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा ।

इस आयव्ययक में उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव है जिन पर पहले भी कई बार कर लगाया जा चुका है । दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर कर लगाने से साधारण जनता पर करों का बोझ बढ़ गया है । इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इन कर-प्रस्तावों पर फिर से विचार करें और साधारण जनता पर जिसकी करों के भार से पहले ही कमर टूट रही है और कर न लगायें ।

आज देश की जनता कर के बोझ से और बढ़ते हुए ऋण से बहुत दुःखी है । जनता की क्रय-शक्ति का निरन्तर ह्रास हो रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रुपये का मूल्य कम हो गया है और वह रोग-ग्रस्त-व्यक्ति के समान हो गया है । समस्त देश में निराशा का साम्राज्य है । प्रत्येक क्षेत्र में संकट ही संकट दिखाई देता है । कपास, चीनी, अनाज आदि सभी क्षेत्र संकटग्रस्त हैं । सरकार की अपनी गलतियों के कारण केरल, बिहार तथा अन्य राज्यों की जनता को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं ।

बढ़ती हुई जन संख्या की समस्या दिन प्रति दिन भयानक होती जा रही है। हाल ही मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसके अनुसार प्रत्येक तीन सैकन्ड के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। यदि जनसंख्या की वृद्धि को न रोका गया तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो सकेगा।

आज केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के परस्पर सम्बन्ध राजनीतिक चर्चा का विषय बन गये हैं। वास्तव में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होने चाहिये। इसलिए संघीय असन्तुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में राज्य अपनी प्रभुसत्ता खो चुके हैं। जिन मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है इस प्रकार के कानून को राज्य को भारत सरकार के पास भेजना पड़ता है और केन्द्र की पूर्व अनुमति और केन्द्र द्वारा प्रस्तावित सुझावों को उसमे जोड़े कर ही उस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसा केवल उन्हीं मामलों में करना पड़ता है जिनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, अन्य मामलों में ऐसी कोई बात नहीं।

श्री मनोहरन : दूसरे शब्दों में राज्य की वैधानिक गतिविधियां केन्द्र सरकार की इच्छाओं के अनुरूप ही चल सकती हैं क्योंकि राष्ट्रपति को परामर्श देने वाले तो केन्द्रीय मंत्री और विशेषकर प्रधान मंत्री हैं। कम से कम समवर्ती सूची में आने वाले विषयों की स्थिति तो बहुत ही अपमानजनक है। अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत जितनी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास थी वे छीन ली गई हैं। और वे अब केन्द्र के पास हैं। वास्तव में शक्ति के विकेन्द्रीकरण की अब सबसे अधिक आवश्यकता है। आज जब भी कभी कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करती है तो हमारे वित्त मन्त्री उन्हें साफ कह देते हैं कि उनके पास धन नहीं है। श्री मसानी ने ठीक ही कहा था कि यदि सरकार बुद्धिमत्ता से चलती तो 200 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि आठ या नौ करोड़ रुपया खादी पर बेकार खर्च किया जा रहा है। खादी का बना हुआ घटिया दर्जे का माल गोदामों में भरा पड़ा है। इस बेकार के खर्चे के लिए कौन उत्तरदायी है ?

मुझे पता चला है कि वित्त मन्त्री ने प्रशासनिक खर्च में 10 प्रतिशत तक की कटौती करने का सुझाव दिया है। यह बात हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। अब तो सभी समस्याओं को प्रगतिशील ढंग से सोचने की आवश्यकता है और प्रत्येक राज्य को समुचित अधिकार दिये जाने चाहिये।

जिस समय मद्रास में हमारे दल ने कार्यभार सम्भाला था तो वहां चावल की स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। परन्तु राज्य सरकार ने अपने व्यापक वसूली के कार्यक्रम द्वारा चावल इकट्ठा करके स्थिति को सम्भाल लिया। इसी बीच केरल की जनता ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध विद्रोह का नारा लगाया। केन्द्र सरकार ने उस स्थिति में क्या किया, यह तो पता नहीं। परन्तु द्रविड़ मुन्नेत्र कजषम सरकार ने केरल राज्य के मुख्य मंत्री को लगभग 10,000 टन चावल देने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन को पूरा भी किया। आज मद्रास सरकार

अपने राज्य की जनता को अनाज, कपड़ा और मकान दिलाने की व्यवस्था करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। यदि वित्त मन्त्री हमारी सहायता करें तो हम कई अन्य राज्यों के लिये भी अनाज भेज सकते हैं।

राज्य सरकार को पता चला था कि टूटीकोरिन पत्तन योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। इसी आधार पर राज्य सरकार ने इस योजना पर एक करोड़ रुपया पहले ही खर्च कर दिया है। अब समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि डा० भाटिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा और इसे समाप्त कर दिया जाये। मैं वित्त मन्त्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा या नहीं।

राज्यों की योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में इस वर्ष कमी कर दी गई है। इससे राज्यों की योजनाओं को क्रियान्वित करने में बाधा पड़ेगी। सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा न करने, विद्युतीकरण तथा बिजली परियोजनाओं को क्रियान्वित न करने से कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में राज्यों के लिए जो उपलब्ध सहायता है उसका भी सभी राज्यों में समान वितरण नहीं होता। इसका परिणाम यह हुआ कि जो राज्य अपना प्रबन्ध स्वयं ही चला रहे थे उन्हें सहायता और भी कम मिली।

इस समस्या के मूल में बात यह है कि राज्यों को दिन-प्रति-दिन केन्द्र पर अधिक निर्भर करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप केन्द्र का राज्यों पर ऋण बढ़ता जा रहा है। 15 अगस्त, 1947 को प्रान्तीय सरकारों पर 44 करोड़ रुपये का ऋण था जो चालू वर्ष के अन्त में 5000 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसी प्रकार ब्याज में भी वृद्धि हो गई है।

जब संविधान की रचना की गई थी तो उस समय आयकर को केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाला मुख्य संतुलित साधन समझा जाता था। परन्तु अब आयकर राजस्व का मुख्य साधन नहीं रहा बल्कि उसका स्थान उत्पादन शुल्क ने ले लिया है। केन्द्र सरकार को उत्पादन शुल्क से 1,150 करोड़ रुपये की उपलब्धि होती है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों का उत्पादन शुल्क का हिस्सा वर्तमान 20 प्रतिशत की दर से, जो बहुत कम है, बढ़ा दे। निगम के करों में भी राज्यों को हिस्सा मिलना चाहिए। इस समय सभी कर केन्द्र सरकार को ही मिलते हैं।

खाद्य की समस्या को राष्ट्रीय महत्व की समस्या समझना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक भेद भुला देने चाहिए।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि वह साधारण जनता को करों से राहत दें।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : आयव्ययक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा खर्च बढ़ रहा है और विशेषकर 'रक्षा' के लिए तो अधिकतम खर्च

किया जा रहा है। क्या हम मशीन की क्षमता के महत्व को कम किये बिना 'रक्षा' के खर्च को कम नहीं कर सकते ? यदि इस दृष्टि से हम 'रक्षा' के खर्च की ओर देखें तो हम निश्चय उसमें कुछ न कुछ कमी कर सकते हैं।

हमारी आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा रोग मूल्यों में वृद्धि है। आज मूल्यों में स्थिरता लाने की आवश्यकता है।

इस सभा में कृषि के विषय पर पर्याप्त चर्चा की गई है। हमें सरकारी क्षेत्र बनाम गैर-सरकारी क्षेत्र के विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। कृषि के क्षेत्र में मुख्य आवश्यकता उर्वरकों की है। हमें गोबर, सूखे पत्ते इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए हम इस खाद पर बहुत कम खर्च करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में किये गये कई प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं। इसलिए रासायनिक खाद के साथ-साथ हमें इस प्रकार की खाद पर भी कुछ धन व्यय करके लाभ प्राप्त करना चाहिए।

मैं खाद्य-क्षेत्रों को उचित नहीं समझता। इस प्रणाली से हमारे देश की एकता को धक्का लगा है। इससे प्रान्तीयता की भावना को प्रोत्साहन मिला है और नागरिक बनाम नागरिक, गांव बनाम गांव और व्यक्ति बनाम व्यक्ति की भावना उत्पन्न हो गई है।

मैं कृषि के सम्बन्ध में तो कुछ कह नहीं सकता परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में तो अब मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को उत्पादन के साथ सम्बद्ध कर देना चाहिए। जब तक औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में उत्पादन तत्व को मिला नहीं दिया जाता तब तक मजदूरी में तो वृद्धि होती रहेगी और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। आज मजदूरों को अधिकारों की तो पूरी जानकारी है परन्तु उत्तरदायित्वों के बारे में जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। आज मजदूरों के नेता सोचते हैं कि वे हड़ताल करवा सकते हैं परन्तु उन्हें देखना तो यह चाहिए कि उत्तेजना के बावजूद मजदूर काम करते रहे हैं। उनकी शिकायत दूर करने के लिए तो अन्य उपाय भी सोचे जा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि हड़तालें अवैधानिक होते हुए भी मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है। जब हड़ताल अवैधानिक करार दी जाती है तो कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। बातचीत करने से तो हड़ताल करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है।

आजकल एक नई प्रवृत्ति 'घेराओं' के नाम से चल पड़ी है जिसके परिणाम गम्भीर हो सकते हैं। 'घेराओं' निश्चय ही अपराध है। यह लगभग उसी प्रकार की कार्यवाही है जैसी चीन में 'लालरक्षक' कर रहे हैं। राज्यों और केन्द्र दोनों को चाहिए कि वे इस प्रकार की गतिविधि को समाप्त कर दें नहीं तो·········(व्यवधान)

मुझे हाल ही में पता चला है कि सरकार कपड़े की कुछ ऐसी मिलों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने जा रही है जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है। परन्तु इन मिलों को ठीक प्रकार से काम न करने के कई कारण हो सकते हैं जिन मिलों में प्रबन्ध ठीक नहीं है उनके लिए तो यह उचित समाधान हो सकता है परन्तु जिन मिलों की मशीनें ही बेकार हो गई हैं और इसलिए उनमें पर्याप्त उत्पादन नहीं हो सकता, सरकार द्वारा ऐसी मिलों का नियन्त्रण

सम्भालना बेकार है । इससे उत्पादक और लाभप्रद मिलें तो गैर-सरकारी क्षेत्र में रह जायेंगी परन्तु अनुत्पादक और अलाभप्रद मिलें सरकारी क्षेत्र में चली जायेंगी । सरकार ऐसी मिलों को लेकर क्या करेगी ? इससे तो अच्छा यह होगा कि इन मिलों को बन्द करके नई मिलों की स्थापना की जाये ताकि बेरोजगार व्यक्ति स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त कर सकें । हमारे बहुत से युवक विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने देश में रोजगार की तलाश में है । इन नये उद्योगों की स्थापना में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से कुछ ही लाभप्रद सिद्ध हो रहे हैं । मेरा मतलब यह नहीं कि सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होनी ही नहीं चाहिये परन्तु मेरा मतलब यह है कि हमें सरकारी क्षेत्र के लिए अनावश्यक मोह भी नहीं होना चाहिए । जीवन बीमा निगम को ही लीजिए । जीवन बीमा का व्यापार बढ़ रहा है परन्तु वह इसलिए कि अधिक से अधिक लोग जीवन बीमा करवाने के पक्ष में होते जा रहे हैं । इसलिए नहीं कि जीवन बीमा निगम के अधिकारी उसके लिए कोई विशेष प्रयास कर रहे हैं । जीवन बीमा निगम को समस्त देश में कुछ एककों में विभक्त कर देना चाहिए और उनमें परस्पर प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कौन सा एकक अधिक व्यापार दे सकता है । इस प्रकार की प्रतियोगिता से सरकार को लाभ होगा ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है हमें अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद ही किसी वस्तु का निर्यात करना चाहिए । केला हम निर्यात करते हैं । परन्तु केला ही सबसे सस्ता फल है जिसे निर्धन व्यक्ति भी खा सकता है । यह ठीक है कि हमें केले के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है परन्तु इससे देश में असन्तोष की भावना भी तो बढ़ती है । इन छोटी-छोटी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं । इसी प्रकार चीनी, तेल के बीज और खली जैसी मानवीय उपभोग की वस्तुओं का तब तक निर्यात नहीं करना चाहिए जब तक इनकी आन्तरिक मांग पूर्णतया पूरी नहीं हो जाती ।

इस आयव्ययक में इस वर्ष जिस प्रकार से कर लगाने के प्रस्ताव हैं मैं साधारण तौर पर उनका स्वागत करता हूं ।

कर लगाते समय जनसाधारण की कठिनाइयों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है । छोटे समाचार-पत्रों का बहुत महत्व है उनके द्वारा जनता को एक प्रकार की शिक्षा मिलती है, जोकि लोकतन्त्र में बहुत आवश्यक है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इन पत्रों को डाक द्वारा भेजने के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते ।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय इस बजट द्वारा जनसाधारण पर करों का बोझ और अधिक बढ़ जायेगा । चाय, जूते, काफी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें जनसाधारण प्रयोग में लाते हैं । सरकार ने रेलवे के किराये आदि में भी वृद्धि की जा रही है । इसलिए मैं इस बजट का अनुमोदन नहीं कर सकता हूँ । सरकार अतिरिक्त कर न लगाकर पहले लगे करों के बकाया को एकत्र करने की ठीक व्यवस्था करके नये कर नहीं लगाने चाहिए थे ।

{ श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

आयकर का बकाया लगभग 552 करोड़ रुपये है। इस बकाया राशि को वसूल करने में सरकार असमर्थ सिद्ध हुई है। सरकार प्रशासनिक व्यय में कटौती करनी चाहिये। इससे पर्याप्त बचत की जा सकती है। वित्त मंत्री को चाहिये था कि जनसाधारण की स्थिति का ध्यान रखते और अतिरिक्त कर न लगाते।

कृषि के बारे में बजट में अपनायी गयी नीति का मैं स्वागत करता हूं। इससे पता चलता है कि सरकार ने देश के खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया है। ताकि हमें बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्यान्नों का आयात न करना पड़े और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

केन्द्रीय सरकार फालतू अनाज वाले राज्यों की बहुत कम सहायता करती है। सरकार को इन राज्यों के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिये। कमी वाले राज्यों की सरकार अधिक सहायता करती है। इससे कमी वाले राज्यों में चोरबाज़ारी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को खाद्यान्नों के विषय में राज्यों को राजसहायता नहीं देनी चाहिये। हां, जिन राज्यों में खाद्य स्थिति बहुत कठिन है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश आदि, उनको तो सहायता मिलनी चाहिये। अन्य राज्यों को केन्द्रीय सरकार की खाद्यान्नों के लिये राजसहायता बन्द होनी चाहिये। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार 80 करोड़ रुपये की बचत कर सकती है। इस धन को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश को सहायता मिलनी चाहिये।

आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर परियोजना से 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसको पूरा करने के लिये 40 करोड़ रुपये और की आवश्यकता है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय में वृद्धि होती जा रही है। अब तक इस पर 120 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं परन्तु यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक बार यह परियोजना पूरी होकर तैयार हो जावे तो 22 लाख एकड़ भूमि में खेती होने लगेगी और हमें आशा है कि हम चावल के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार को आंध्र की सहायता करनी चाहिये। वहां की परियोजनाओं को एक या दो वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इसी पोचमपद परियोजना में भी धन के अभाव के कारण प्रगति नहीं हो रही है। इस परियोजना द्वारा 6 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। निजामसागर परियोजना 30 वर्ष पहले चालू हुई थी। इसमें मिट्टी भर गई है। इसके लिए 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ताकि पूरी सप्लाई पुनः आरम्भ की जा सके। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में आवश्यक सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। निजाम शुगर मिल्स को इसी कारण कठिनाई का अनुभव हो रहा है और घाटा सहन करना पड़ रहा है। आगामी दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार को 40 करोड़ रुपये देने चाहिए ताकि आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

मुख्य मन्त्रियों के हाल के सम्मेलन में कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सहायता के वचन दिये थे परन्तु उन्होंने वे वचन पूरे नहीं किये हैं। परन्तु आंध्र प्रदेश ने अनेक राज्यों को चावल

सप्लाई किया है। आंध्र प्रदेश की केन्द्रीय सरकार को पूरी-पूरी सहायता करनी चाहिए। यदि यह किया जाता है तो दो वर्षों के बाद हमें विदेशों से अनाज के आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी है। उसे अन्य राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है। आँध्र प्रदेश को उरर्वक की बहुत आवश्यकता है। विशाखापटनम बन्दरगाह पर जो जहाज उरर्वक लाते उसे अन्य स्थानों को भेज दिया जाता है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश को वंचित कर दिया जाता है। यदि ऐसा चलता रहा तो आंध्र भी कमी वाला राज्य बन जायेगा।

केन्द्रीय सरकार को राज्यों की मांगों को पूरे करने के बारे में किसी प्रकार के दबाव के नीचे नहीं आना चाहिए।

श्री भगवती (तेजपुर) : इस प्रकार का संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। उन्होंने कोशिश की है कि जन साधारण पर करों का कम से कम बोझ पड़े। मैं आशा करता हूँ कि सरकार ऐसे उपाय करेगी कि मूल्यों में वृद्धि न हो। यदि इसमें सफलता मिलती है तो यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा।

आज हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत कठिन स्थिति में है। देश को दो सूखों का सामना करना पड़ा है। अब यदि हम अपनी नीति को ठीक प्रकार से चलायें तो हम देश को इस स्थिति से निकालने में सफल हो सकते हैं। क्या हम देश को इस स्थिति से निकालने में सफल हो सकते हैं? इसके लिए हमें न केवल अच्छी योजनायें बनानी हैं बल्कि उन्हें ठीक प्रकार से कार्यान्वित भी करना है। हमें तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें व्यावहारिक कार्य का अनुभव प्राप्त करना चाहिये और केवल बातों में उलझना नहीं चाहिए। राजनैतिक शिक्षा को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। राजनैतिक शिक्षा से समूचे देश को अधिक लाभ नहीं होता है।

हमें अपने देश की जनशक्ति के व्यर्थ कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। समाजवाद को हमनें अपना लक्ष्य बनाया है परन्तु इस ओर हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। हमें इस बारे में कारगर ढंग से कार्यवाही करनी चाहिये और पूंजीवाद को समाप्त करना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी तथा अन्य पार्टियां समाजवाद के पनपने में बाधक हैं। कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पास कर देती है परन्तु इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसी प्रकार प्रतिपक्ष वाले कांग्रेस के कार्यक्रम पर अमल नहीं होने देते। पिछले चुनाव में जनता में कई भ्रम फैलाये गये हैं। लोगों में कई प्रकार की शंकायें फैल गई हैं।

उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाया जाना चाहिये। दूसरे महान् युद्ध के बाद जर्मनी की प्रगति में वहां के मजदूरों ने बहुत हाथ बंटाया था। हमें भी अपने देश के उद्योगों में मजदूरों को प्रबन्ध कार्य के साथ सम्बद्ध करना चाहिये। उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अधिक रुचि दिखायें।

मैं अब कृषि के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यूरोप में तो मशीनी और औद्योगिक क्रान्ति हुई है। लोग खेतों को छोड़कर कारखानों में चले गये परन्तु भारत में इसके उलट काम हो रहा है। यहां लोग कारखानों को छोड़कर खेतों की ओर जा रहे हैं। आधुनिक युग

में अन्य देशों में 12–20 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है परन्तु भारत में अब भी 70-80 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यही कारण है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था की दशा खराब होती जा रही है। जब तक हम कृषि का आधुनिकीकरण नहीं कर लेते तब तक हम खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हमें अन्न-रहित भोजन के प्रयोग पर बल देना चाहिये। हमारे देश में सदा अन्न वाले भोजन का ही अधिक प्रयोग होता है।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध हो। इस समय तो बड़े-बड़े उद्योगपति बैंक, वित्त निगम आदि से धन प्राप्त कर सकते हैं परन्तु मध्यम वर्ग के लिये ऋण लेना भी एक बड़ी समस्या है।

असम के पुनर्गठन के बारे में संयुक्त परामर्श की बात चल रही है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि कोई ऐसा सूत्र मिल जायेगा जिससे राज्य की अखण्डता बनी रहेगी और इसके साथ ही पहाड़ी जनता की प्रादेशिक और उचित राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : पश्चिम एशिया की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी विदेश नीति गलत रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध में इसरायल की प्रगति के विचार से हमें अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना चाहिये। राजनीति में हमें अपने हित को प्रमुखता देनी चाहिये। इसरायल की प्रगति से यह भी स्पष्ट हो गया है कि आज के युग में किसी देश का क्षेत्र अथवा उसकी जनसंख्या भले ही कितनी अधिक हो, परन्तु महत्व इस बात का है कि उसके पास अच्छे और आधुनिक शस्त्र हैं या नहीं। सशस्त्र शक्ति को आधुनिक बनाने के कारण ही इसरायल ने युद्ध में प्रगति की है। हमारी सेना में महान योद्धा हैं, परन्तु हमें उन्हें आधुनिक शस्त्र भी देने चाहिये। मेरे विचार में सैन्य-बल और वायुसेना सम्बन्धी समिति का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये जो अन्य देशों में इन शस्त्रों से सम्बन्धित तकनीकी प्रगति पर समय-समय पर विचार करती रहे। हमें गुप्तचर विभाग को इतना सक्षम बनाना चाहिये कि हमें नवीनतम हथियारों की जानकारी मिलती रहे। इस जानकारी के मिलने के पश्चात् हमें अपनी सेना को भी उसी प्रकार के नवीनतम हथियारों से लैस करना चाहिये। उस समिति का एक कर्तव्य यह भी होना चाहिये कि वह देखे कि हमने आत्म-निर्भरता की दिशा में कितनी प्रगति की है और जितनी प्रगति की है वह संतोषजनक है या नहीं। हम जो टैंक अथवा हवाई-जहाज बनायें वे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिये।

इस आय-व्ययक में मितव्ययता की काफी गुंजाइश है। वित्त मन्त्री ने यह बात गुप्त रखी है कि वह मितव्ययता किस प्रकार करेंगे। मितव्ययता के लिए यह आवश्यक नहीं कि सरकारी कर्मचारियों की छटनी की जाय। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि अवांछनीय परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाये जिनसे अधिक लाभ होने की सम्भावना न हो या जिनमें बहुत अधिक धन बेकार में खर्च किया गया हो। यदि इस प्रकार की योजनाओं के लिए

निर्धारित राशि को कम कर दिया जाय तो निश्चय ही पर्याप्त मितव्ययता होगी। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी हो जाये तो छः महीने के अन्तर्गत वह इस सभा में एक नया आयव्ययक प्रस्तुत करें और उक्त तरीकों से बचाये गये धन के आधार पर साधारण जनता को करों से राहत दें। इस आयव्ययक में उत्पादन शुल्क चाय, काफी, सिगरेट आदि पर लगाए गए हैं और इससे साधारण जनता पर बोझ बढ़ गया है। यदि उत्पादन शुल्क में कमी की जाये और निगमित क्षेत्र में समवायों को आदेश दिया जाये कि उत्पादन शुल्क की इस कमी का प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ना चाहिये तो इस साधारण जनता को निश्चय ही राहत मिलेगी।

मेरे विचार में निर्यात की स्थिति भी आशाजनक नहीं है। यदि ब्रिटेन युरोपीय साझा बाज़ार में सम्मिलित हो जाता है तो निर्यात में 10 से 45 प्रतिशत तक हमारी हानि होगी। हमें युरोपीय साझा बाज़ार के देशों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि हमें केवल सहायता ही नहीं चाहिये, हमें व्यापार की भी आवश्यकता है।

सरकार को चाहिये कि वह सहायता देने वाले देशों से कहे कि वे हमें दिये गये ऋण पर ब्याज छोड़ दें। घाटे की अर्थ व्यवस्था से हमारी आर्थिक स्थिति को भारी धक्का लगा है।

असैनिक खर्च और राजस्व में की जाने वाली कमी अपर्याप्त है। वास्तव में पूंजीगत आय अनुपात के सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जितना धन लगाया जाये उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिये और इस ध्येय की पूर्ति के लिये योजना मंत्री की अपेक्षा कार्यान्विति मंत्री की अधिक आवश्यकता है। पूंजी बाज़ार को फिर से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मुद्रास्फीति को रोकने की समस्या का समाधान एकमात्र यही है कि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाये। इससे हमारी बहुत सी अन्य समस्याओं का समाधान भी हो जायेगा। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सर्वप्रथम बात यह है कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है उन्हें पूरा किया जाय। ऋण भी उन्हीं उपक्रमों को दिया जाना चाहिये जो लाभप्रद हों। दूसरे सरकारी खर्च में कम से कम पांच प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये। कर युक्तियुक्त होने चाहिये।

भारत में हमने प्रतिवर्ष कर बढ़ाने की नीति अपनाई है जिसका फल यह हुआ है कि कर में 10 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद आयकर का राजस्व 158 करोड़ रुपये से घट कर 143 करोड़ रुपये रह गया है। निगमित करों के राजस्व में भी कमी हुई है।

उर्वरकों, कृषि सम्बन्धी मशीनों और औजारों, अच्छे बीजों और कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। हमें यथासम्भव नियंत्रण कम करने चाहिये क्योंकि अन्य देशों जैसे रूस, पोलेण्ड आदि देशों में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

जहां तक हो सके बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क ही लगाया जाना चाहिये जैसा कि कपड़ा, चीनी और तम्बाकू के विषय में किया गया है। सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिये। मेरे विचार में एक कर जांच आयोग की

स्थापना करनी चाहिये। इस आयोग को कर के समस्त ढाँचे की जांच करने के साथ-साथ भारत सरकार के राजस्व और पूंजी खाते के व्यय और परिव्यय के औचित्य की भी जांच करनी होगी ।

जहां तक प्रत्यक्ष कर लगाने का सुझाव है जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि के अंशदानों पर दी जाने वाली छूट कुल राशि का 60 प्रतिशत होनी चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं उन सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता हुं जो मानीय सदस्यों ने अपने उपयोगी भाषणों में दिये हैं। इन सुझावों पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करेगी और उनसे लाभ उठाने का प्रयास करेगी। वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन उपप्रधान मंत्री के आयव्ययक सम्बन्धी भाषण तथा आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। जहां तक कर लगाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं उनका उपयुक्त उत्तर उपप्रधान मंत्री ही देंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। मैंने यह कई बार महसूस किया कि वे संदर्भ से हट कर आयव्ययक की आलोचना करते रहे हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है उसका मूल्यांकन वित्त मंत्री के भाषण तथा आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है और मेरे विचार में उसे सभा में तथा सभा के बाहर प्रसिद्ध टीकाकारों ने उसे स्वीकार किया है। देश के सामने जितनी जटिल और कठिन आर्थिक स्थिति इस समय है उतनी कभी भी नहीं रही। दो युद्धों तथा दो वर्ष सूखा पड़ने से वह स्थिति और भी बिगड़ गई है।

एक ओर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है। इस प्रकार की स्थिति में बचत या पूंजी लगाने की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार करना सम्भव नहीं और इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि खपत में उचित मात्रा में कमी करने के लिये विनियमन के तथा अन्य उपाय ढूंढना आवश्यक है।

इसके साथ ही कुछ सुस्ती की प्रवृत्ति भी चल रही है। उत्पादन में कमी हो गई है परन्तु आवश्यकता उत्पादन में वृद्धि करने की है। इस प्रकार की स्थिति से निकलने के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकताओं को नियत करना चाहिये। यह सभा इस बात से तो सहमत होगी कि पहली प्राथमिकता मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकना है और इसी आधार पर आयव्ययक तैयार किया गया है। मूल वस्तुओं, कृषि सम्बन्धी वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि से ही मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि के लिये हमें बचत की भावना को फिर से जागृत करना होगा और ऐसा वातावरण बनाना होगा जिनमें पूंजी लगाने वालों को प्रोत्साहन मिले।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

यह आरोप कि आयव्ययक के उद्योगों की धीमी गति को दूर करने के लिये आयव्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है उचित नहीं। इस आयव्ययक से एकदम चमत्कार दिखाने की आशा

नहीं की जा सकती । जिस प्रकार की स्थिति इस समय है उसमें हमारा पहला कर्तव्य स्थिरता का वातावरण बनाना था जिसके बिना शीघ्र उन्नति करना सम्भव नहीं । इस आयव्ययक में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया है । इसमें वर्तमान के साथ-साथ देश के भविष्य का भी ध्यान रखा गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि इस आयव्ययक से समाजवाद की दिशा में कोई प्रगति परिलक्षित नहीं होती और उसमें कांग्रेस कार्य-समिति के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का कोई सुझाव नहीं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन सभी मामलों पर सरकार अभी विचार कर रही है । उनकी जांच पड़ताल करने के पश्चात सरकार उन पर कोई निर्णय लेगी और उपयुक्त समय पर उन निर्णयों की घोषणा की जायेगी । आयव्ययक में नीति सम्बन्धी घोषणाएं नहीं की जा सकतीं । आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में हमने अपनी सामान्य आर्थिक नीति को स्पष्ट कर दिया है ।

श्री मनोहरन ने आयव्ययक को जनताविरोधी तथा समाज विरोधी कहा है । इस बात का सम्बन्ध देश में अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों से है । सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये वर्तमान स्थिति में जो भी सम्भव हो सकता था, किया है ।

सरकारी खर्च में कमी करने के लिए भी काफी कुछ कहा गया है । यहाँ तक कहा गया है कि यदि सरकारी खर्च में पर्याप्त कमी की जाये तो कर लगाने की आवश्यकता भी कम ही पड़ेगी । सरकारी खर्च को कम करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न किये गये हैं और लगभग 200 करोड़ रुपये के खर्च की कमी की गई है । मैं मानता हूँ कि यह कमी नाम मात्र की है परन्तु सरकारी खर्च में कमी करने की भी एक सीमा है । प्रशासन के खर्च में केवल दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह धन-राशि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक उन्नति आदि के रूप में दी जाने के लिए है ।

श्री मसानी ने प्रतिरक्षा के खर्च में तथा योजना सम्बन्धी खर्च में कमी करने का सुझाव दिया है ; उन्होंने बोकारो इस्पात कारखाना न लगा कर 80 करोड़ रुपये की बचत करने का सुझाव दिया है और प्रतिरक्षा के खर्च में 50 करोड़ रुपये की कमी करने के लिये कहा है । प्रतिरक्षा व्यय में कटौती करने का सुझाव तब तक मान्य नहीं हो सकता जब तक हम विदेश नीति और प्रतिरक्षा नीति में किसी अन्य दृष्टिकोण को नहीं अपनाते । जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध ह कि बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना न की जाये, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यदि हम इस कारखाने को नहीं लगाते तो इसका यह अर्थ होगा कि हमने कोयला, सीमेंट तथा अन्य परियोजनाओं से कुछ नहीं सीखा । जब उक्त वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो गई थी तो इस बात की आलोचना की गई थी कि सरकार ने पहले से इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया । बोकारो इस्पात कारखाना न लगाने से इस्पात के उत्पादन में कमी हो जायेगी और फिर हमें वही आलोचना सुननी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त इस्पात के आयात पर पर्याप्त विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और बोकारो इस्पात कारखाना लग जाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा सरकारी कार्यालयों के प्रसार पर पर्याप्त चिन्ता व्यक्त की गई है। सरकार इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने एक कर्मचारी परीक्षण यूनिट की स्थापना की है। वह विभिन्न विभागों में किये जाने वाले कार्यों का परीक्षण करता है और उसने वर्ष 1966–67 के दौरान खर्च में वास्तव में उचित और प्रभावशाली कमी की है।

पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: FURTHER DEVELOPMENTS IN WEST ASIA SITUATION

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अध्यक्ष महोदय, परसों प्रधान मंत्री ने ....

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. What has happened to my Call Attention Notice. He may make a statement but he should make this statement in reply to our Call Attention Notices so that we may be in a position to ask questions on it.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले से सम्बन्धित लगभग 40 या 50 ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं मिली थीं, परन्तु जब मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि वह सभी बातों का उत्तर अपने भाषण में दे देंगे। सभी ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं मंत्री महोदय को भेज दी गई थीं और वह अब अपना वक्तव्य देंगे। सभी माननीय सदस्य किसी भी बात का स्पष्टीकरण माँग सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें समय की कोई पाबन्दी नहीं। यदि और कोई व्यावहारिक सुझाव है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि जब वक्तव्य के बारे में उन्हें स्पष्टीकरण कराने हों तो मैं नेताओं के अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी हैं। मैं उन्हें प्रश्न पूछने दूंगा। हां, यदि माननीय सदस्य इस बारे में कोई और सुझाव दें तो उन पर विचार किया जा सकता है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं कहना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों उस समय हमें अनुशासन का परिचय देना चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी जाती हैं परन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। आगे के लिये ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का वक्तव्य व्यापक होगा और उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें आ जायेंगी। दलों के नेताओं और अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, you had given a ruling that if a notice of calling attention is received first, it would be taken up first and if Government's information for making a statement is received first, it would be allowed first. It has become a convention. It would be better if it is maintained.

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के विषय के बारे में यदि सरकार एक व्यापक वक्तव्य देना चाहे तो उन सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : यदि सभा चाहती है कि मैं वक्तव्य न दूं तो मैं वक्तव्य नहीं दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उसका निर्णय पहले ही हो चुका है ।

श्री मु० क० चागला : प्रधान मंत्री ने परसों पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया था । उन्होंने कहा था कि हम युद्ध विराम के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं । और हम चाहते हैं कि सेनाएं 4 जून की स्थिति पर वापिस चली जायें ।

6, जून को सुरक्षा परिषद् ने युद्धबन्दी का एक प्रस्ताव पास किया है । इसके अन्य कदम उठाये जायेंगे । परन्तु युद्ध विराम न होने के कारण सोवियत संघ के अनुरोध पर एक और बैठक बुलायी गई और एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय समय के अनुसार आज रात के डेढ़ बजे से युद्ध विराम होना चाहिये । भारत सरकार को आशा है कि इस प्रस्ताव पर अमल होगा ।

सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि ने युद्ध विराम सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे पहला महत्वपूर्ण कदम कहा है । भारत सरकार चाहती है कि सेनाएं युद्ध से पहले की स्थिति में चली जानी चाहियें । एक आक्रमणकारी को युद्ध में हथियाई गई भूमि खाली कर देनी चाहिये । प्रधान मंत्री ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र के सेना में भारत के सैनिकों पर इज़राइल द्वारा आक्रमण का उल्लेख किया था । इस बारे में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र लिखा था और मांग की थी कि भारतीय सैनिकों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । महासचिव ने अपने 7 जून के पत्र में भारतीय सैनिकों की मृत्यु पर समवेदना व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं और उन्हें यथा शीघ्र वहां से लाये जाने का प्रबन्ध किया जायेगा । महासचिव ने इजराइल सरकार से विरोध प्रकट किया है और ऐसी घटना के फिर न होने की मांग की है ।

अब तक की जानकारी के अनुसार 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 19 व्यक्ति लापता हैं ।

इन भारतीय सैनिकों पर आक्रमण होने पर भारत सरकार ने इजराइल सरकार को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा है । और मांग की है कि ऐसे आक्रमण की पुनर्वृति नहीं होनी चाहिये । इज़राइल को मरने वालों तथा घायल होने वालों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिये । भारतीय सैनिकों के वहाँ से लाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की है परन्तु हमने महासचिव को उन्हें तुरन्त लाये जाने के लिये प्रबन्ध करने को कहा है । पहले के कार्यक्रम के अनुसार 8 जून को बम्बई से एक जहाज जाना था और 1100 से अधिक सैनिकों तथा अधिकारियों को 19

जून को चलना था । इस बीच लड़ाई आरंभ हो गई है । हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन सैनिकों को भारत लाया जाये । और उन्हें तुरन्त गाज़ा के पास साइप्रस में सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह एक अच्छा समाचार है कि सुरक्षा परिषद् ने सर्वसम्मति युद्ध विराम सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया है । परन्तु संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा इसके मानने की अभी घोषणा नहीं हुई है । मुझे आशा है भारत सरकार संयुक्त अरब गणराज्य को इससे सहमत करने में सफल होगी ।

प्रतिरक्षा मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री को देश को बताना है कि भारतीय सैनिकों को गाज़ा से लाने में विलम्ब क्यों हुआ है ? अन्य देशों ने अपनी टुकड़ियां हटा ली हैं । हमें अपनी वायु सेना के विमानों को प्रयोग में लाना चाहिये था । 8 सैनिकों की मृत्यु के लिये न केवल इजराइल बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और हमारे रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार हैं । संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं दिखाना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : अपने सैनिकों की मृत्यु पर हम सबको बहुत दुःख है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को युद्ध छिड़ जाने की आशंका नहीं थी ? क्या हमारे सैनिकों के समीप मिस्र वालों ने अपनी तोपें लगायी हुई थीं ? इससे लड़ाई में हमारे सैनिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । हमें अपनी सरकार द्वारा सैनिकों को समय पर भारत वापिस न लाने पर भी खेद है ।

दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने युद्ध विराम सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मांग की है कि दोनों पक्षों की सेनाएं 4 जून की स्थिति में वापिस चली जायें । वास्तव में लड़ाई तो उसी दिन आरंभ हो गई थी जब मिस्र अकाबा की खाड़ी बन्द कर दिया था । अकाबा की खाड़ी अब खोल दी जानी चाहिये । शर्म-अल-शेख की बन्दरगाह से मिस्र की तोपें हट जानी चाहिये और खाड़ी की नाकाबन्दी समाप्त हो जानी चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : जब तक हमारे सैनिक सुरक्षित रूप में देश में नहीं लौटते तब तक देश के लोग चिन्तित रहेंगे ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है । दूसरे यह समाचार भी मिल रहा है कि राष्ट्रपति नासर को अपदस्थ कर दिया गया है । माननीय मंत्री इस बारे में स्पष्ट स्थिति से हमें अवगत करायें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Our Government has adopted a partisan attitude. The Arab Leadership was behaving in a very arrogant manner. There would be ceasefire within a few days, but the question is whether the basic questions would be solved or not ? The question of the Arab refugees is there. I think, it is the view of many people-that there should be confederation of Israel and Jordan. It will solve the refugee problem.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Government should learn from this conflict that we should not be so vocal on such delicate issues. I want to know whether it is a fact that Government is sending its two ministers-Ministers of Defence and Commerce to U. N. O., if so, why External Minister is not being sent ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सोवियत संघ , नेपाल, रूमानिया, जापान तथा ईरान आदि देशों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है । दूसरे सरकार को इसराइल से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । क्या सरकार वहां पर अपना एक राजदूत नियुक्त करेगी ताकि उस देश के पक्ष को ठीक प्रकार से जाना जा सके । हमें अरब देशों के पक्ष बहुत अधिक नहीं होना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में दोनों पक्षों की सेनाओं के 4 जून की स्थिति पर वापिस चले जाने के सुझाव का समर्थन किया है । हमें अरब देशों का साथ देना चाहिये । हमें अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिये । हमें मध्य पूर्व के देशों के महत्व को समझना चाहिये । भारत के सैनिकों के मारे जाने पर हमें बहुत दुखः हुआ है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारा देश एक लोकतन्त्र है । हमें अपने विपक्षी विचार-धारा वाले लोगों की बात का मान करना चाहिये । इस विजय पर हमारी सरकार का रवैया बहुत निन्दनीय रहा है । सरकार ने आत्मसम्मान की नीति को तिलांजली दे दी है । हमारे रवैये से अरबों को किसी प्रकार भी सहायता नहीं मिली है । इससे शान्ति स्थापना में भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है । हमें न तो अरबों का न हीं इज़राईल का पक्ष लेना चाहिये बल्कि देखना चाहिये कि भारत को किस में लाभ है । हम जानते हैं कि नासर अपने देश को महान समझता है । हमें अपने प्रस्ताव को पास कराना चाहिये था । अन्यथा परिषद् में मत-दान में भाग नहीं लेना चाहिये था ।

श्री पिलु मोडी (गोधरा) : हमारे देश का हित शान्ति स्थापना में ही है । हम चाहते हैं कि स्वेज नहर खुली रहे । अन्य देशों ने तटस्थता की नीति अपनायी है । हमें भी ऐसा ही करना चाहिये था । अरबों का पक्ष लेकर सरकार ने देश के बहुमत का आदर नहीं किया है । क्या सरकार की गुट निरपेक्षता की नीति में परिवर्तन हो गया है ?

डा० सुशीला नायर (झाँसी) : क्या सरकार गाज़ा से सैनिकों को लाने के लिये भारत से विशेष विमान नहीं भेज सकती थी ? इस पर होने वाले व्यय की राशि संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त की जा सकती था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जब यह बात सरकार की जानकारी में थी कि गाज़ा पट्टी का क्षेत्र खतरे वाला क्षेत्र है तो वहां से भारतीय सैनिकों को हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई या उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नही ले जाया गया ? क्या सरकार ने इज़राईल सरकार के साथ इस बारे में सम्पर्क स्थापित किया है ? क्या युद्ध बन्दी के बारे में सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव सभी सम्बन्धित देशों ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : खेद की बात है कि हमारे सैनिक वहां शांति स्थापना के लिये गये और उनमें से 9 को मार दिया गया । क्या सरकार इज़राईल के बारे में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करेगी ?

श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि हां. तो वह क्या है ?

श्री मु० क० चागला : श्री गोपालन ने पूछा है कि क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी नीति यथापूर्व है। और यही नीति हमारे देश के हित में है। इस नीति का न केवल यह सभा बल्कि हमारे देश के सभी लोग समर्थन करते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 9 जून, 1967/19 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

(The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 9th June, 1967/19 Jyaistha, 1889 (Saka).